

सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2019

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2019

अनुक्रमणिका		
विषय	विषय	विषय
प्रस्तावना	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii
अध्याय-I: राज्य सरकार के वित्त		
परिचय	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	7
राजस्व प्राप्तियां	1.3	9
पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	16
लोक लेखा प्राप्तियां	1.5	18
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	18
व्यय की गुणवत्ता	1.7	23
सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	26
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.9	32
ऋण प्रबंधन	1.10	37
राजकोषीय असंतुलन	1.11	41
मुख्य विशेषताएं	1.12	47
राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.13	47
निष्कर्ष	1.14	47
अध्याय-II: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	49
विनियोजन लेखे का सारांश	2.2	49
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	52
व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन	2.4	60
प्राप्ति एवं व्यय का मिलान	2.5	61
व्यय का गलत वर्गीकरण	2.6	61
चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.7	62
कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम	2.8	73
निष्कर्ष	2.9	75
अध्याय-III: वित्तीय विवरण		
प्रयुक्त प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	77
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा के समक्ष रखने में विलम्ब	3.2	78
प्रदत्त अनुदानों/ऋणों के ब्यौरे का अप्रस्तुतीकरण	3.3	78
दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि	3.4	79
अस्थायी अग्रिमों का असमायोजन	3.5	80
लेखों की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक	3.6	80
लेखांकन मानकों की अनुपालना	3.7	82
निष्कर्ष	3.8	83

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	शीर्षक	परिच्छेद	परिशिष्ट
परिशिष्ट-1	राज्य रूपरेखा क: सामान्य आंकड़े	1.1	85
	ख: वित्तीय आंकड़े	1.1	85
परिशिष्ट-1.1	भाग-क: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप	-	86
	भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा	-	87
परिशिष्ट-1.2	भाग-क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति	-	89
	भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)	-	91
परिशिष्ट-1.3	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	1.3 तथा 1.11.3	92
परिशिष्ट-1.4	भाग-क: वर्ष 2017-18 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1.1	95
	भाग-ख: 31 मार्च 2018 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.1.1 तथा 1.9.1	98
परिशिष्ट-1.5	2016-17 एवं 2017-18 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी	1.2.1	100
परिशिष्ट-1.6	क्षेत्र-वार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.8.2.1	102
परिशिष्ट-1.7	उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का विवरण जिनके लेखे बकाया है	1.8.2.1	103
परिशिष्ट-1.8	घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लेखे बकाया थे, को प्रदत्त बजटीय सहायता/निवेशों का विवरण	1.8.2.1	105
परिशिष्ट-1.9	हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्रास्थिति	1.8.2.2	106
परिशिष्ट-2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जिनमें व्यय आधिक्य प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी	2.2 तथा 2.3.1	109
परिशिष्ट-2.2	नियमन के लिए अपेक्षित विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य	2.3.1.1	110
परिशिष्ट-2.3	नियमन के लिए अपेक्षित 2017-18 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य	2.3.1.1	111
परिशिष्ट-2.4	मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.1.2	112

परिशिष्ट संख्या	शीर्षक	परिच्छेद	परिशिष्ट
परिशिष्ट-2.5	विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए	2.3.1.2	113
परिशिष्ट-2.6	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.3.2	114
परिशिष्ट-2.7	व्यय का तीव्र प्रवाह	2.3.3	115
परिशिष्ट-2.8	विभिन्न अनुदान जहां बचत प्रत्येक ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण	2.2.2 तथा 2.3.4	117
परिशिष्ट-2.9	क: वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.4.2	118
परिशिष्ट-2.10	ख: वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.4.2	122
परिशिष्ट-2.11	31 मार्च 2018 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी	2.3.4.2	125
परिशिष्ट-2.12	31 मार्च 2018 को व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी	2.4	127
परिशिष्ट-2.13 (क)	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत बुक राजस्व प्राप्तियां	2.5.3	129
परिशिष्ट-2.13 (ख)	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत बुक किए गए राजस्व व्यय	2.5.3	130
परिशिष्ट-2.13 (ग)	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत बुक की गई फ्लैगशीप योजनाएं	2.5.3	131
परिशिष्ट-2.14	उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.7.1.4	132
परिशिष्ट-2.15	समूह बीमा योजना के अन्तर्गत भुगतान का गलत वर्गीकरण	2.8.2	133
परिशिष्ट-2.16	पेंशनभोगी शीर्षों के अन्तर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण	2.8.3	134
परिशिष्ट-2.17	बिना बजट बिलों का अनुमोदन	2.8.4	135
परिशिष्ट-2.18	संस्वीकृत बजट से अधिक राशि का अनुमोदन	2.8.5	136
परिशिष्ट-3.1	31 मार्च 2018 तक बकाया प्रयुक्त प्रमाण पत्र	3.1	138
परिशिष्ट-3.2	स्वायत्त निकायों का निष्पदान दर्शाने वाली विवरणी	3.2	143
परिशिष्ट-3.3	चोरी, दुर्विनियोजन/हानि, आदि के मामलों का विभागबद्ध तथा अवधिबद्ध ब्यौरा	3.4	144
परिशिष्ट-3.4	सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागबद्ध/श्रेणीबद्ध ब्यौरा	3.4	145
परिशिष्ट-4	शब्दावली	-	146

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-I व अध्याय-II में 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों व विनियोजन लेखों की जांच से उजागर मामलों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं। जहां भी आवश्यक था, हिमाचल प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

'वित्तीय रिपोर्टिंग' पर अध्याय-III चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों से सम्बंधित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा प्रास्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणाम का प्रतिवेदन तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उजागर हुई अभ्युक्तियों से समाविष्ट प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों से अंतर्विष्ट प्रतिवेदन पृथक्-पृथक् रूप से प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन बजट आकलनों, 2011 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के निर्धारणार्थ प्रस्तुत किया गया है तथा सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों की प्रबल प्रवृत्तियों व संरचनात्मक रूप रेखा का विश्लेषण करता है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना जैसे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध है।

अध्याय-I वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह 31 मार्च 2018 को हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा करता है। यह प्राप्तियों एवं संवितरणों, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण स्थायित्व तथा राजकोषीय असंतुलों का समयावली लेखा उपलब्ध करवाता है।

अध्याय- II विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह विनियोजनों का अनुदानवार विवरण प्रस्तुत करता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, कोषागारों की कार्य प्रणाली में कमियों तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करता है।

अध्याय- III हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं तथा वित्तीय नियमावली की अनुपालना की एक सूची है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय-I: राज्य सरकार के वित्त

राज्य राजकोषीय सुधार पथ पर है। यद्यपि, राज्य ने 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को अभी तक संशोधित नहीं किया है। राज्य 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान राजस्व घाटे में रहा तथा उसके पश्चात्, राज्य ने गत तीन वर्षों (2015-18) के दौरान राजस्व अधिशेष को अनुरक्षित रखा। तथापि, अधिशेष भारत सरकार से भारी विचलन के बावजूद भी लगातार घटते हुए ₹ 1,137 करोड़ (2015-16) से ₹ 920 करोड़ (2016-17) तथा ₹ 314 करोड़ (2017-18) रह गया।

राजस्व घाटे में 2016-17 के ₹ 2,948 करोड़ में ₹ 922 करोड़ की वृद्धि हुई तथा 2017-18 में ₹ 3,870 करोड़ हो गया। प्राथमिक अधिशेष क्रमशः 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान ₹ 990 करोड़ तथा ₹ 411 करोड़ से 2017-18 में ₹ 82 करोड़ के प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया।

2017-18 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में (₹ 26,264 करोड़) राजस्व प्राप्तियों (₹ 27,367 करोड़) में केवल चार प्रतिशत की वृद्धि हुई। केवल 35 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां राज्य के स्वयं के संसाधनों करों एवं कर भिन्न से आया जबकि शेष 65 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां केन्द्रीय अंतरणों अर्थात् केन्द्रीय करों एवं शुल्कों से राज्यांश (17 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (48 प्रतिशत) के रूप में प्राप्त हुई।

वर्ष 2014-15 से निधियों को राज्य बजट के माध्यम से हस्तांतरित किए जाने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बावजूद, भारत सरकार द्वारा 2017-18 के दौरान ₹ 901.83 करोड़ की पर्याप्त राशि, राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित की जा रही थी।

वर्ष 2017-18 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में मुख्यतः उदय स्कीम के अंतर्गत डिस्कॉम को 2016-17 में ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण के संवितरण के कारण राज्य का कुल व्यय (₹ 31,312 करोड़) ₹ 821 करोड़ (तीन प्रतिशत) तक घट गया।

राजस्व व्यय 2016-17 के ₹ 25,344 करोड़ से ₹ 1,709 करोड़ (सात प्रतिशत) बढ़कर 2017-18 में ₹ 27,053 करोड़ हो गया तथा कुल व्यय में इसका अंश 2016-17 के 79 प्रतिशत से 2017-18 में 86 प्रतिशत तक बढ़ गया।

गत वर्ष की तुलना में आठ प्रतिशत की वृद्धि सहित वर्ष के अंत में समग्र राजकोषीय देयताएं ₹ 51,030 करोड़ हो गई। राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 37.55 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों की 1.86 गुणा थी।

आगामी दस वर्षों (2028-29) के दौरान राज्य को ब्याज राशि ₹ 9,483 करोड़ के साथ-साथ बकाया ऋण ₹ 21,574 करोड़ में से ₹ 20,874 करोड़ (96.75 प्रतिशत) बाजार ऋण की चुकौती करनी पड़ेगी।

अध्याय II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2017-18 के दौरान, कुल अनुदानों एवं विनियोजनों के ₹ 41,267.45 करोड़ के प्रति ₹ 37,811.09 करोड़ का व्यय किया। ₹ 3,456.36 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों में हुई ₹ 3,843.12 करोड़ की बचतों का परिणाम थी, जो कि दो अनुदानों एवं एक विनियोजन में हुए ₹ 386.76 करोड़ के व्यय आधिक्य से समायोजित हुई जिसका, 2011-12 से 2016-17 की अवधि हेतु ₹ 9,402.18 करोड़ के व्यय आधिक्य के साथ-साथ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत राज्य विधायिका से नियमितिकरण करवाना अपेक्षित है।

21 उप-शीर्षों में ₹ 1,340.08 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि व्यय या तो मूल प्रावधान के अनुरूप नहीं था अथवा कुल अनावृत्त व्यय आधिक्य रहा था तथा 20 उप-शीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में निधियों का पुनर्विनियोजन अनुचित रूप से किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आधिक्य/बचतें हुईं। 60 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) वित्तीय वर्ष के अंत पर ₹ 2,558.50 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया। 70 मामलों/उप-शीर्षों में ₹ 681.87 करोड़ राशि के 100 प्रतिशत अनुदान अभ्यर्पित किए गए थे।

छः मामलों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय 65 तथा 97 प्रतिशत के मध्य था और केवल मार्च 2018 के महीने के दौरान इन लेखा-शीर्षों के अंतर्गत किया गया व्यय, कुल व्यय का 58 से 88 प्रतिशत था।

अध्याय III

वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रयुक्त प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में अधिक विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। वार्षिक लेखाओं के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अमुक स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान का पालन किया है। अधिकतर स्वायत्त निकायों द्वारा काफी अवधि से अंतिम लेखाओं को तैयार नहीं किया गया। परिणामतः, उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, अस्थाई अग्रिम के मामले समायोजन हेतु, सरकारी धन की चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामग्री की हानि व गबन के मामले लम्बी अवधि से विभागीय कार्रवाई के लिए लम्बित थे।

अध्याय-I
राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - I

राज्य सरकार के वित्त

1.1 परिचय

यह अध्याय चालू वित्त वर्ष (2017-18) के दौरान सरकार के वित्त का विस्तृत परिदृश्य दर्शाता है तथा गत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए विगत वर्ष से सम्बन्धित मुख्य राजकोषीय योगों में बड़े परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। **भारत सरकार द्वारा किये गये राज्यों के वर्गीकरण के आधार पर हिमाचल प्रदेश एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है।** जहां बिना विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता का अनुपात 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण है, वहीं हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार द्वारा विशेषाधिकार के रूप में वित्तीय सहायता का अनुपात 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण है।

राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र (55,673 वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह 20वां सबसे बड़ा राज्य है। जैसाकि **परिशिष्ट-1** में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या 2001 में 0.61 करोड़ से बढ़कर 2018 (प्रक्षिप्त) में 0.73 करोड़ हो गई, जिसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता (2011 की जनगणना अनुसार) आठ प्रतिशत रही, जो अखिल भारतीय औसत (22 प्रतिशत) से कम थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

चालू मूल्यों पर राज्य तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियां **तालिका 1.1** में इंगित की गई हैं।

तालिका 1.1: भारत के सकल घरेलू उत्पाद तथा हिमाचल प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियां (चालू एवं स्थिर मूल्य)

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17 [@]	2017-18 [#]
चालू मूल्य (आधार वर्ष-2011-12)					
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	112,33,522	124,67,959	137,64,037	152,53,714	167,73,145
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	94,764	103,772	113,355	124,235	135,914
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	14.42	9.51	9.23	9.60	9.40
पड़ोसी राज्यों की वृद्धि दर					
उत्तराखण्ड	13.27	8.29	8.88	11.28	11.25
जम्मू एवं कश्मीर	9.73	2.88	19.13	8.24	11.07
स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)					
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	98,01,370	105,27,674	113,86,145	121,96,006	130,10,843
वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.39	7.41	8.15	7.11	6.68
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	82,847	89,060	96,274	1,02,954	1,09,440
वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.1	7.5	8.1	6.9	6.3

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

* अंतिम[@] त्वरित[#] अग्रिम अनुमान।


2017-18 हेतु हिमाचल प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर, दो पड़ोसी विशेष श्रेणी राज्यों-उत्तराखण्ड एवं जम्मू एवं कश्मीर की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर से कम थी। चालू

तथा स्थिर दोनों मूल्यों पर भी राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक विकास दर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद से कुछ कम थी।

1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

सामान्यतः सरकारी वित्त में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं:

चार्ट 1.1: सरकारी खातों की संरचना



स्रोत: बजट नियमावली पर आधारित।

तालिका 1.2 विगत वर्ष (2016-17) की तुलना में चालू वर्ष (2017-18) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सारांश प्रस्तुत करता है:

तालिका 1.2: 2017-18 में राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2016-17	2017-18	संवितरण	2016-17	2017-18
प्रवर्ग-क: राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां	26,264	27,367	राजस्व व्यय	25,344	27,053
कर राजस्व	7,039	7,108	सामान्य सेवाएं	9,728	11,009
कर-भिन्न राजस्व	1,717	2,364	सामाजिक सेवाएं	9,610	10,337
संघीय करों/शुल्कों का राज्यांश	4344	4801	आर्थिक सेवाएं	5,996	5,697
भारत सरकार से अनुदान	13,164	13,094	सहायता अनुदान व अंशदान	10	10


प्राप्तियां	2016-17	2017-18	संवितरण	2016-17	2017-18
प्रवर्ग -ख: पूंजीगत तथा अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	शून्य	35	पूंजीगत परिव्यय	3,499	3,756
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	30	40	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	3,290 *	503
लोक ऋण प्राप्तियां	8,603 *	5,600	लोक ऋण की चुकौती	3,943	3,500
आकस्मिकता निधि	शून्य	शून्य	आकस्मिकता निधि	शून्य	शून्य
लोक लेखा प्राप्तियां#	13,630	14,680	लोक लेखा संवितरण	12,351	13,043
अथ रोकड़ शेष	216	316	अथ रोकड़ शेष	316	183
योग	48,743	48,038	योग	48,743	48,038

स्रोत: वित्त लेखे

* इसमें उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट 1.4 विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों तथा संवितरणों के साथ सकल राजकोषीय स्थिति का ब्यौरा प्रदान करता है।

2017-18 के दौरान राज्य की समेकित निधि में स्रोतों की संरचना तथा निधियों का अनुप्रयोग **चार्ट 1.2** एवं **1.2 (क)** में दिया गया है:



1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2005

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया, जिसे बाद में राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थिरता में विवेक को सुनिश्चित करने हेतु 2011 के अधिनियम संख्या 25 से संशोधित किया गया (**परिशिष्ट 1.2** भाग **ख**)। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार संशोधित किया

जाना अपेक्षित है (2015-20)। तथापि, राज्य सरकार ने अभी तक राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन नहीं किया।

10 मार्च 2017 को तैयार मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण के माध्यम से राज्य के स्वयं के राजकोषीय संशोधन-पथ के परिणाम संकेतक भी परिशिष्ट 1.2 (भाग ख) में दिए गए हैं।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों के प्रति मुख्य राजकोषीय घटकों पर राज्य सरकार का निष्पादन तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय परिवर्ती घटक

राजकोषीय घटक	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/ चौदहवें वित्त आयोग में निर्धारित लक्ष्य	2017-18			
		बजट/ एम.टी.एफ.पी.एस.# में प्रस्तावित/ प्रक्षिप्त लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत परिवर्तन	
				राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/ चौदहवें वित्त आयोग में निर्धारित लक्ष्य	बजट/ एम.टी.एफ.पी.एस.# में प्रस्तावित/ प्रक्षिप्त लक्ष्य
राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-) (₹ करोड़ में)	राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण	(-) 1,041.32	313.90	लक्ष्य लब्ध	लक्ष्य लब्ध
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	(-) 3.00 या कम	(-) 3.50	(-)2.85	लक्ष्य लब्ध	लक्ष्य लब्ध
सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर सरकार के कुल बकाया ऋण* का अनुपात (प्रतिशत में)	32.99	32.92	37.55	(-) 4.56	(-) 4.63

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

मीडियम टर्म फिस्कल प्लान स्टेटमेंट

* इसमें राज्य सरकार के लोक ऋण तथा अन्य उत्तरदायित्व शामिल हैं।

- राज्य ने राजस्व घाटे को खत्म करने का लक्ष्य प्राप्त किया तथा 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय विचलनों में वृद्धि के कारण विगत तीन वर्षों (2015-18) के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/14वें वित्त आयोग में प्रदत्त अधिशेष को बनाए रखा।
- राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.85 प्रतिशत था, जोकि लक्ष्य के भीतर था।
- 2017-18 के दौरान राज्य का ऋण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 37.55 प्रतिशत था जो कि तय लक्ष्यों से अधिक था।

1.1.3 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के संचालन एवं वित्तीय दक्षता के उन्नयन के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय स्थिति में बदलाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रस्तुत की (नवम्बर 2015)। राज्यों को 30 सितम्बर 2015 को 75 प्रतिशत डिस्कॉम ऋण अर्थात् डिस्कॉम ऋण का 50 प्रतिशत 2015-16 में तथा 25 प्रतिशत 2016-17 में लेना था।

चुकौती कार्यक्रम के अनुसार डिस्कॉम द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को मूलधन के पुनर्भुगतान (चुकौती) के साथ ही ब्याज को, चुकाने का दायित्व होगा (हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उदय योजना के तहत


बॉण्ड-धारकों को मूल तथा ब्याज भुगतान तिथि के 15 दिन पूर्व)। देय तिथि पर मूलधन/ब्याज का भुगतान करने में डिस्कॉम के असफल होने की स्थिति में, डिस्कॉम को विलम्बित अवधि हेतु चूक की राशि (डिफॉल्ट राशि) पर दो प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज प्रति वर्ष का भुगतान करना होगा।

उदय बॉण्डों ने प्रतिवर्ष 7.88 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज लिया। इन बॉण्डों के पास मूलधन चुकाने हेतु पांच वर्षों की ऋण-स्थगन अवधि है तथा चुकौती 2022-23 से प्रारंभ होगी। मूलधन को 2031-33 तक ₹ 289.05 करोड़ प्रति वर्ष की 10 बराबर किस्तों में चुकाया जाना है। ₹ 227.78 करोड़ की वार्षिक ब्याज देयता वर्ष 2017-18 से प्रारंभ हो कर प्रति वर्ष 28 अगस्त तथा फरवरी में अर्ध-वार्षिक आधार पर देय होगी। हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2016-17 में डिस्कॉम के सम्पूर्ण बकाया ऋण (₹ 3,854 करोड़) के 75 प्रतिशत (₹ 2,890.50 करोड़) को 30 सितम्बर 2015 तक ग्रहण करने के लिए भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (डिस्कॉम) के मध्य 08 दिसम्बर 2016 को विपक्षीय समझौता-ज्ञापन किया। विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, हिमाचल प्रदेश सरकार ने उदय बॉण्ड (7.88 प्रतिशत) जारी करके ₹ 2,890.50 करोड़ की राशि का धन जुटाया और 2016-17 के दौरान इन निधियों को डिस्कॉम को हस्तांतरित कर दिया। डिस्कॉम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ का यह ऋण, वर्ष 2020-21 में अनुदानों (₹ 2,167.50 करोड़) तथा इक्विटी (₹ 723 करोड़) में रूपांतरित होना है।

2017-18 के दौरान, राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत जारी बॉण्ड्स पर ब्याज के रूप में ₹ 238.91 करोड़ का भुगतान किया जबकि डिस्कॉम को दिए गए ऋणों पर ब्याज के रूप में ₹ 227.78 करोड़ प्राप्त किए।

1.1.4 बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े

2017-18 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े चार्ट 1.3 में दर्शाए गये हैं।



स्रोत: एम.टी.एफ.पी.एस. (मार्च 2017) तथा 2017-18 वित्त लेखे

- राजस्व प्राप्तियां, अनुमानित बजट (₹ 27,714 करोड़) से ₹ 347 करोड़ (एक प्रतिशत) कम थी। स्वयं के कर-राजस्व का संग्रहण ₹ 838 करोड़ (11 प्रतिशत) कम था जबकि कर-भिन्न राजस्व, अनुमानित बजट से ₹ 762 करोड़ (48 प्रतिशत) अधिक था। राजस्व प्राप्तियों में गिरावट मुख्यतः बिक्रियों, व्यापारों इत्यादि पर करों के तहत हुई।
- राजस्व व्यय (₹ 27,053 करोड़) अनुमानित बजट (₹ 28,755 करोड़) से ₹ 1,702 करोड़ (छः प्रतिशत) कम था। सामाजिक सेवाओं के तहत मुख्य रूप से जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास के अंतर्गत व्यय में ₹ 438.28 करोड़ की कमी पाई गई। आर्थिक सेवाओं में मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 449.69 करोड़ की कमी हुई। सामान्य सेवाओं में ब्याज भुगतान, अनुमानित बजट से ₹ 288 करोड़ बढ़ गया। बजट आकलन की तुलना में पूंजीगत व्यय में ₹ 281 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत उच्च व्यय के कारण हुआ।
- राज्य में अनुमानित ₹ 1,041 करोड़ के राजस्व घाटे के प्रति ₹ 314 करोड़ का राजस्व अधिशेष रहा जबकि अनुमानित राजकोषीय घाटे (₹ 4,949 करोड़) में ₹ 1,079 करोड़ की कमी पाई गई तथा ₹ 3,870 करोड़ रहा। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राथमिक घाटा (₹ 82 करोड़) बजट अनुमान (₹ 1,449 करोड़) से ₹ 1,367 करोड़ कम था।

1.1.5 उत्प्लावकता अनुपात

उत्प्लावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बंध में राजकोषीय अस्थिरता की मूल्य सापेक्षता अथवा अवस्था अनुक्रियाशीलता की अवस्था को इंगित करता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों, राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियों, कुल व्यय तथा राजकोषीय देयताओं का उत्प्लावकता अनुपात तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4 सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में प्राप्तियों, व्यय एवं राजकोषीय देयताओं का उत्प्लावकता अनुपात

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	94,764	1,03,772	1,13,355	1,24,235	1,35,914
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.42	9.51	9.23	9.60	9.40
राजस्व प्राप्तियां					
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	15,711	17,843	23,440	26,264	27,367
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	0.72	13.57	31.36	12.05	4.20
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बंध में राजस्व प्राप्तियों का उत्प्लावकता अनुपात	0.05	1.43	3.40	1.26	0.45
राज्य का स्वयं का कर राजस्व					
वर्ष के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	5,121	5,940	6,696	7,039	7,108
वर्ष के दौरान राज्य का स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.70	15.99	12.73	5.12	0.98
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ राज्य के स्वयं के कर राजस्व का उत्प्लावकता अनुपात	0.74	1.68	1.38	0.53	0.10
कुल व्यय					
वर्ष के दौरान कुल व्यय (₹ करोड़ में)	19,739	22,734	25,630	32,133	31,312


	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.14	15.17	12.74	25.37	(-)2.56
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कुल व्यय की उतप्लावकता	0.43	1.60	1.38	2.64	(-)0.27
राजकोषीय देयताएं					
वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	33,884	38,192	41,197	47,244	51,030
राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.31	12.71	7.87	14.68	8.01
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ राजकोषीय देयताओं की उतप्लावकता	0.78	1.34	0.85	1.53	0.85


स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2017-18 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों एवं राज्य के स्वयं के कर राजस्व की कम उतप्लावकता दर्शाती है कि 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम थी, जो चिंताजनक है। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में गिरावट मुख्य रूप से राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियों की वृद्धि दर में गिरावट के कारण हुई। 2017-18 के दौरान कुल व्यय तथा राजकोषीय देयताओं की वृद्धि-दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम थी।


1.2 राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियों, कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्वों, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान समाविष्ट हैं। पूंजीगत प्राप्तियां, विनिवेशों से आगमों, ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋणों व अग्रिमों जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंतर्निष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त संवितरण के बाद लोक लेखे में उपलब्ध निधि का भी सरकार द्वारा घाटे को पोषित करने हेतु उपयोग किया जाता है। तालिका 1.2 वर्ष 2017-18 के दौरान वार्षिक वित्त लेखे में अभिलिखित राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाती है, जबकि चार्ट 1.5, 2013-18 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है। चार्ट 1.4 व 1.5 (क) चालू वर्ष के दौरान राज्यों के संसाधनों की संरचना दर्शाते हैं।





2013-18 के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियों में ₹ 13,828 करोड़ (66.32 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 11,656 करोड़ (74.19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, पूंजीगत प्राप्तियों जिसमें ऋणों व अग्रिमों की वसूली तथा लोक ऋण सम्मिलित थे, में ₹ 1608 करोड़ (39.54 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा निवल लोक लेखा प्राप्तियों में ₹ 564 करोड़ (52.56 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।



कुल प्राप्ति, गतवर्ष 2016-17 के ₹ 36,176 करोड़ से घटकर 2017-18 में ₹ 34,679 करोड़ रह गई। ऐसा विगत वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्य रूप से उदय योजना में पूंजीगत प्राप्ति के तहत ऋण के रूप में ₹ 2890.50 करोड़ की प्राप्ति के कारण था।

कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 75.35 प्रतिशत (2013-14) से 78.92 प्रतिशत (2017-18) बढ़ गया। 2013-18 के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियों का अंश थोड़ा-सा घटकर 5.15 से 4.72 प्रतिशत हो गया तथा पूंजीगत प्राप्तियों (ऋण सहित) का अंश 19.51 प्रतिशत से 16.36 प्रतिशत घट गया।

1.2.1 भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट में बाहर सीधे अंतरित की गई निधियां

सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को काफी मात्रा में निधियों का अंतरण किया जा रहा है जो कि राज्य बजट/कोषागार के माध्यम से नहीं होता है।

इन निधियों को वर्ष 2014-15 से बजट के माध्यम से देने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बावजूद 2014-18 के वर्षों में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां सीधे ही हस्तान्तरित की गईं। वर्ष 2017-18 के दौरान गतवर्ष की तुलना में प्रत्यक्षतः अन्तरित ये निधियां विगतवर्ष की तुलना में ₹ 457.18 करोड़ से बढ़कर ₹ 901.83 करोड़ हो गईं। ये निधियां मुख्य रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) (₹ 436.20 करोड़) के तहत हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारंटी सोसायटी को, विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज (₹ 40.37 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को परिवहन सब्सिडी स्कीम (₹ 17.12 करोड़) व सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (₹ 32.50 करोड़) को हस्तांतरित की गई थी (**परिशिष्ट 1.5**)।



इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 2017-18 के दौरान ₹ 901.83 करोड़ सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए जाने से राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता को उस सीमा तक कम करके आंका गया।

1.2.2 भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर

राज्य सरकार भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1966 के तहत नियोजकों द्वारा निर्माण कार्य पर खर्च हुई लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्रित उपकर निर्माण कार्य श्रमिकों हेतु बनाई कल्याण योजनाओं पर खर्च किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखाओं के अनुसार, 31 मार्च 2017 तक बोर्ड को ₹ 458.59 करोड़ की कुल निधियां उपलब्ध थीं। 2017-18 के दौरान बोर्ड ने श्रमिक उपकर, ब्याज इत्यादि के रूप में ₹ 95.66 करोड़ प्राप्त किए, तथा वर्ष के दौरान श्रमिक कल्याण योजनाओं पर ₹ 30.29 करोड़ सहित ₹ 38.49 करोड़ खर्च किए। 31 मार्च 2018 तक बोर्ड के पास ₹ 515.76 करोड़ की निधियां थीं।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

2013-18 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों का संघटन तथा प्रवृत्तियां परिशिष्ट 1.3 में प्रस्तुत की गई हैं तथा चार्ट 1.6 व 1.6 (क) में भी दर्शाई गई हैं:



- राजस्व प्राप्तियां 12.38 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि की दर पर 2013-14 में ₹ 15,711 करोड़ से निरंतर बढ़कर 2017-18 में ₹ 27,367 करोड़ हो गई। यद्यपि, 2017-18 के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा इसमें मात्र चार प्रतिशत की वृद्धि हुई क्योंकि राजस्व प्राप्तियों में कर-राजस्व का अंश एक प्रतिशत तथा भारत सरकार का सहायता अनुदान दो प्रतिशत बढ़ा।
- 2017-18 के दौरान केवल 35 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां, करों तथा कर-भिन राजस्व से राज्य के अपने संसाधनों से आई तथा शेष 65 प्रतिशत केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश (17 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (48 प्रतिशत) से समाविष्ट केन्द्रीय अन्तरण के रूप में आई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.5 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	15,711	17,843	23,440	26,264	27,367
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	0.72	13.57	31.36	12.05	4.20
राज्य के अपने कर (₹ करोड़ में)	5,121	5,940	6,696	7,039	7,108
राज्य के अपने करों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.70	15.99	12.73	5.12	0.98
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	94,764	1,03,772	1,13,355	1,24,235	1,35,914
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.42	9.51	9.23	9.60	9.40
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	16.58	17.19	20.68	21.14	20.14
उत्प्लावकता अनुपात¹					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.05	1.43	3.40	1.26	0.45
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के अपने कर की उत्प्लावकता	0.74	1.68	1.38	0.53	0.10
राज्य के अपने कर के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	0.07	0.85	2.46	2.35	4.29

- राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में 2016-17 से कमी आई तथा केन्द्रीय अंतरणों के उच्च विचलन के बावजूद 2017-18 में 4.20 प्रतिशत नीचे आ गई। ऐसा राज्य के स्वयं के करों की वृद्धि दर में 5.12 प्रतिशत से 0.98 प्रतिशत की गिरावट के कारण हुआ।
- इसी भांति, राज्य के स्वयं के संसाधनों की वृद्धि दर घटने के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता अनुपात 2015-16 के 3.40 से 2017-18 में 0.45 तक घट गया।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर उत्प्लावकता अनुपात में 2014-15 से निरंतर गिरावट देखी गई जो कि राजस्व जुटाने की दक्षता में गिरावट का सूचक है। राज्य सरकार द्वारा इसके कारणों की जांच करके संसाधनों को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूंकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के शेयर का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, अतः संसाधनों की गतिशीलता में राज्य के निष्पादन का निर्धारण अपने करों तथा कर-भिन्न स्रोतों से समाविष्ट अपने संसाधनों के संदर्भ में किया गया।

चौदहवें वित्त आयोग तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों द्वारा किये गये निर्धारण की तुलना में वर्ष 2017-18 में राज्य में वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 1.6 में दर्शाई गयी हैं।

तालिका 1.6: वर्ष 2017-18 के दौरान प्रक्षेपों/प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक आंकड़ों में प्रतिशत भिन्नता

(₹ करोड़ में)

	14वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आधिक्य में प्रतिशत भिन्नता	
				14वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप
कर राजस्व	11,390	7,946	7,108	(-) 37.59	(-) 10.55
कर-भिन्न राजस्व	2,102	1,602	2,364	लक्ष्य लब्ध	लक्ष्य लब्ध

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे।

¹ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें।

कर राजस्व की वास्तविक वसूली चौदहवें वित्त आयोग एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप के प्रक्षेपों से क्रमशः ₹ 4,282 करोड़ (37.59 प्रतिशत) तथा ₹ 838 करोड़ (10.55 प्रतिशत) कम थी। कर-भिन्न राजस्व के लिए दोनों दस्तावेजों में उल्लिखित लक्ष्य वर्ष 2017-18 के दौरान लब्ध किये गये।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संदर्भ में सकल संग्रहण तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: कर राजस्व के संघटक


(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राज्य माल एवं सेवा कर	-	-	-	-	1833
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,141(15)	3,661(17)	3,993(9)	4,382(10)	2,526(-42)
राज्य आवकारी	952 (18)	1,044(10)	1,131(8)	1,308(16)	1,311
वाहन कर	208 (6)	220 (6)	317(44)	280(-12)	367(31)
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस	188 (9)	190(1)	206(8)	209(1)	229(10)
विद्युत कर एवं शुल्क	191(27)	333 (74)	551(65)	372 (-32)	361(-3)
भू-राजस्व	10 (-58)	17(70)	7(-59)	8 (14)	17(112.5)
माल तथा यात्री कर	105 (4)	110(5)	115(5)	121(5)	112(-24)
अन्य कर	326 (-2)	365(12)	376(3)	359 (-5)	352(-2)
योग	5,121 (11)	5,940 (16)	6,696(13)	7,039(5)	7,108(1)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि इंगित करते हैं।

2017-18 के दौरान कर राजस्व में ₹ 69 करोड़ (एक प्रतिशत) की न्यूनतम वृद्धि दर्ज हुई। बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों (01 जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पश्चात्), विद्युत पर करों व शुल्कों तथा माल एवं यात्रियों पर करों को छोड़कर सभी प्रमुख करों व शुल्कों में बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज हुई। 2017-18 के दौरान, वाहनों पर हरित कर तथा करों पर उपकर जैसी नई शुरुआतों के कारण वाहनों पर करों में वृद्धि हुई। 2015-16 के दौरान, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम द्वारा बकाया पथ करों के भुगतान के कारण वाहनों पर करों के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि हुई। इसी अवधि में, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा गतवर्ष के बकाया विद्युत शुल्क जमा कराने के कारण विद्युत पर करों एवं शुल्कों के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

चार्ट 1.7: पड़ोसी विशेष श्रेणी राज्यों उत्तराखण्ड तथा जम्मू एवं कश्मीर के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से स्वयं के कर राजस्व की तुलना



सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कर राजस्व का अनुपात 5.23 प्रतिशत था जो कि 14वें वित्त आयोग द्वारा बनाए गए प्रक्षेपों (7.31 प्रतिशत) से कम था। हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से स्वयं के कर का अनुपात जम्मू एवं कश्मीर के अनुपात से कम तथा उत्तराखण्ड के अनुपात से अधिक था।

वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, लागू किया, जो 01 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (राज्य को क्षतिपूर्ति) के अनुसार, राज्य को पांच वर्ष की अवधि के लिए वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार करेगी। यह क्षतिपूर्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति की लेखापरीक्षा द्वारा गणना के उपरांत ही राज्य को देय होगी। आधार वर्ष (2015-16) राजस्व आंकड़ों को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के मामले में आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 3,634 करोड़ था। राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (14 प्रतिशत प्रतिवर्ष) को लागू करके की जाएगी।

वर्ष 2017-18 (01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018) के लिए आधार वर्ष आंकड़ों के अनुसार अनुमानित राजस्व ₹ 3,546 करोड़ था। वर्ष 2017-18 हेतु वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति के आधार पर राजस्व आंकड़े दर्शाए गए हैं—राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का इनपुट कर क्रेडिट क्रास यूटिलाइजेशन, राज्य वस्तु एवं सेवा कर से कर घटक के एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अंतरण का आवंटन और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर से अग्रिम आवंटन। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 3,546 करोड़ के अनुमानित राजस्व के प्रति वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति ₹ 2,321 करोड़ तथा क्षतिपूर्ति ₹ 1,059 करोड़ रही जो तालिका 1.8 में दी गई है:

तालिका 1.8: पूर्व वस्तु एवं सेवा कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण, जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि हेतु राज्य के संरक्षित राजस्व के प्रति भारत सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर का अंतिम आवंटन

(₹ करोड़ में)

माह	मासिक राजस्व जिसे संरक्षित किया जाना है*	वस्तु एवं सेवा कर** के पूर्व संग्रहित कर	संग्रहित राज्य वस्तु एवं सेवा कर	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का अंतिम आवंटन	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति	घाटा/अधिशेष
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7={1-(5+6)}
जुलाई-17	394	484.97	0.08	00	485.05	00	-91.05
अगस्त-17	394	53.17	131.7	63.52	248.39	00	145.61
सितम्बर-17	394	-26.02	135.31	68.6	177.89	00	216.11
अक्तूबर-17	394	60.44	134.73	75.95	271.12	00	122.88
नवम्बर-17	394	-15.68	116.35	107.98	208.65	269.50	-84.15
दिसम्बर-17	394	54.45	110.39	91.65	256.49	269.50	-131.99
जनवरी-18	394	7.74	125.66	105.62	239.02	168 [#]	-13.02
फरवरी-18	394	12.47	106.62	89.39	208.48	168 [#]	17.52
मार्च-18	394	15.29	120.74	89.88	225.91	184 [#]	-15.91
योग	3,546	646.83	981.58	692.59	2,321.00	1,059	166.00

* राजस्व की गणना, आधार वर्ष के अनुसार 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष को जोड़ते हुए 2015-16 के राजस्व आंकड़े को ध्यान में रखते हुए की गई।

** मूल्य वर्धित कर व केन्द्रीय बिक्री कर समेत राजस्व जो पेट्रोलियम उत्पादों व मदिरा पर मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर को छोड़कर, वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित सभी करों से प्राप्त हुआ।

2018-19 के दौरान अप्रैल-जून के माह में प्राप्त हुआ।

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर में अग्रिम आवंटन

भारत सरकार, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 के तहत राज्य सरकार को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का आवंटन करती है। राज्य कर विभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भारत सरकार) ने ₹ 159 करोड़ के अनंतिम/अग्रिम निपटान का आवंटन इस शर्त के साथ संस्वीकृत किया (फरवरी 2018) कि राशि, अप्रैल 2018 से प्रतिमाह की दस समान किश्तों के आधार पर, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के नियमित भुगतान से, वर्ष 2018-19 तक समायोजित कर ली जाएगी। यद्यपि, भारत सरकार ने नवम्बर-दिसम्बर 2017 हेतु इन ₹ 159 करोड़ का समायोजन राज्य से द्वि-मासिक देय क्षतिपूर्ति से किया। ₹ 159 करोड़ में एक मुश्त समायोजन जोड़ते हुए 2018 के अप्रैल व मई माह में ₹ 31.80 करोड़ (₹ 15.90 करोड़ की दो अलग-अलग किश्तें) भी समायोजित किए गए।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व


कर-भिन्न राजस्व की स्थिति तालिका 1.9 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.9: कर-भिन्न राजस्व के संघटक

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ब्याज प्राप्तियाँ	119 (70)	101(-15)	94(-7)	146(55)	341(134)
लाभांश तथा लाभ	103(3)	171(66)	112(-35)	290(159)	256(-12)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ, जिनमें	1,563(29)	1,809(16)	1,631(-10)	1,281(-21)	1,767(38)
विविध सामान्य सेवाएं	6(-33)	3(-50)	19(533)	2(-89)	5(-)
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	157(40)	161(3)	206(28)	112(-46)	181(62)
वाणिज्यी तथा वन्य जीवन	358(459)	116(-68)	34(-71)	19(-44)	47(147)
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	26(-43)	36(38)	33(-8)	43(30)	40(-7)
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	111(-25)	162(46)	155(-4)	176(14)	441(151)
विद्युत	696(9)	1,122(61)	924(-18)	651(-30)	688(6)
अन्य	209(9)	209(-)	260(24)	278(7)	365(32)
योग	1,785(30)	2,081(17)	1,837(-12)	1,717(-7)	2,364(38)

(₹ करोड़ में)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/घटा इंगित करते हैं।



2013-18 के दौरान कर भिन्न राजस्व के अंतर्गत प्राप्तियों में ₹ 579 करोड़ (32.44 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2017-18 के दौरान कर भिन्न राजस्व (₹ 2,364 करोड़) विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 647 करोड़

(37.68 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए राजस्व प्राप्तियों का 8.64 प्रतिशत था, जो कि मुख्य रूप में उदय योजना के तहत डिस्कॉम को दिए ऋणों से उपार्जित ब्याज प्राप्तियों (₹ 231 करोड़) में वृद्धि के कारण हुआ।

अलौह खनन तथा धातु-कर्म उद्योग की प्राप्तियों में वृद्धि मैसर्स अल्ट्राटेक लिमिटेड से खनन पट्टे का हस्तांतरण के रूप में रॉयल्टी के ₹ 194.20 करोड़ के अग्रिम भुगतान तथा रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ₹ 14.72 करोड़ के ब्याज की प्राप्ति के कारण हुई।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार ने 2017-18 के दौरान योजनागत तथा अयोजनेतर वर्गीकरण को बंद किया तथा राज्यों को सहायता-अनुदान प्रदान करने के लिए प्रमुख शीर्ष-1601 सहायता अनुदान के अंतर्गत नए उप-मुख्य शीर्ष का परिचालन किया। भारत सरकार से सहायता अनुदानों की प्रास्थिति तालिका 1.10 में दी गई है।

तालिका 1.10: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आयोजनेतर अनुदान	2,025	1,199	8,524	8,877	--
राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	3,765	4,333	756	1,188	--
केन्द्रीय योजना स्कीमों हेतु अनुदान	17	31	38	44	--
केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान	507	1,615	1,978	3,055	--
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों	--	--	--	--	3,590
वित्त आयोग अनुदान	--	--	--	--	8,889
अन्य अंतरण/राज्य को अनुदान/विधान सभा सहित केन्द्र शासित प्रदेश	--	--	--	--	615
योग	6,314	7,178	11,296	13,164	13,094
विगत वर्ष से वृद्धि का प्रतिशत	(-)13.66	13.68	57.37	16.54	(-)0.53
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	40	40	48	50	48

वित्त आयोग अनुदानों में राजस्व घाटा विचलन के बाद के अनुदान, स्थानीय निकायों तथा एस0डी0आर0एफ0 हेतु अनुदान शामिल हैं जिसे पहले राज्य लेखाओं में आयोजनेतर अनुदानों के रूप में दर्शाया गया था।

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 13,164 करोड़ (2016-17) से ₹ 70 करोड़ घटकर ₹ 13,094 करोड़ (2017-18) हो गया। अनुदान में, 2017-18 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के कारण हुई राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त ₹ 539 करोड़ शामिल थे। 2013-18 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में इसका अंश 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच रहा।

1.3.3 केन्द्रीय कर अंतरण

केन्द्रीय कर अंतरण, वर्ष 2016-17 के ₹ 4,343.70 करोड़ से, ₹ 457.61 करोड़ (10.54 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹ 4,801.31 करोड़ हो गए जो कि राज्य के राजस्व का 17 प्रतिशत था।

तालिका 1.11: वर्ष 2016-17 व 2017-18 के दौरान केन्द्रीय कर अन्तरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति	2016-17 के वास्तविक आंकड़े	2017-18 के वास्तविक आंकड़े	भिन्नता
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	राज्यों को केन्द्रीय करों को	-	484.84	484.84
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	सांझा करने योग्य राशि का	-	68.36	68.36
निगम कर	42 प्रतिशत	1,393.48	1,470.67	77.19
आयकर		968.47	1,241.88	273.41
सम्पत्ति कर		3.19	(-)0.04	(-) 3.23
सीमा शुल्क		599.42	484.70	(-) 114.72
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		684.49	506.50	(-) 177.99
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क		0.01	-	(-) 0.01
सेवा कर		694.64	544.40	(-) 150.24
योग		4,343.70	4,801.31	457.61

14वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्यांश को 32 से 42 प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की। तदनुसार, केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में (सेवा कर को छोड़कर) तथा सेवा कर की निवल प्राप्तियों में राज्यांश को क्रमशः 0.713 प्रतिशत एवं 0.722 प्रतिशत पर स्थिर किया गया। वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय कर अन्तरण में वृद्धि मुख्य रूप से एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (₹ 484.84 करोड़), आयकर (₹ 273.41 करोड़), निगम कर (₹ 77.19 करोड़) तथा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹ 68.36 करोड़) के अंतर्गत हुई।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति तालिका 1.12 में दी गई है।

तालिका 1.12: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूंजीगत प्राप्तियां	4,067	11,568	6,155	8,633	5,675
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	19.89	184.44	(-) 46.79	40.26	(-) 34.26
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	शून्य	650	शून्य	शून्य	35
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	17	41	26	30	40
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-) 19.05	3964.71	(-) 96	15.38	150.00
लोक ऋण प्राप्तियां	4,050	10,877	6,129	8,603	5,600
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां	3,991	10,752	6,079	8,502	5,518
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	59	125	50	101	82
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	20.14	168.57	(-) 43.65	40.37	(-) 34.91

* हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम के पूंजी विनिवेश से प्राप्तियां।

2013-18 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 125 दिनों तक न्यूनतम रोकड़ अथ शेष रखने की पॉलिसी में 2014-15 के दौरान अधिक अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों (₹ 6,860 करोड़) को लेने के कारण पूंजीगत प्राप्तियों में 2013-14 के ₹ 4,067 करोड़ से 2014-15 में ₹ 11,568 करोड़ तक वृद्धि हुई। 2015-16 में यह काफी हद तक घट गए और ₹ 6,155 करोड़ रहा जबकि 2016-17 में उदय योजना डिस्कॉम को दिए गए

₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण के समावेश के कारण इसमें पुनः वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान, पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 2,958 करोड़ घटकर 2016-17 में ₹ 8,633 करोड़ से ₹ 5,675 करोड़ पर आ गई। 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के कारण भारत सरकार से क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त विविध पूंजीगत प्राप्तियों तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में वृद्धि के कारण गतवर्ष की अपेक्षा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 45 करोड़ (150 प्रतिशत) बढ़ गई।

पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोतों के विवरणों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

1.4.1 ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश निजी संस्थागत नियामक आयोग, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता, हिमाचल प्रदेश विपणन एवं उपभोक्ता परिसंघ निगम लिमिटेड (हिमफैड), हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम, नगर निगम धर्मशाला तथा नगर परिषद् सोलन आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए थे। 31 मार्च, 2018 तक कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹ 6,507 करोड़ थे। इसमें से राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान केवल ₹ 40 करोड़ वसूल किए। इसके अतिरिक्त, ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के रूप में ₹ 256 करोड़ प्राप्त किए गए। ऋणों व अग्रिमों की विस्तृत स्थिति परिच्छेद 1.8.3 में वर्णित है।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां

आन्तरिक स्रोतों अर्थात् बाजार ऋण/विभिन्न वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से उधार की गई ऋण प्राप्तियां 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य सरकार की निरन्तर प्राप्तियों के स्रोत बने रहे।

तालिका 1.13: आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों के विवरण

	(₹ करोड़ में)				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
i) बाजार ऋण	2,367 (59)	2,345 (22)	2,450 (40)	3,400 (40)	4,600(84)
ii) केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	617 (15)	1,102 (10)	1,307 (22)	शून्य	शून्य
iii) अर्थोपाय अग्रिम (अधिविकर्ष सहित)	629(16)	6,860 (64)	1,785 (29)	1,671 (20)	400(7)
iv) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण (नबाई)	350 (9)	400 (4)	500 (8)	500 (6)	500(9)
v) अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण	28 (1)	45 (*)	37 (1)	2,931 [#] (34)	18(*)
आंतरिक ऋण प्राप्तियां (योग (i से v))	3,991	10,752	6,079	8,502	5,518
आंतरिक ऋण चुकौतियां	1,639 (41)	8,193 (76)	3,876 (64)	3,869 (46)	3,421 (62)

कोष्ठकों के आंकड़े आन्तरिक ऋण प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं

* एक प्रतिशत से कम # उदय स्कीम के तहत डिस्कॉम को संवितरण हेतु उठाए ऋणों के ₹ 2,890.50 करोड़ शामिल हैं।

गत पांच वर्षों में बाजार ऋण, आंतरिक ऋण का मुख्य घटक था। 2017-18 में, बाजार ऋणों में ₹ 1,200 करोड़ की वृद्धि हुई क्योंकि 2016-17 के बाद से राज्य सरकार ने भारत सरकार की राष्ट्रीय बचत योजना निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों से उधार लेना बंद कर दिया और इसने बाजार से सीधे उधार लेना जारी रखा।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

गत वर्ष की अपेक्षा 2017-18 के दौरान भारत सरकार से लिए अग्रिमों व कुल बकाया ऋणों में ₹ 27 करोड़ की वृद्धि हुई। भारत सरकार से ₹ 82 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए तथा वर्ष (2017-18)

के दौरान ₹ 79 करोड़ चुका दिए गए। विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य को भारत सरकार से प्राप्त ऋणों तथा अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.14 में दी गई है:

तालिका 1.14: भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिमों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अथ शेष	1,018	1,012	1,070	1,049	1,076
वर्ष के दौरान प्रदत्त	59	125	50	101	82
वर्ष के दौरान निस्तारण	65	67	71	74	79
अंत शेष	1,012	1,070	1,049	1,076	1,079

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उच्चत, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं, के संदर्भ में प्राप्तियों तथा संवितरणों को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत संस्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मत की शर्ताधीन नहीं हैं। यहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरणों के बाद शेष वह उपलब्ध निधि होती है, जिसका सरकार उपयोग कर सकती है। वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति तालिका 1.15 में दर्शाई गयी है।

तालिका 1.15: 2016-17 और 2017-18 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा संवितरण		संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य	
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	3,403	3,768	2,198	2,376	1,205	1,392
आरक्षित निधि	249	420	249	315	--	105
जमा तथा अग्रिम	2,727	2,874	2,546	2,685	181	189
उच्चत तथा विविध	800	763	872	882	(-)72	(-) 119
प्रेषण	6,451	6,854	6,486	6,785	(-)35	69
कुल	13,630	14,679	12,351	13,043	1,279	1,636

निवल लोक लेखा प्राप्तियां = लोक लेखा प्राप्तियां- लोक लेखा संवितरण


निवल लोक लेखा प्राप्तियां (संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य) 2016-17 के ₹1,279 करोड़ से ₹ 357 करोड़ बढ़कर 2017-18 में ₹1,636 करोड़ हो गई। इस अवधि के दौरान यह वृद्धि मुख्यतः लघु बचतों, भविष्य निधि इत्यादि के अंतर्गत ₹ 187 करोड़ से, आरक्षित निधि में ₹ 105 करोड़ तथा विप्रेषित धन के अंतर्गत ₹ 104 करोड़ हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत राजकोषीय घाटे के वित्त-पोषण में निधियों की निवल उपलब्धता का मुख्य शेर रहा।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण, व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, प्रतिबाद्धित व्यय (वेतनों, ब्याज भुगतानों, सब्सिडियों, पेंशन भुगतानों पर व्यय) जैसे विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किया जाता है तथा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।


1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट-1.9 विगत पांच वर्षों (2013-18) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति एवं संघटन प्रस्तुत करता है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' व 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' की दृष्टि से इसका संघटन क्रमशः चार्ट 1.10 तथा चार्ट 1.11 में दर्शाया गया है।




कुल व्यय

राज्य का कुल व्यय, 11 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर 2013-14 के ₹ 19,739 करोड़ से बढ़कर, 2017-18 में ₹ 31,312 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान यह घटकर ₹ 821 करोड़ (तीन प्रतिशत) हो गया। पिछले वर्ष की अपेक्षा ऋणों तथा अग्रिमों के कारण कुल व्यय में गिरावट हुई 2016-17 में उदय स्कीम के अंतर्गत डिस्कॉम को ₹ 2,890.50 करोड़ के संवितरित ऋणों के समावेश से यह ₹ 2,787 करोड़ घट गया।



व्यय के इन घटकों के सापेक्ष अंश की गति, व्यय के प्रमुख घटकों में अंतर वर्षीय विचलन दर्शाती है। अविकासात्मक समझे जाने वाला सामान्य सेवा पर व्यय (ब्याज भुगतान सहित) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में 2016-17 के 30.92 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 35.77 प्रतिशत हो



गया। सामान्य सेवाओं में व्यय मुख्य रूप से ब्याज भुगतानों (34 प्रतिशत) तथा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (42 प्रतिशत) के कारण था। दूसरी ओर, सामाजिक तथा आर्थिक दोनों सेवाओं पर विकास व्यय² वर्ष 2016-17 के दौरान 58.81 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में 62.59 प्रतिशत हो गया। 2016-17 के दौरान उदय स्कीम के तहत डिस्कॉम को संवितरित ₹ 2,890.50 करोड़ की ऋण राशि के अलावा ऋणों तथा अग्रिमों का अंश लगभग स्थिर रहा (10.24 प्रतिशत)। 2017-18 के दौरान यह कुल व्यय का 1.61 प्रतिशत था।

1.6.1.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय वर्ष 2016-17 में ₹ 25,344 करोड़ से ₹ 1,709 करोड़ (सात प्रतिशत) बढ़कर 2017-18 में ₹ 27,053 करोड़ हो गया। व्यय वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं पर ₹ 1,281 करोड़ (13 प्रतिशत) तथा सामाजिक सेवाओं पर ₹ 727 करोड़ (आठ प्रतिशत) थी। राजस्व में समग्र वृद्धि शिक्षा, खेलों, कला एवं संस्कृति (₹ 754 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 429 करोड़), स्वास्थ्य व परिवार कल्याण (₹ 242 करोड़)। शीर्षों के अंतर्गत प्रमुख वृद्धि के परिणामस्वरूप थी। वर्ष 2013-18 के दौरान राजस्व व्यय लगातार कुल व्यय के प्रभावी अनुपात (79 से 88 प्रतिशत) में बना रहा और 11 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा। वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व व्यय में कुल व्यय का 86.4 प्रतिशत भाग प्रयुक्त हुआ।

वर्ष 2017-18 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य की राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय का प्रतिशत क्रमशः 20.14 प्रतिशत और 19.90 प्रतिशत रहा। 2017-18 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 314 करोड़ था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.23 प्रतिशत था।

1.6.1.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में पिछले पांच वर्षों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 3,756 करोड़) गत वर्ष 2016-17 (₹ 3,499 करोड़) की तुलना में ₹ 257 करोड़ (सात प्रतिशत) बढ़ गया।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति (₹ 342 करोड़) व जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 516 करोड़), आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत विद्युत परियोजनाएं (₹ 187 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 251 करोड़) तथा परिवहन (₹ 1,694 करोड़) प्रमुख लाभकारी क्षेत्र थे जिनमें 2017-18 के दौरान पूंजीगत व्यय किया गया था। कुल व्यय के संदर्भ में पूंजीगत व्यय का शेयर 2016-17 के 10.9 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 12 प्रतिशत हो गया।

1.6.2 प्रतिबद्धित व्यय

राज्य सरकार का राजस्व लेखा पर प्रतिबद्धित व्यय ब्याज भुगतानों, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय, पेंशनों तथा उपदानों से समाविष्ट रहता है।


² परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें।

तालिका 1.16: प्रतिबद्धित व्यय के संघटक

(₹ करोड़ से)

प्रतिबद्धित व्यय के संघटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 बी0ई0	2017-18
वेतन तथा मजदूरियां, जिनमें	7,545 (48)	8,418 (47)	8,174 (35)	9,682(37)	9,627.61	10,766(39) *
आयोजनेत्तर शीर्ष	7,289	8,159	7,826	9,345	-	10,462
योजनागत शीर्ष	256	259	348	337	-	304
ब्याज भुगतान	2,481 (16)	2,849 (16)	3,155 (13)	3,359(13)	3,500.00	3,788(14)
पेंशन	2,855 (18)	2,914 (16)	3,836 (16)	4,114(16)	4,950.00	4,709(17)
उपदान	467 (3)	801 (4)	1,346 (6)	764(3)	1,037.52	907(3)
योग	13,348	14,982	16,511	17,919	19,115.13	20,170
राजस्व व्यय पर प्रतिशतता	77	76	74	71		75

* वेतन: ₹ 10,519 करोड़; मजदूरी: ₹ 247 करोड़ कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में प्रतिशतता इंगित करते हैं।



राज्य के प्रतिबद्धित व्यय में निरन्तर वृद्धि हुई। गत वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 2,251 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इन पर राजस्व व्यय का प्रभावी हिस्सा प्रयुक्त हुआ और वर्ष 2013-18 के दौरान 71 प्रतिशत व 77 प्रतिशत के बीच रहा, जिससे सरकार को विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च करने की बहुत कम गुंजाईश बची थी।

वेतन एवं मजदूरी

वेतन तथा मजदूरी के व्यय में 2013-14 के ₹ 7,545 करोड़ से 2017-18 में ₹ 10,766 करोड़ की वृद्धि हुई। स्टाफ को मंहगाई भत्ता किस्तों व अन्य लाभों के भुगतान के कारण गत वर्ष की अपेक्षा यह ₹ 1,084 करोड़ (11 प्रतिशत) बढ़ गया। 2017-18 के दौरान यह राज्य के राजस्व प्राप्तियों का 39 प्रतिशत था। चालू वर्ष में वेतन व्यय (₹ 10,519 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्रक्षेपणों (₹ 9,628 करोड़) के बनाए अनुमानों से अधिक था।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतानों पर व्यय 2013-14 में ₹ 2,855 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 4,709 करोड़ हो गया जो कि गतवर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान ₹ 595 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाता है। वेतन एवं पेंशन भुगतान मिलकर राजस्व व्यय का 58 प्रतिशत था (चार्ट-1.12)। चालू वर्ष के दौरान पेंशन

भुगतानों पर वास्तविक व्यय मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में किये गये प्रक्षेपणों (₹ 4,950 करोड़) के भीतर था।

नई पेंशन योजना

15 मई 2003 के पश्चात् नियुक्त किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के अंतर्गत लिया गया है, जो सीमित (पारिभाषित) अंशदायी योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार कर्मचारी उसके मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा बराबर अंश मिलाया जाता है तथा समस्त राशि, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार निगम यानि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉस्टिरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक) के माध्यम से अधिकृत निधि प्रबंधक को स्थानांतरित की जाती है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार ने कर्मचारी अंश से ₹ 260.99 करोड़ प्राप्त किए। राज्य सरकार के अंश के रूप में ₹ 260.99 करोड़ के अनुदान को मिलाने को ध्यान में रखते हुए तथा शीर्ष 8342 के तहत लोक लेखा में उपलब्ध ₹ 8.05 करोड़ के अथ शेष को खाते में रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी डिपॉस्टिरी लिमिटेड को ₹ 530.03 करोड़ स्थानांतरित किए जाने थे। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉस्टिरी लिमिटेड तथा उप-निदेशक, कोषागार एवं लेखा से प्राप्त सूचना के अनुसार, ₹ 529.66 करोड़ की कुल राशि (कर्मचारियों के ₹ 264.85 करोड़ तथा नियोज्य अंश के ₹ 264.85 करोड़ जिसमें पिछली राशि भी शामिल है) वर्ष के दौरान जमा की गई।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतानों में 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 2013-14 के ₹ 2,481 करोड़ से 2017-18 में ₹ 3,788 करोड़ हो गए। गत वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान ₹ 429 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 14 प्रतिशत था। **ब्याज भुगतान चौदहवें वित्त आयोग के मानदण्डात्मक निर्धारण (₹ 3,736 करोड़) तथा राज्य सरकार द्वारा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों के प्रक्षेपणों (₹ 3,500 करोड़) के अन्तर्गत था।** यह पाया गया कि ब्याज भुगतान का वृद्धिकारी निर्गमन बढ़े हुए वाणिज्यिक उधारों के कारण था जैसे कि **परिच्छेद 1.9.2** में विवरण दिया गया है।

उपदान

राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/निकायों/निगमों आदि को उपदानों का भुगतान कर रही है। **तालिका 1.16** दर्शाती है कि लगातार दो वर्षों 2014-15 तथा 2015-16 में वृद्धि के पश्चात् 2016-17 के दौरान दिए गए उपदानों में ह्रास हुआ। **2017-18 में उपदान ₹ 143 करोड़ बढ़ गए जोकि राजस्व प्राप्तियों का लगभग 3 प्रतिशत था। उपदानों के मुख्य संघटक ऊर्जा (₹ 360 करोड़); परिवहन (₹ 160 करोड़), खाद्य एवं आपूर्ति (₹ 218 करोड़) तथा उद्योग (₹ 68 करोड़) थे।**

वर्ष 2016-17 व 2017-18 के दौरान दिए गए अंतर्निहित कुछ उपदान नीचे दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.17: 2016-17 व 2017-18 के दौरान अंतर्निहित उपदान

(₹ करोड़ में)

योजना के नाम	2016-17	2017-18
विवाह सहायता योजना	9.92	8.46
स्कूली बच्चों को मुफ्त वर्दी का वितरण	42.97	49.23
विद्यार्थियों को किताबों, लैपटॉप, साईकिल आदि का मुफ्त वितरण	43.44	37.58

स्रोत: वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश।

1.6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, विभिन्न संस्थाओं को अवमुक्त किये गये सहायता अनुदानों की विस्तृत स्थिति तालिका 1.18 में दी गई है।

तालिका 1.18: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अवमुक्त किए गए सहायता अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पंचायती राज संस्थाएं	327.13(25)	780.89(139)	427.34(-45)	696.64(63)	567.75(-19)
शहरी स्थानीय निकाय	281.55(63)	202.24(-28)	319.54(58)	544.66(70)	257.78(-53)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	64.16(-24)	53.81(-16)	125.63(133)	150.84(20)	164.01(9)
स्वायत्त निकाय	356.99(7)	502.17(41)	641.87(28)	759.23(18)	799.08(5)
शिक्षा	222.24(13)	341.89(54)	341.40(-)	479.47(40)	492.21(3)
अन्य संस्थाएं	185.82(21)	275.18(48)	756.50(175)	726.14(-4)	614.62(-15)
योग	1,437.89(20)	2,156.18 (50)	2,612.28 (21)	3,356.98(29)	2,895.46(-14)
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता अनुदान	8.28	10.90	11.71	13.25	10.70
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सहायता अनुदान	9.15	12.08	11.14	12.78	10.58

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त खाते

कोष्ठकों के आंकड़े गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि/ह्रास दर्शाते हैं।

2013-17 की अवधि में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दिये गए अनुदानों में लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति सामने आई। यद्यपि, विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष (2017-18) के दौरान मुख्यतः योजनागत अनुदानों से यह ₹ 461.52 करोड़ (14 प्रतिशत) घट गया। 2017-18 के दौरान नगर निगमों व नगर पालिकाओं (₹ 286.88 करोड़), पंचायती राज संस्थाओं (₹ 128.89 करोड़) तथा अन्य विकास एजेंसियों (₹ 111.52 करोड़) इत्यादि को कम अनुदान मिलने से सहायता अनुदान में गिरावट हुई। 2013-18 के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को मिला अनुदान, राज्य के राजस्व व्यय का आठ से 13 प्रतिशत था।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन पहलुओं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएं प्रदान करवाने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय- परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण) में सम्मिलित है।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

मानवीय विकास स्तर की वृद्धि हेतु राज्यों से अपेक्षा है कि वे मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपना व्यय बढ़ाएं। यदि किसी विशेष व्यय शीर्ष को प्रदत्त प्राथमिकता उस वर्ष में विशेष श्रेणी वाले राज्यों के औसत से न्यून है तो उस क्षेत्र को न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (सकल व्यय पर व्यय श्रेणी अनुपात) से सम्बद्ध किया कहा जा सकता है।

चालू वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, वर्ष 2013-14 को आधार वर्ष मानते हुए विशेष श्रेणी राज्यों के सापेक्ष विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण तालिका 1.19 में दर्शाया है।


तालिका 1.19: 2013-14, 2016-17 व 2017-18 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राजकोषीय प्राथमिकता सूचक	2013-14		2016-17		2017-18	
	विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	23.5	20.83	27.4	25.8	25.8	23.04
विकास व्यय# / कुल व्यय	64.0	63.80	61.4	69.03	58.9	64.18
सामाजिक क्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	37.6	36.41	34.2	33.15	34.9	36.66
आर्थिक क्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	29.3	27.39	30	35.88	28.9	27.52
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	13.8	9.40	13.6	10.89	15.5	12.00
शिक्षा/ कुल व्यय	18.3	19.21	16.6	16.31	18.2	19.29
स्वास्थ्य/ कुल व्यय	5.4	5.44	5.4	5.56	6.2	6.41

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय व सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के तहत संवितरित ऋण व अग्रिम शामिल हैं।

चार्ट 1.13: वर्ष 2017-18 हेतु लोक व्यय में प्राथमिकता का प्रतिशत



- विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में राज्य का कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सभी वर्षों (2013-14, 2016-17 व 2017-18) में कम था।
- राज्य ने 2017-18 में विकास व्यय के लिए पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता नहीं दी जिससे पिछले वर्ष (69.03 प्रतिशत) के इसके कुल व्यय का प्रतिशत पांच प्रतिशत अंकों से (64.18 प्रतिशत) घट गया। यह मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में कम व्यय (8.36 प्रतिशत अंकों से कम) के कारण हुआ।
- राज्य के समेकित व्यय के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का अनुपात विगत वर्ष (10.89 प्रतिशत) से 2017-18 के दौरान (12 प्रतिशत) थोड़ा सा बढ़ा था (एक प्रतिशत अंक) किन्तु यह विशेष श्रेणी राज्य के अनुपात (15.5 प्रतिशत) से कम (3.5 प्रतिशत अंक) था।

राज्य सरकार को विकास व्यय, विशेष रूप से पूंजीगत व्यय को अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जिससे आर्थिक विकास को बल मिले।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय का अंश औसत 52 प्रतिशत रहा। विगत वर्ष में विकास राजस्व व्यय 2.74 प्रतिशत बढ़ गया तथा चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय में इसका अंश भी दो प्रतिशत बढ़ गया। विकास पूंजीगत व्यय में 2013-14 से 2017-18 में बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई तथा वर्ष 2013-14 के ₹ 1,774 करोड़ से ₹ 1,790 करोड़ बढ़कर 2017-18 में ₹ 3,564 करोड़ हो गया और कुल व्यय में इसका अंश गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2017-18 के दौरान एक प्रतिशत बढ़ गया। 2013-14 की अवधि की अपेक्षा 2017-18 में सकल विकास व्यय में 59.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कुल व्यय में इसके अंश में 2016-17 के 69 प्रतिशत से 2017-18 में 64 प्रतिशत की गिरावट हुई।

तालिका 1.20: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के संघटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल व्यय	19,739	22,734	25,630	32,133*	31,312
विकास व्यय	12,601 (64)	15,038 (66)	16,729 (65)	22,180* (69)	20,097 (64)
(क) विकास राजस्व व्यय	10,296 (52)	12,174(54)	13,505 (53)	15,606 (49)	16,034 (51)
(ख) विकास पूंजीगत व्यय	1,774 (9)	2,390 (11)	2,776 (11)	3,291 (10)	3,564 (11)
(ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	531 (3)	474 (2)	448 (2)	3,283* (10)	499 (2)

कोष्ठकों के आंकड़ें कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

*इसमें उदय स्कीम के अंतर्गत डिस्काँम को दिए गए ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण शामिल

गतवर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2017-18 के दौरान, सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं में वेतन एवं मजदूरी व्यय क्रमशः ₹ 783 करोड़ (14 प्रतिशत) और ₹ 159 करोड़ (सात प्रतिशत) बढ़ गया जबकि सामाजिक सेवाओं में परिचालन व अनुरक्षण व्यय ₹ 51 करोड़ (चार प्रतिशत) घट गया तथा आर्थिक सेवाओं में ₹ 249 करोड़ (19 प्रतिशत) बढ़ गया।

तालिका 1.21: विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय	क्षेत्र	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय पर पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय	
						वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण
2016-17	32,133	सामाजिक सेवाएं	9,610	1,041	3.24	5,656	1,176
		आर्थिक सेवाएं	5,996	2,250	7.00	2,166	1,280
योग (सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं):			15,606	3,291		7,822	2,456
2017-18	31,312	सामाजिक सेवाएं	10,337	1,135	3.62	6,439	1,125
		आर्थिक सेवाएं	5,697	2,429	7.76	2,325	1,529
योग (सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं):			16,034	3,564		8,764	2,654

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे व वाऊचर स्तर का कम्प्यूटरीकरण डाटा।

आगे यह देखा गया, 2017-18 के दौरान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का प्रतिशत अनुपात क्रमशः चार व आठ प्रतिशत रहा। तथापि, गतवर्ष की अपेक्षा 2017-18 के दौरान दोनों ही सेवा क्षेत्रों में एक प्रतिशत से कम की अल्प वृद्धि हुई।

दोनों ही सेवा क्षेत्रों (सामाजिक व आर्थिक) के राजस्व व्यय में वेतन तथा भुगतान का हिस्सा (₹ 8,764 करोड़) 2016-17 (₹ 7,822 करोड़) की तुलना में 2017-18 में ₹ 942 करोड़ बढ़ गया। सामाजिक सेवाओं में वेतन तथा भुगतान में 13.84 प्रतिशत तथा आर्थिक सेवाओं में 7.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गत वर्ष की अपेक्षा 2017-18 के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में ₹ 618.50 करोड़ (66 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

दोनों ही सेवा क्षेत्रों (सामाजिक व आर्थिक) के राजस्व व्यय में परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय का हिस्सा 2016-17 (₹ 2,456 करोड़) की अपेक्षा 2017-18 (₹ 2,654 करोड़) में ₹ 198 करोड़ बढ़ गया।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

अनुवर्ती राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन के कार्य ढांचे में राज्य से इसके राजकोषीय घाटे (तथा उधार) को न केवल निम्न स्तरों पर रखने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि इसके पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने के लिए तथा उधार निधियों की लागत को वसूल करने के लिए अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है, न कि इसे अन्तर्निहित उपदान के रूप में बजट से वहन किया जाए तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित कदम उठाएं। यह प्रवर्ग विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गए निवेशों तथा अन्य पूंजीगत व्ययों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रदर्शित करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं/कार्य

31 मार्च 2018 तक की अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों की विभाग-वार जानकारी वित्तीय लेखा के परिशिष्ट-IX में दर्शाई गई है जिसे तालिका 1.22 में दिया गया है।

तालिका 1.22: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)				
विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं/ कार्यों की संख्या	आरम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं/ कार्यों की संशोधित कुल लागत	31 मार्च 2018 तक कुल व्यय
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	08	58.23	108.63*	87.91
लोक निर्माण कार्य (भवन एवं सड़कें)	03	182.53	अनुपलब्ध	88.23
योग	11	240.76		176.14

स्रोत: वित्त लेखे। एन0ए0: अनुपलब्ध।

* केवल चार परियोजनाओं की संशोधित लागत।

11 अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर खर्च हुए ₹ 176.14 करोड़ के व्यय (मार्च 2018) से परिकल्पित लाभ नहीं मिला। इन परियोजनाओं/कार्यों को जुलाई 2005 व मार्च 2018 के मध्य पूर्ण किया जाना था।

परियोजनाओं की पूर्णता में विलम्ब ने न सिर्फ व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित किया बल्कि राज्य को अपेक्षित कार्यों एवं आर्थिक विकास से भी वंचित रखा।

अपूर्ण योजनाओं की समयबद्ध पूर्णता हेतु राज्य सरकार को दिशा-निर्देश निरूपित करना चाहिए तथा चूक, समय एवं लागत वृद्धि को कम करने के लिए कार्यों के निष्पादन की भौतिक एवं आर्थिक प्रगति पर बारीकी से निगरानी रखनी चाहिए।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2018 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी सोसायटियों में ₹ 3,533 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.23)। निवेश पर औसत प्रतिफल 5.88 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2013-18 के दौरान अपने उधारों पर 7.78 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

तालिका 1.23: निवेशों पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अथ शेष (₹ करोड़ में)	2,764	3,025	2,732	3,041	3,294
वर्ष के दौरान निवेश (₹ करोड़ में)	261	(-) 293	309	253	239
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹ करोड़ में)	3,025	2,732	3,041	3,294	3,533
प्रतिफल (लाभांश/ब्याज) (₹ करोड़ में)	103.42	171.00	111.94	289.63	255.58
प्रतिफल (प्रतिशत में)	3.42	6.26	3.68	8.79	7.23
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (आईपीओ/विगत दो वर्षों की राजकोषीय देयताओं का औसत) (प्रतिशत में)	7.71	7.91	7.95	7.60	7.71
ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत में)	4.29	1.65	4.27	(-)1.19	0.48
सरकारी उधारों पर ब्याज दर व निवेशों पर प्रतिफल के मध्य अंतर (₹ करोड़ में)	129.77	45.08	129.85	-	16.96

स्रोत: वित्त लेखे। एन0ए0: अनुपलब्ध।

पिछले पांच वर्षों में सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी सोसायटियों में निवेशों पर प्रतिफल तथा सरकारी उधारों की लागत में ₹ 321.66 करोड़ का अंतर था।

यद्यपि विगत वर्ष 2016-17 (₹ 3,294 करोड़) से 2017-18 (₹ 3,533 करोड़) में सरकारी निवेशों में 7.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई, गत वर्ष 2016-17 (₹ 289.63 करोड़) की अपेक्षा 2017-18 (₹ 255.58 करोड़) में निवेशों से प्रतिफल में 11.76 प्रतिशत की गिरावट गत वर्ष की अपेक्षा 2017-18 के दौरान सतलुज जल विद्युत निगम से ₹ 33.76 करोड़ के लाभांश की कम प्राप्ति के कारण हुई। पिछले पांच वर्षों में लाभांश का मुख्य अंशदाता सतलुज जल विद्युत निगम था। वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 255.58 करोड़ के कुल लाभांश में से ₹ 253.20 करोड़ (99 प्रतिशत) सतलुज जल विद्युत निगम से आए थे। 2017-18 के दौरान, हानि संचित करने वाले (घाटे वाले) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में लगभग 86 प्रतिशत निवेश किए गए थे जो मुख्य थे हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम (₹ 137.13 करोड़), हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (₹ 50 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (₹ 17.27 करोड़)। इन सरकारी कम्पनियों/निगमों ने अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार हानियां संचित की थी वे हैं हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम (₹ 5.70 करोड़, 2015-16 तक), हिमाचल पथ परिवहन निगम

(₹ 1,113.91 करोड़, 2016-17 तक), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (₹ 1,999.64 करोड़, 2015-16 तक)।

1.8.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

i. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2018 तक, 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 13,643.29 करोड़ के हुए निवेश (प्रदत्त पूंजी, तथा दीर्घावधि ऋण) तालिका 1.24 एवं परिशिष्ट 1.6 में दिए गए हैं।

तालिका 1.24 प्रदत्त शेयर पूंजी में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम*			सकल योग
	प्रदत्त पूंजी	दीर्घावधि ऋण	योग	प्रदत्त पूंजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील	3,332.04	9,077.67	12,409.71	820.06	334.73	1,154.79	13,564.50
अकार्यशील	18.64	60.15	78.79	-	-	-	78.79
योग	3,350.68	9,137.82	12,488.50	820.06	334.73	1,154.79	13,643.29

*हिमाचल प्रदेश वित्त निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम

31 मार्च 2018 तक सकल कुल निवेश का 99.42 प्रतिशत कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में था तथा शेष 0.58 प्रतिशत अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में था। इस सकल निवेश में, 30.57 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी तथा 69.43 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण समाविष्ट है।

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति (अप्रैल 2011) निर्मित की थी, जिसके अंतर्गत सभी लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, (कल्याण एवं यूटिलिटी क्षेत्र को छोड़कर) कर के पश्चात लाभ के 50 प्रतिशत सीमांकन पर, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पूंजी पर पांच प्रतिशत न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करेगा। अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार सात सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम³ ने कुल ₹ 20.13 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिनमें से केवल दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (हिमाचल प्रदेश राज्य वितरण कार्पोरेशन व हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम) ने 2015-16 के दौरान, लाभांश ₹ 1.89 करोड़ घोषित/भुगतान किया। शेष पांच लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने राज्य सरकार को अपने लाभांश का भुगतान नहीं किया।

ii. घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखे बकाया हैं, को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बजटीय सहायता/निवेश:

राज्य सरकार ने 22 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (छ: घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित जिनका विवरण परिशिष्ट 1.8 में दिया गया है) में ₹ 4,370.71 करोड़ का निवेश किया, जिनके लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 1.7 में विवेचना की गई है। लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने तथा इनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेशों को उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया या नहीं। अतः, इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार के निवेश को राज्य विधायिका की संवीक्षा से बाहर रखा गया।

राज्य सरकार भारी घाटा करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य-प्रणाली की समीक्षा पर विचार कर सकती है तथा जैसा भी मामला हो, उनके पुनरूद्धार या बंद करने के लिए रणनीतिक योजना बना सकती है।

³ हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सामान्य विभाग निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम।

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का समापन

31 मार्च 2018 तक, एग्रो पैकेजिंग उद्योग इण्डिया लिमिटेड तथा हिमाचल वर्स्टेड मिल्लज लिमिटेड, दो अकार्यशील कम्पनियां थी। हिमाचल वर्स्टेड मिल्लज लिमिटेड 2000-01 में परिसमापनाधीन थी, जबकि हिमाचल प्रदेश एग्रो पैकेजिंग उद्योग इण्डिया लिमिटेड की परिसमापन प्रक्रिया शुरू होनी थी।

अकार्यशील कम्पनियों ने न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान दिया न ही अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त किया तथा सरकार शीघ्रातिशीघ्र इन कम्पनियों को बंद करने पर विचार कर सकती है।

1.8.2.2 सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं में निवेश

सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में एवं संयुक्त उद्यमों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं के शीघ्र वितरण में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु अपूर्व एवं नवीन पद्धति प्रस्तुत करती हैं। मार्च 2018 तक आरम्भ की गई 25 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में से आठ सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं (लागत ₹ 166.50 करोड़) पूर्ण तथा प्रचालनाधीन थी और सौंपी गई 17 परियोजनाएं (अनुमानित लागत ₹ 1,209 करोड़) कार्यान्वयन के अधीन थी जैसा कि परिशिष्ट 1.9 में वर्णित है।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त राज्य सरकार शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति, पशुपालन आदि जैसे क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती है। तालिका 1.25 में 31 मार्च 2018 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों, विगत पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.25: राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

	(₹ करोड़ में)				
ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अथशेष	1,399	1,913	2,346	2,784	6,044
वर्ष के दौरान दी गई राशि	531	474	463	3,290*	503
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि	17	41	25	30	40
अंत शेष	1,913	2,346	2,784	6,044*	6,507
निवल वृद्धि	514	433	438	3,260	463
ब्याज प्राप्तियां	15	65	53	80	256
बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां	0.78	2.77	1.90	1.32	3.93
विगत वर्ष के बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	8.15	8.41	8.26	8.15	8.02
प्राप्त ब्याज दर और भुगतान ब्याज (प्रतिशत) के बीच अंतर	(-) 7.37	(-) 5.64	(-) 6.36	(-) 6.83	(-) 4.09

स्रोत: वित्त लेखे

* खाते में उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित।

31 मार्च 2018 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹ 6,507 करोड़ थी। वर्ष 2017-18 के दौरान प्रदत्त ₹ 503 करोड़ के अग्रिम के प्रति केवल ₹ 40 करोड़ लौटाए गए। ऋण का अधिकांश हिस्सा आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों (₹ 417.59 करोड़) को दिया गया। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की प्रतिशतता की तुलना में उधारों पर सरकार द्वारा अदा किए जा रहे ब्याज की औसत दर में भारी अन्तर था। यह कमी 2016-17 के दौरान 6.83 प्रतिशत थी जो वर्ष 2017-18 में उदय स्कीम के अंतर्गत डिस्काॅम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित) को दिए गए ऋण के प्रति मिले ₹ 228 करोड़ की ब्याज प्राप्तियों के कारण हुई वृद्धि से घटकर 4.09 प्रतिशत हो गयी।

वर्ष 2017-18 के दौरान दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.26 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.26: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

इकाईयां	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि	नियम व शर्तें	
			ब्याज की दर	अधिस्थगन अवधि यदि कोई हो
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित	9	262.68	10 प्रतिशत	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	52	154.90	10 प्रतिशत	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश विपणन एवं उपभोक्ता संघ निगम सीमित	1	20.00	9.05 प्रतिशत	निर्दिष्ट नहीं
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता	1	18.21	10.35 प्रतिशत	3 वर्ष
	3	18.11	10.60 प्रतिशत	
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित	1	8.00	ब्याज मुक्त	2 वर्ष
	1	4.00	8.5 प्रतिशत	
हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	3	5.45	8.5 प्रतिशत	2 वर्ष
नगर निगम, धर्मशाला	1	3.50	शर्तें एवं निबंधन को अंतिम रूप नहीं दिया गया	निर्दिष्ट नहीं
नगर परिषद, सोलन	1	3.50	शर्तें एवं निबंधन को अंतिम रूप नहीं दिया गया	निर्दिष्ट नहीं
सरकारी कर्मचारी	--	3.17	लागू नियमों के अनुसार	अनुपलब्ध
हिमाचल प्रदेश निजी संस्थागत नियामक आयोग	1	1.00	ब्याज मुक्त	निर्दिष्ट नहीं
योग:-	74	502.52		

स्रोत: वित्त लेखे।

1.8.3.1 नियम व शर्तों को अंतिम रूप दिए बिना ऋणों को अग्रिम/संस्वीकृत करना

2017-18 के दौरान ब्याज दर, ऋणों की अधिस्थगन अवधि इत्यादि से सम्बंधित नियम व शर्तों को अंतिम रूप दिए बिना ₹ सात करोड़ का ऋण संस्वीकृत किया गया। विवरण तालिका 1.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.27: सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण जिनके नियम व शर्तों को अंतिम रूप देना शेष है

क्रमांक	इकाईयां	ऋणों की संख्या	कुल राशि (₹ करोड़ में)	प्रारंभिक अवधि जिसके लिए बकाया राशि सम्बंधित है
1.	नगर निगम, धर्मशाला	1	3.50	2017-18
2.	नगर परिषद, सोलन	1	3.50	
	योग	02	7.00	

राज्य वित्त पर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी नियम व शर्तों को अंतिम रूप दिए बिना संस्वीकृत ऋणों के उदाहरण दिए गए थे। तथापि, राज्य सरकार ने अब तक कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की तथा ऋणी/इकाइयों को नियम व शर्तों को अंतिम रूप दिए बिना लगातार नए ऋण व अग्रिम प्रदान किए गए।

1.8.4 नकद शेष और नकद शेष का निवेश

तालिका 1.28 नकद शेष और राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान नकद शेष में से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 1.28: नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)


विवरण	01 अप्रैल 2017 तक	31 मार्च 2018 तक	वृद्धि (+)/कमी (-)
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागारों में नकद	शून्य	शून्य	शून्य
स्थानीय-पारगमन में प्रेषण	शून्य	शून्य	शून्य
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-)443.27	(-)540.68	(-)97.41
नकद शेष निवेश लेखा में किया निवेश	759.43	723.72	(-)35.71
योग (क)	316.16	183.04	(-)133.12
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय कार्यालयों अर्थात् लोक निर्माण विभाग आदि के पास नकद	0.16	0.16	शून्य
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	शून्य
योग (ख)	0.19	0.19	शून्य
योग (क+ख)	316.35	183.23	(-)133.12
(ग) नकद शेषों से निवेश			
भारत सरकार के कोषागार बिल	759.43	723.72	(-)35.71
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	7,150.02	6,635.31	(-) 514.71
(घ) नैमित्तिक शेषों से निवेश का निधिदार ब्यौरा	शून्य	शून्य	शून्य
(ङ) वसूल किया गया ब्याज	53.30	81.13	27.83

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष अनुरक्षित करना होता है। यदि किसी भी दिन शेष सम्मत न्यूनतम से नीचे जाता है तो यह कमी समय-समय पर साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार की साधारण अर्थोपाय अग्रिम के लिए सीमा 01.02.2016 से ₹ 550 करोड़ है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के गिरवी रखने के प्रति विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने के लिए भी सहमती प्रदान करता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार 363 दिनों तक ही न्यूनतम दैनिक नकद शेष रख पायी। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से दो अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम ₹ 400.14 करोड़ लेने पड़े और समस्त राशि की अदायगी कर दी गई थी तथा 2017-18 के अंत तक कोई अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष बकाया नहीं थे।

चालू वर्ष के अंत में राज्य सरकार का नकद शेष 2016-17 में ₹ 316.35 करोड़ से ₹ 133.12 करोड़ घटकर 2017-18 में ₹ 183.23 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान वसूल किए गए ब्याज में ₹ 27.83 करोड़ की वृद्धि हुई।

गत पांच वर्षों के बाजार उधारों की तुलना में नकद शेष चार्ट 1.14 में दर्शाया गया है:-



1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संघटक

सरकार की विद्यमान लेखांकन प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। **परिशिष्ट 1.4 (भाग ख)** 31 मार्च 2018 तक ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का 31 मार्च 2017 को उनकी तदनुसूची स्थिति की तुलना में सार को दर्शाता है। यद्यपि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखों एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है तथापि परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों व रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

वर्ष 2017-18 में परिसम्पत्तियां गत वर्ष की तुलना में ₹ 4,085.48 करोड़ (11.705 प्रतिशत) बढ़ी जबकि दायित्व ₹ 3,736.76 करोड़ (7.82 प्रतिशत) बढ़े। वित्तीय परिसम्पत्तियों/दायित्वों का अनुपात 2016-17 के 77 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 80 प्रतिशत हो गया।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं


राज्य की 2013-14 से 2017-18 तक के पांच वर्षों के बकाया राजकोषीय देयताओं की स्थिति तालिका 1.29 में दर्शाई गई है। विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष 2017-18 के दौरान राजकोषीय देयताओं का संयोजन चार्ट 1.15 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.29: कुल राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति

राजकोषीय देयताओं के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आंतरिक ऋण (₹ करोड़ में)	22,099	24,658	26,861	31,494	33,591
केन्द्र सरकार से ऋण (₹ करोड़ में)	1,012	1,071	1,049	1,076	1,079
लोक लेखा देयताएं (₹ करोड़ में)	10,773	12,463	13,287	14,674	16,360
योग	33,884	38,192	41,197	47,244[#]	51,030[#]
वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.31	12.71	7.87	14.68	8.01
राजकोषीय देयताओं से अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद*	0.36	0.37	0.36	0.38	0.38
राजस्व प्राप्तियां	2.16	2.14	1.76	1.80	1.86
स्वयं के संसाधन	4.91	4.76	4.83	5.40	5.39
राजकोषीय देयताओं से उल्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.78	1.34	0.85	1.53	0.85
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	15.61	0.94	0.25	1.22	1.91
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	0.75	0.79	1.23	5.62	0.98

सरकार की देयताएं, मुख्य रूप से आंतरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों व अग्रिमों तथा लोक लेखा में शेष से समाविष्ट है। 31 मार्च 2018 तक राज्य की कुल देयताएं ₹ 51,030 करोड़ थी, इसका संघटन चार्ट 1.15 में दिया गया है।

राज्य की सकल राजकोषीय देयताएं 2013-14 के ₹ 33,884 करोड़ से ₹ 17,146 करोड़ (51 प्रतिशत) बढ़कर 2017-18 में ₹ 51,030 करोड़ हो गया। राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं एवं लोक लेखा देयताएं समाविष्ट है। समेकित निधि देयता (₹ 34,671 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 21,574 करोड़) भारत सरकार से ऋण (₹ 1,079 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹ 12,018 करोड़ जिसमें भारत सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूति पर शामिल ₹ 6,635 करोड़) समाविष्ट थी।



लोक लेखा देयताओं (₹ 16,360 करोड़) में लघु बचतें तथा भविष्य निधियां (₹ 13,237 करोड़), ब्याज वहन करने वाली देयताएं तथा ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसे निक्षेप (₹ 2,798 करोड़) एवं आरक्षित निधियां (₹ 325 करोड़) समाविष्ट हैं।

2017-18 के दौरान राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर 8.01 प्रतिशत थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2013-18 के दौरान 36 से 38 प्रतिशत के मध्य था और 2017-18 में यह 38 प्रतिशत था तथा यह 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मानदण्डों (32.99 प्रतिशत) से व राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम एम0टी0एफ0पी0एस0 (32.92 प्रतिशत) से अधिक था। ये देयताएं 2017-18 के अन्त तक राजस्व प्राप्तियों के 1.86 गुणा व अपने राजस्व संसाधनों का 5.39 गुणा थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय दायित्वों का उल्लावकता अनुपात, 2017-18 के दौरान 0.85 पर स्थिर हुआ।

1.9.3 आरक्षित निधि तथा निक्षेपों के अंतर्गत लेन-देन

31 मार्च 2018 तक आरक्षित निधि में अंत शेष ₹ 325.02 करोड़ (जमा) था। इसमें से ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधि ₹ 8.48 करोड़ (जमा) तथा इस निधि का ब्याज वहन न करने वाला अंश ₹ 316.54 करोड़ (जमा) था।

12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकारों से अपेक्षित था कि वे दो महत्वपूर्ण आरक्षित निधियों का सृजन करें, जो हैं (i) बकाया देयताओं के ऋण शोधन तथा उनके द्वारा मुक्त बाजार से प्राप्त ऋणों की ऋण मुक्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित समेकित ऋण शोधन निधि तथा (ii) प्रदत्त प्रत्याभूतियों से उत्पन्न आकस्मिक दायित्वों की पूर्ति हेतु प्रत्याभूति विमोच्य निधि। इन निधियों की स्थिति निम्नागत दर्शाई गई है:

1.9.3.1 समेकित ऋण शोधन निधि

राज्य सरकार से अपेक्षित था कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त में पड़े बकाया दायित्वों के 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर से इस निधि में वार्षिक अंशदान करे तथापि राज्य सरकार ने कोई भी समेकित ऋणशोधन निधि सृजित नहीं की है। 31 मार्च 2017 को हिमाचल प्रदेश सरकार के बकाया दायित्व ₹ 47,244 करोड़ थे। यदि समेकित ऋण शोधन निधि होती तो 2017-18 में निधि के प्रति राज्य सरकार की देयता ₹ 236.22 करोड़ (गत वर्ष की बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत) होती जो दर्शाती है कि राजस्व अधिशेष में इस सीमा तक अत्योक्ति हुई तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई।

1.9.3.2 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

सरकार से अपेक्षित था कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियों के 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर से इस निधि में वार्षिक अंशदान से इस निधि का गठन करे तथापि राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी कोई निधि गठित नहीं की है। फलतः, 31 मार्च 2018 तक ₹ 22.75 करोड़ की सीमा तक राजस्व अधिशेष में अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई।

1.9.3.3 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि

13वें वित्त आयोग ने इसकी अनुशंसाओं में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु निधियों का प्रावधान किया था। दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, केन्द्र तथा राज्य सरकारों से 90:10 के अनुपातिक भाग में निधियों का अंशदान अपेक्षित है। इस सम्बंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि शेष निधियों को निर्दिष्ट निमित्तों में निवेश करना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अव्ययित शेषों पर अधिविकर्ष पर लागू दर के अनुसार ब्याज का भुगतान करना राज्य सरकार से भी अपेक्षित है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार ने, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु केन्द्र सरकार के अंशदान के हिस्से के 90 प्रतिशत के रूप में ₹ 234.00 करोड़ प्राप्त किए। राज्य सरकार ने इसके स्वयं के ₹ 26.00 करोड़ के हिस्से के प्रति ₹ 26.00 करोड़ अवमुक्त किए। 31 मार्च 2018 तक ₹ 260.94 करोड़ के कुल कोष (₹ 0.94 करोड़ के अथशेष में प्रमुख शीर्ष 2245-राहत से हस्तांतरित ₹ 260.00 करोड़ सहित) में से मुख्य शीर्ष-8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत निधि में ₹ 8.48 करोड़ शेष छोड़ते हुए राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं पर ₹ 252.46 करोड़ व्यय किए।

30 जुलाई 2015 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुछ प्राकृतिक आपदाओं में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत उपलब्ध निधि से अधिक व्यय (अतिरिक्त व्यय) की आवश्यकता होती है, वे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से तत्काल राहत सहायता प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त करेगी। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत ₹ 63.23 करोड़ प्राप्त किए, तथा 31 मार्च 2018 तक ₹ 0.87 करोड़ का अव्ययित शेष छोड़ते हुए ₹ 62.36 करोड़ का व्यय किए।

31 मार्च 2018 तक, राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि/राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि शेष के ₹ 9.35 करोड़ (₹ 8.48 करोड़+ ₹ 0.87 करोड़) निवेशित नहीं किए थे। यदि इन निधियों को सरकार द्वारा निवेश किया होता तो ₹ 0.75 करोड़ का ब्याज अर्जित किया होता।

1.9.4 आकस्मिक देयताएं

1.9.4.1 गारंटियों की प्रास्थिति




यदि ऋणी जिसकी राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटी दी गई है, कोई चूक करता है तो वे गारंटियां⁴ आकस्मिक देयतायें हैं।

वित्त लेखे के **विवरणी-20** के अनुसार विगत पांच वर्षों की बकाया गारंटियां **तालिका-1.30** में दी गई हैं।

⁴ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें।

तालिका 1.30: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

गारंटियां	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
गारंटियों की बकाया राशि (₹ करोड़ में)	4,333	4,281	3,714	4,550	4,394
पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति गारंटियों की बकाया राशि की प्रतिशतता	28	27	21	19	17



स्रोत: वित्त लेखे।

वर्ष के दौरान कोई गारंटी लागू नहीं की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त जानकारियों के आधार पर वित्त लेखाओं में गारंटी की अधिकतम राशि एवं गारंटी की बकाया राशि सूचित की गई है।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण रूपरेखा

तालिका 1.31: 31 मार्च 2018 तक ऋण की वृद्धि दर व परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)


क्रमांक	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	आन्तरिक ऋण	22,099 (96)	24,658 (96)	26,861(96)	31,494(97)	33,591(97)
	(i) बाजार ऋण	13,565 (59)	15,196 (59)	16,860(60)	19,023(59)	21,574(62)
	(ii) भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	285 (1)	285 (1)	--	--	--
	(iii) अधिविकर्ष	171 (1)	249 (1)	--	--	--
	(iv) वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2,306 (10)	2,252 (9)	2,350(8)	5,321(16)	5,382(16)
	(v) एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां	5,772 (25)	6,676 (26)	7,651(28)	7,150(22)	6,635(19)
2.	भारत सरकार से ऋण	1,012 (4)	1,071 (4)	1,049(4)	1,076(3)	1,079(3)
कुल लोक ऋण:		23,111	25,729	27,910	32,570	34,671*
राज्य ऋण की परिपक्वता रूप-रेखा (वर्षों में)						
	0 - 1	1,923(8)	2,046 (8)	2,268(8)	3,096(9)	3,181(9)
	1 - 3	3,514(15)	4,837(19)	6,236(22)	5,729(18)	4,644(13)
	3 - 5	5,470(24)	4,929(19)	4,331(16)	4,279(13)	5,043(15)
	5 - 7	3,162(14)	3,192(12)	4,339(16)	4,952(15)	6,469(19)
	7 या उससे ऊपर	9,042(39)	10,725(42)	10,736(38)	14,514(45)	15,334(44)

* 34,671 = 33,591.47 (आंतरिक ऋण) + 1,079.43 (भारत सरकार से ऋण व अग्रिम)

कोष्ठक में आंकड़े कुल लोक ऋण के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

कुल लोक ऋण 2013-14 के ₹ 23,111 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 34,671 करोड़ हो गया जिसमें वार्षिक औसत वृद्धि दर 10.85 प्रतिशत दर्ज की गयी। कुल लोक ऋण में बाजार से उधारों का अंश 2013-14 के 59 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 62 प्रतिशत हो गया। विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष (2017-18) के दौरान कुल लोक ऋण छः प्रतिशत बढ़ गया।


2013-14 से 2017-18 के दौरान लिए गए तथा पुनर्भुगतान किए गए बाजार ऋण का संघटन चार्ट 1.17 व 1.18 में दिया गया है:-



ऋण चुकौती अनुसूची

ऋण परिपक्वता रूपरेखा, ऋण चुकौती अथवा ऋण सर्विसिंग हेतु सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को इंगित करती है।


चार्ट 1.19: ऋण परिपक्वता रूपरेखा



स्रोत: वित्त लेखे।

मार्च 2018 तक कुल बकाया लोक ऋण ₹ 34,671 करोड़ था। राज्य ऋण की परिपक्वता रूप रेखा (तालिका 1.31 व चार्ट 1.19) इंगित करती है कि नौ प्रतिशत (₹ 3,181 करोड़) लोक ऋण आगामी वर्ष में देय है। 28 प्रतिशत (₹ 9,687 करोड़) आगामी 1-5 वर्षों में देय हैं जबकि शेष 63 प्रतिशत (₹ 21,803 करोड़) पांच वर्षोंपर अवधि में चुकता करने पड़ेंगे। जो यह दर्शाता है कि राज्य द्वारा सात वर्षों के भीतर 56 प्रतिशत ऋण का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ब्याज सहित बाजार ऋणों की चुकौती अनुसूची चार्ट 1.20 में दी गई है:-



टिप्पणी: 31 मार्च 2018 तक बकाया बाजार ऋणों हेतु परिपक्वता रूपरेखा विकसित की गई तथा वित्तीय वर्ष तक, जिसमें ऋण समाप्त होने वाले हैं, ब्याज की गणना की गई।

अगले 10 वर्षों के दौरान, राज्य को ₹ 10,164 करोड़ राशि के ब्याज समेत ₹ 21,574 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से ₹ 20,874 करोड़ (96.75 प्रतिशत) के बाजार ऋण को चुकाना है।

विगत 10 वर्षों में राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय में क्रमशः 11.94 प्रतिशत व 12.75 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई। इस वृद्धि दर को लागू करते हुए 2020-21 के दौरान राजस्व अधिशेष

₹ 7.05 करोड़ निकलेगा। यद्यपि, राज्य ₹ 2,167.50 करोड़ के उदय बॉण्ड्स को 2020-21 में सहायता अनुदान में रूपांतरित करने को प्रतिबद्ध है, अधिशेष ₹ 2,160.45 करोड़ के राजस्व घाटे में रूपांतरित हो जाएगा। इस वर्ष के दौरान, गत 10 वर्षों की वार्षिक वृद्धि दर (23.23 प्रतिशत) पर अनुमानित उधार ₹ 10,479.43 करोड़ होगा। 2020-21 में चुकौती हेतु देय ₹ 9,848.90 करोड़ की ऋण देयता पूरी करने से हुई गिरावट से उधार ली हुई निधियां ₹ 1,529.92 करोड़ के राजस्व घाटे को पूरा करने में कम पड़ जाएगी। अतः राज्य को इसकी देयताएं पूरी करने के लिए अतिरिक्त उधारों का आश्रय लेना होगा।

उधार ली गई निधियों की प्रयुक्ति

2013-14 से 2017-18 की अवधि हेतु पूर्व उधारों, पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय चुकाने के लिए उधार ली गई निधियों की प्रयुक्ति का वर्णन तालिका 1.32 में दिया गया है:

तालिका 1.32: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधार	पूर्व उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन)	निवल पूंजीगत व्यय	निवल ऋण व अग्रिम संवितरित	राजस्व व्यय के प्रति प्रयुक्त कुल उधारों का भाग
1.	2.	3.	4.	5	6 {2-(3+4+5)}
2013-14	4,050	1,704 (42)	1,856(46)	490(12)	लागू नहीं
2014-15	10,877	8,260(76)	1,823(17)	433(04)	361(3)
2015-16	6,129	3,948(64)	2,181(36)	लागू नहीं	लागू नहीं
2016-17	8,603	3,943(46)	3,499(41)	1,1619(13)	लागू नहीं
2017-18	5,600	3,500(63)	2,100(37)	लागू नहीं	लागू नहीं

* निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय-विविध पूंजीगत प्राप्तियां

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

वर्ष 2014-15 की अवधि के अतिरिक्त ऋण प्राप्तियों का कोई भी भाग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग नहीं किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं थी तथा उधारों में से ₹ 361 करोड़ की राशि राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग की गई।

1.10.2 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता राज्य की ऋण निर्वहन दक्षता को सूचित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त उन विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण धारणीयता⁵ को निश्चित करते हैं। वर्ष 2013-14 से आरम्भ करते हुए पांच वर्षों की अवधि हेतु राज्य की ऋण धारणीयता सूचकों के प्रवाहों का विश्लेषण तालिका 1.33 में दिया गया है।

⁵ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें


तालिका 1.33: ऋण धारणीयता: सूचक एवं प्रवाह

ऋण धारणीयता के सूचक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बकाया लोक ऋण (₹ करोड़ में)	23,111	25,729	27,910	32,570	34,671
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.30	11.33	8.48	16.70	6.45
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	94,764	1,03,772	1,13,355	1,24,235	1,35,914
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.42	9.51	9.23	9.60	9.40
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	24.39	24.79	24.62	26.22	25.51
ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	1,802	2,029	2,244	2,459	2,829
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (ब्याज भुगतान/लोक ऋण का आरंभिक शेष+ लोक ऋण का अंतिम शेष/2) (प्रतिशत में)	8.21	8.31	8.37	8.13	8.41
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	15,711	17,843	23,440	26,264	27,367
राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	11.47	11.37	9.57	9.36	10.34
ऋण भुगतान (₹ करोड़ में)	1,704	8,260	3,948	3,943	3,500
ऋण प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	4,050	10,877	6,129	8,603	5,600
ऋण चुकौती से ऋण प्राप्ति की प्रतिशतता	42.06	75.94	64.42	45.83	62.50
राज्य को उपलब्ध निवल ऋण ** (₹ करोड़ में)	544	588	(-) 63	2,201	(-) 729

स्रोत: सम्बन्धित वर्ष के राज्य वित्त लेखे

* उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित

** राज्य को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना, लोक ऋण प्राप्तियों में से लोक ऋण तथा उस पर ब्याज की अदायगी को घटाकर की गई।



- बकाया लोक ऋण की तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2013-18 के दौरान अंतर वर्षीय विचलन दर्शाती है। गत वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान बकाया ऋण की वृद्धि दर 10.25 प्रतिशत अंक घट गई जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 0.20 प्रतिशत घट गई। 2014-15 तथा 2016-17 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में लोक ऋण में उच्च दर पर वार्षिक वृद्धि हुई।

- 2013-18 के दौरान बकाया ऋण की औसत ब्याज दर लगभग स्थिर रही तथा वर्ष 2017-18 के दौरान 8.41 प्रतिशत रही।
- राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान 2016-17 के 9.36 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 10.34 प्रतिशत हो गया जो दर्शाता है कि लोक ऋण पर ब्याज भुगतान बढ़ रहे थे, जिसका परिणाम विकासात्मक गतिविधियों हेतु निधियों की कम उपलब्धता के रूप में हुआ।
- 2013-18 के दौरान ऋण प्राप्तियों का 42.06 से 75.94 प्रतिशत उनकी चुकौतियों के लिए प्रयुक्त किया गया। 2017-18 के दौरान, 63 प्रतिशत उधारीकृत निधियों का उपयोग, मौजूदा देयताओं के निर्वहन में किया गया।
- 2013-18 के दौरान, ब्याज और चुकौती करने के पश्चात्, भारत सरकार से प्राप्त आंतरिक कर्ज, ऋण व अग्रिमों तथा अन्य दायित्वों के माध्यम से उपलब्ध शुद्ध निधियों में ऋणात्मक ₹ 63 करोड़ तथा ₹ 2,201 करोड़ के मध्य की भिन्नता पाई गई। वर्ष 2017-18 के लिए राज्य में उपलब्ध निवल ऋण ऋणात्मक ₹ 729 करोड़ था।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय प्राचल-राजस्व, राजकोषीय एवं मूल घाटा एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा का प्रदर्शन करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर को प्रस्तुत करता है। घाटे का स्वरूप सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का सूचक है। इसके अतिरिक्त, विधि जिसमें घाटे को वित्तपोषित किया जाता है तथा जुटाये गये संसाधनों का उपयोग किया जाता है, इसकी राजकोषीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है। यह प्रवर्ग इन घाटों के वित्तपोषण की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा एवं विधि तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व के वास्तविक स्तर तथा राजकोषीय घाटे के निर्धारण को भी प्रस्तुत करती है।

1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियां


2013-18 की अवधि के लिए घाटे के सूचकों (राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक) की प्रवृत्तियां को तालिका 1.34 व चार्ट 1.25 एवं 1.26 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.34: घाटों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
घाटे					
राजस्व घाटा (-) अथवा राजस्व अधिशेष (+)	(-) 1,641	(-) 1,944	1,137	920	314
राजकोषीय घाटा (-) अथवा राजकोषीय अधिशेष (+)	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948*	(-) 3,870
प्राथमिक घाटा (-) अथवा अधिशेष (+)	(-) 1,530	(-) 1,351	990	411	(-) 82
राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन (प्रतिशत)					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.73	(-) 1.87	1.00	0.74	0.23
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 4.23	(-) 4.05	(-) 1.91	(-) 2.37	(-) 2.85
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.61	(-) 1.30	0.87	0.33	(-) 0.06

* उदय स्कीम के अंतर्गत राज्य द्वारा वहन किये गये, राज्य ऊर्जा वितरण कम्पनियों डिस्कॉम्स से सम्बन्धित ऋण को वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के राजकोषीय घाटे की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।



13वें तथा 14वें वित्त आयोग के लिए निर्धारित राजस्व व राजकोषीय घाटे के लक्ष्य, उनके वास्तविक स्तरों के साथ तालिका 1.35 में दिए गए हैं:

तालिका 1.35: 13वें तथा 14वें वित्त आयोग/राजकोषीय वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत तय लक्ष्यों की तुलना में परिणाम

अवधि	राजस्व घाटा या अधिशेष (₹ करोड़ में)		सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
2013-14		(-) 1,641	3 प्रतिशत अथवा कम	4.23
2014-15		(-) 1,944		4.05
2015-16	राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण	1,137		1.91
2016-17		920		2.37
2017-18		314		2.85

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/13वें व 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य को, राजस्व घाटा कम करके शून्य पर लाना तथा तत्पश्चात् राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण करना अपेक्षित था। इसी भांति, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य भी तीन प्रतिशत या इससे कम तय था। यद्यपि, राज्य ने 2011-12 में लक्ष्य प्राप्त किया परन्तु 2013-14 व 2014-15 में इसे बरकरार नहीं रख सके। हालांकि, केन्द्रीय अंतरणों की महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण पिछले तीन वर्षों (2015-18) में लक्ष्य को पुनः हासिल कर लिया गया।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य व बजट आकलन में बड़ा अंतर रहा। बजट प्राक्कलनों/ लक्ष्यों की ये भिन्नताएं वास्तविकता के अनुमानों तथा संसाधनों के अनुप्रयोग के संदर्भ में खराब योजना, दूरदर्शिता में कमी तथा प्रभावहीन निगरानी को दर्शाती है।

राजस्व अधिशेष

राजस्व अधिशेष, राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय के मध्य अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। राजस्व अधिशेष उधारों को कम करने में सहयोग करता है। राजस्व अधिशेष, 2016-17 के ₹ 920 करोड़ से गिर कर 2017-18 में ₹ 314 करोड़ हो गया। यह भी पाया गया कि यद्यपि राज्य ने विगत तीन वर्षों के दौरान (2015-18) राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण किया, तथापि भारत सरकार द्वारा भारी अंतरण के बावजूद अधिशेष लगातार गिरते हुए ₹ 1,137 करोड़ (2015-16) से ₹ 920 करोड़

(2016-17) तथा ₹ 314 करोड़ (2017-18) पर आ गया। वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन तथा उपदानों के अंतर्गत राजस्व पर व्यय (प्रतिबद्ध) के कारण राजस्व अधिशेष में महत्वपूर्ण गिरावट हुई।

प्रतिबद्ध राजस्व व्यय की उच्च प्रतिशतता, राज्य द्वारा व्यय सम्बंधित निर्णयों की गतिशीलता को कम करती है तथा यह भी कि राज्य के पास आवश्यक प्रतिबद्ध व्ययों के पश्चात् सीमित राजस्व उपलब्ध है। अतः राज्य सरकार को इस तरह के प्रतिबद्ध व्यय को कम करने और राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यय पक्ष पर मध्यावधि में सुधार करने की आवश्यकता है।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार की शुद्ध वृद्धिशील देनदारियों (दायित्वों) तथा इसके अतिरिक्त उधारों का प्रतिनिधित्व करता है। घाटे को या तो अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक अथवा बाहरी) द्वारा या फिर लोक लेखा के अधिशेष निधि के उपयोग से पूरा किया जाता है। घाटे के प्रमुख घटकों की प्रवृत्ति के सापेक्ष राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति तालिका 1.36 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.36: प्राथमिक घाटा तथा इसके मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

अवधि	ऋणोत्तर प्राप्ति	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा ⁶	राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता		
				सकल राज्य घरेलू उत्पाद	ऋणोत्तर प्राप्ति	कुल व्यय
1	2	3	4 (3-2)	5	6	7
2013-14	15,728	19,739	4,011	4.23	25.50	20.32
2014-15	18,534	22,734	4,200	4.05	22.66	18.47
2015-16	23,466	25,630	2,165	1.91	9.22	8.44
2016-17	26,294	32,133	2,948	2.37	11.21	9.17
2017-18	27,442	31,312	3,870	2.85	14.10	12.36

राजकोषीय घाटा जो सरकार के कुल उधारों तथा इसके कुल संसाधन अंतराल को दर्शाता है, 2013-14 में ₹ 4,011 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में सीधे ₹ 4,200 करोड़ हो गया और फिर 2015-16 के दौरान ₹ 2,165 करोड़ तक घट गया। इसी भांति, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 2013-14 से 2015-15 में धीरे-धीरे घटकर 4.23 प्रतिशत से 1.91 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2015-16 के दौरान राजकोषीय घाटे में गिरावट, केन्द्रीय अंतरणों में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण हुई। तत्पश्चात्, अंतराल बढ़ा तथा 2017-18 में यह ₹ 3,870 करोड़ पर स्थिर हुआ, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्य के भीतर था।

प्राथमिक घाटा

सामान्यतः राजकोषीय घाटा, अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को दर्शाता है जब राज्यों के राजस्व लेखा में घाटा होने की स्थिति में ब्याज भुगतानों के वित्तपोषण हेतु इस तरह के संसाधनों की आवश्यकता होती है। ब्याज भुगतान पूर्ववर्ती दायित्वों के व्यय का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा चल रहे व्यय से स्वतंत्र होते हैं। वर्तमान प्रकृति के असंतुलन को देखने के लिए इन भुगतानों को कुल असंतुलन से पृथक करने और कटौती करने की आवश्यकता है। राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रतिबिम्बित करने के लिए प्राथमिक घाटा एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है। यदि प्राथमिक घाटा है, तब इसका तात्पर्य ब्याज बाहर निकालने के बाद भी राज्य में घाटे की अवस्था है। अतः इसका अर्थ है कि अपने उधारों पर ब्याज भुगतान करने के लिए भी इसे उधार लेना पड़ेगा। विगत पांच वर्षों हेतु प्राथमिक घाटे की प्रवृत्ति तालिका 1.37 में इंगित की गई है।

⁶ कुल व्यय-कुल राजस्व (उधारों को छोड़कर)

तालिका 1.37: प्राथमिक घाटे की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	राजकोषीय घाटा	ब्याज भुगतान	प्राथमिक घाटा (-)/ अतिरिक्त (+) ⁷
1.	2.	3.	4. (2-3)
2013-14	(-) 4,011	2,481	(-) 1,530
2014-15	(-) 4,200	2,849	(-) 1,351
2015-16	(-) 2,165	3,155	990
2016-17	(-) 2,948	3,359	411
2017-18	(-) 3,870	3,788	(-) 82

वर्ष 2013-14 (₹ 1,530 करोड़) तथा 2014-15 (₹ 1,351 करोड़) की अवधि हेतु प्राथमिक घाटा 2015-16 में (₹ 990 करोड़) एवं 2016-17 (₹ 411 करोड़) में प्राथमिक अधिशेष बदल गया और 2017-18 (₹ 82 करोड़) में पुनः प्राथमिक घाटे में बदल गया।

राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

लेखापरीक्षा में पाया कि समेकित ऋण शोधन निधि एवं प्रत्याभूति विमोच्च निधि में अंशदान न होने से, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि पर ब्याज का भुगतान न होने से तथा व्यय हेतु सहायता अनुदान के संवितरण का गलत वर्गीकरण होने से राजस्व अधिशेष में ₹ 260.57 करोड़ की अन्योक्ति हुई तथा राजकोषीय घाटे में ₹ 260.57 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.38: प्रभावी राजस्व अधिशेष तथा राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

अल्प अंतरण/अंशदान के विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	निवल प्रभाव लेने के पूर्व अनुपात		निवल प्रभाव लेने के पश्चात अनुपात	
	अन्योक्ति	न्यूनोक्ति	आर0एस0/ जी0एस0डी0पी0	एफ0डी0/ जी0एस0डी0पी0	आर0एस0/ जी0एस0डी0पी0	एफ0डी0/ जी0एस0डी0पी0
समेकित ऋण शोधन निधि में गैर-अंशदान	236.22	236.22	0.23	2.85	0.04	3.04
प्रत्याभूति विमोच्च निधि में गैर-अंशदान	22.75	22.75				
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	0.75	0.75				
राजस्व शीर्षों के बजाय पूंजीगत शीर्षों से सहायता अनुदान के संवितरण (अनुदान संख्या 31 जनजातीय विकास) का गलत वर्गीकरण	0.85	0.85				
योग	260.57	260.57				

राज्य सरकार के राजस्व तथा राजकोषीय घाटे ऊपर प्रभावित राजस्व अधिशेष में 0.04 प्रतिशत अंकों से अन्योक्ति हुई जबकि राजकोषीय घाटे में 3.04 प्रतिशत अंकों से न्यूनोक्ति हुई।

1.11.2 राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तीय स्वरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीय ढांचे में एक संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा कि तालिका 1.39 में दर्शाया गया है।

⁷ प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान।

तालिका 1.39: राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसका वित्तीय ढांचा

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजकोषीय घाटे के संघटक						
1	राजस्व घाटा (-) या अधिशेष (+)	(-) 1,641	(-) 1,944	1,137	920	314
2	निवल पूंजीगत व्यय	1,856	1,823	2,864	3,499	3,721
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	514	433	437	3,260	463
राजकोषीय घाटे का वित्तीय ढांचा *						
1	बाजार उधार	1,757	1,631	1,664	2,163	2,551
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 6	59	(-) 22	27	3
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	424	904	975	(-) 500	(-) 515
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	173	24	(-) 436	80 [#]	61
5	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	887	1,185	718	1,205	1,392
6	निक्षेप एवं अग्रिम	207	504	115	181	189
7	उचन्त एवं विविध	267	28	(-) 590	(-) 274	(-) 119
8	प्रेषण	(-) 23	12	148	(-) 35	69
9	अन्य	325	(-) 147	(-) 407	101	239
10	समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-)	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948 [#]	(-) 3,870

कोष्ठकों के आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रतिशत इंगित करते हैं। *ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरणों/बाह्य प्रवाह का निवल हैं।

स्रोत: वित्त लेखे

उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ छोड़कर

₹ 3,870 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार के उधारों (₹ 2,551 करोड़), लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि (₹ 1,392 करोड़) तथा निक्षेप एवं अग्रिम (₹ 189 करोड़) के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था।

1.11.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात सूचित करता है कि किस सीमा तक उधार ली गई निधियां चालू उपभोग हेतु प्रयुक्त की गईं। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटे के संदर्भ में राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात यह भी इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर कम हो रहा था तथा उधारों (राजकोषीय देयताएं) का कोई परिसम्पत्ति बैकअप नहीं है। 2013 व 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात क्रमशः 0.41 से 0.46 तक था। 2015-18 के दौरान राज्य ने ₹ 1,137 करोड़, ₹ 920 करोड़ व ₹ 314 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुभूत किया (परिशिष्ट 1.3)।

प्राथमिक घाटे का द्विभाजन वह सीमा इंगित करता है, जिस पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा था, जो कि राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के सुधारार्थ वांछनीय है। 2013-18 की अवधि के दौरान सरकार के प्राथमिक घाटे या अधिशेष में परिणीत घटकों का द्विभाजन तालिका 1.40 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.40: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व अधिशेष	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1.	2.	3.	4.	5.	6. (3+4+5)	7. (2-3)	8. (2-6)
2013-14	15,728	14,871	1,856	531	17,258	857	(-) 1,530
2014-15	18,534	16,938	2,473	474	19,885	1,596	(-) 1,351
2015-16	23,466	19,149	2,864	463	22,476	4,317	990
2016-17	26,294	21,985	3,499	399 [#]	25,883	4,309	411 [#]
2017-18	27,442	23,265	3,756	503	27,524	4,177	(-)82

उदय स्कॉम का ₹ 2,890.50 करोड़ छोड़कर

- राज्य की गैर ऋण प्राप्तियों में मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियां एवं ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां शामिल थी, जो 2013-14 के ₹ 15,728 करोड़ से 74.48 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹ 27,442 करोड़ हो गई तथा यह प्राथमिक व्यय को पूरा करने में पर्याप्त थी।
- 2013-14 (₹ 857 करोड़) तथा 2014-15 (₹ 1,596 करोड़) के दौरान प्राथमिक राजस्व अधिशेष पूंजीगत लेखों के तहत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी इसके परिणामस्वरूप इसी अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ।
- यद्यपि, 2015-16 व 2016-17 के दौरान प्राथमिक घाटा प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया था क्योंकि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्रीय अंतरणों के भारी विचलन के कारण राज्य की प्राप्तियों में वृद्धि हुई थी। चालू वर्ष के दौरान प्राथमिक घाटे की स्थिति परिवर्तित हुई तथा प्राथमिक राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण यह ₹ 82 करोड़ पर स्थिर हुआ।

तालिका: 1.41: 2013-18 के दौरान राजकोषीय घाटे के संघटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजकोषीय घाटे की संरचना	4,011	4,200	2,165	2,948	3,870
1 राजस्व घाटा/अधिशेष	(-) 1,641 (40.91)	(-) 1,944 (46.29)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 1,856 (46.27)	(-) 1,823 (43.40)	(-) 1,728 (79.81)	(-) 2,579 (87.48)	(-) 3,407 (88.04)
3 निवल ऋण व अग्रिम	(-) 514 (12.82)	(-) 433 (10.31)	(-) 437 (20.19)	(-) 369 (12.52)	(-) 463 (11.96)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राजकोषीय घाटे में अंशदान को दर्शाते हैं।

2017-18 के दौरान 88 प्रतिशत राजकोषीय घाटा निवल पूंजीगत व्यय के कारण हुआ। राजकोषीय घाटे हेतु पूंजीगत व्यय का योगदान 2015-16 के 80 प्रतिशत से बढ़ते हुए 2017-18 के दौरान 88 प्रतिशत हो गया जो कि अच्छी स्थिति है जबकि इस अवधि में ऋणों व अग्रिमों का योगदान 20 प्रतिशत से 12 प्रतिशत घट गया था।

1.12 मुख्य विशेषताएं

2017-18 में राज्य वित्त पर महत्वपूर्ण तथ्य नीचे सारांशित है:

तालिका 1.42: महत्वपूर्ण मापदण्ड

सकारात्मक सूचक	कड़ी निगरानी के लिए आवश्यक मापदण्ड
↑ कर भिन्न राजस्व में 38 प्रतिशत की वृद्धि	↑ स्वयं के कर राजस्व में मात्र एक प्रतिशत की वृद्धि
↑ ऋणों व अग्रिमों की वसूली में 33 प्रतिशत की वृद्धि	↓ गत तीन वर्षों में राजस्व अधिशेष में घटती प्रवृत्ति
↑ पूंजीगत व्यय में सात प्रतिशत की वृद्धि	↓ गत तीन वर्षों में राजकोषीय घाटे में बढ़ती प्रवृत्ति
	↓ विगत दो वर्षों में प्राथमिक अधिशेष का प्राथमिक घाटे में परिवर्तन
	↓ विकास व्यय में पांच प्रतिशत की गिरावट

1.13 राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य के वित्त पर वर्ष 2008-09 से प्रतिवेदन तैयार करके राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित टिप्पणी/स्वतः उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं। लोक लेखा समिति द्वारा राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी है।

1.14 निष्कर्ष

राज्य राजकोषीय सुधार पथ पर है। यद्यपि, राज्य ने 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को अभी तक संशोधित नहीं किया है। राज्य 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान राजस्व घाटे में रहा तथा उसके पश्चात्, राज्य ने गत तीन वर्षों (2015-18) के दौरान राजस्व अधिशेष को अनुरक्षित रखा। तथापि, अधिशेष भारत सरकार से भारी विचलन के बावजूद भी लगातार घटते हुए ₹ 1,137 करोड़ (2015-16) से ₹ 920 करोड़ (2016-17) तथा ₹ 314 करोड़ (2017-18) रह गया।

राजस्व घाटे में 2016-17 के ₹ 2,948 करोड़ में ₹ 922 करोड़ की वृद्धि हुई तथा 2017-18 में ₹ 3,870 करोड़ हो गया। प्राथमिक अधिशेष क्रमशः 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान ₹ 990 करोड़ तथा ₹ 411 करोड़ से 2017-18 में ₹ 82 करोड़ के प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया।

2017-18 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में (₹ 26,264 करोड़) राजस्व प्राप्तियों (₹ 27,367 करोड़) में केवल चार प्रतिशत की वृद्धि हुई। केवल 35 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां राज्य के स्वयं के संसाधनों करों एवं कर भिन्न से आया जबकि शेष 65 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां केन्द्रीय अंतरणों अर्थात् केन्द्रीय करों एवं शुल्कों से राज्यांश (17 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (48 प्रतिशत) के रूप में प्राप्त हुई।

वर्ष 2014-15 से निधियों को राज्य बजट के माध्यम से हस्तांतरित किए जाने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बावजूद, भारत सरकार द्वारा 2017-18 के दौरान ₹ 901.83 करोड़ की पर्याप्त राशि, राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित की जा रही थी।

वर्ष 2017-18 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में मुख्यतः उदय स्कीम के अंतर्गत डिस्कॉम को 2016-17 में ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण के संवितरण के कारण राज्य का कुल व्यय (₹ 31,312 करोड़) ₹ 821 करोड़ (तीन प्रतिशत) तक घट गया।

राजस्व व्यय 2016-17 के ₹ 25,344 करोड़ से ₹ 1,709 करोड़ (सात प्रतिशत) बढ़कर 2017-18 में ₹ 27,053 करोड़ हो गया तथा कुल व्यय में इसका अंश 2016-17 के 79 प्रतिशत से 2017-18 में 86 प्रतिशत तक बढ़ गया।

गत वर्ष की तुलना में आठ प्रतिशत की वृद्धि सहित वर्ष के अंत में समग्र राजकोषीय देयताएं ₹ 51,030 करोड़ हो गईं। राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 37.55 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों की 1.86 गुणा थीं।

आगामी दस वर्षों (2028-29) के दौरान राज्य को ब्याज राशि ₹ 9,483 करोड़ के साथ-साथ बकाया ऋण ₹ 21,574 करोड़ में से ₹ 20,874 करोड़ (96.75 प्रतिशत) बाजार ऋण की चुकौती करनी पड़ेगी।

अध्याय-II
वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण


अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोजन लेखे, विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत्त अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत्त एवं प्रभारित व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की दोनों प्रभारित व दत्तमत्त मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय को इंगित करते हैं। इस प्रकार, विनियोजन लेखे वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधान के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाते हैं इसलिए ये वित्त लेखों के सम्पूरक हैं।

चार्ट 2.1: बजट कार्यान्वयन का प्रवाह चार्ट



स्रोत: बजट नियमावली एवं विनियोजन लेखाओं में निर्धारित प्रक्रिया पर आधारित

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वास्तविक रूप से विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधान के अंतर्गत प्रभारित किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के अनुसार प्रभारित किया गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है। लेखापरीक्षा में ध्यान में आई बजट एवं व्यय प्रबन्धन तथा बजट नियमावली के उल्लंघन से सम्बंधित कमियों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.2 विनियोजन लेखे का सारांश

वर्ष 2017-18 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों हेतु बजटीय प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है।

तालिका 2.1: 2017-18 के मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति
(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत ¹⁴ (-)/ आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित बचतों का प्रतिशत (कॉलम 7/कॉलम 6)
	1	2	3	4	5	6	7	8
दत्तमत्त	I राजस्व	27,303.56	1,660.33	28,963.89	26,156.58	(-)2,807.31	3,888.79	139
	II पूंजीगत	3,530.60	624.45	4,155.05	3,781.07	(-)373.98	262.82	70
	III ऋण एवं अग्रिम	447.74	301.92	749.66	502.52	(-)247.14	257.21	104
	कुल दत्तमत्त	31,281.90	2,586.70	33,868.60	30,440.17	(-)3,428.43	4,408.82	
प्रभारित	IV राजस्व	3,553.52	327.34	3,880.86	3,847.91	(-)32.95	4.58	14
	V पूंजीगत	0	18.14	18.14	23.16	5.02	0.03	06
	VI लोक ऋण-चुकोती	3,104.56	395.29	3,499.85	3,499.85	0	0	लागू नहीं
	कुल प्रभारित	6,658.08	740.77	7,398.85	7,370.92	(-)27.93	4.61	
	आकस्मिक निधि (यदि कोई है) से विनियोजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सकल योग	37,939.98	3,327.47	41,267.45	37,811.09	(-)3,456.36	4,413.43	लागू नहीं

स्रोत: विनियोजन लेखे एन ए: लागू नहीं

2.2.1 विनियोजन लेखाओं का विश्लेषण: 2017-18

चार्ट 2.2: वास्तविक व्यय की तुलना में प्रावधान की सारांशित स्थिति



वर्ष 2017-18 के दौरान अनुदानों /विनियोजनों के अंतर्गत ₹ 3,456.36 करोड़ की समग्र बचतें/अप्रयुक्त निधियां दर्ज हुई, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व प्रवर्ग के तहत 30 अनुदानों व नौ विनियोजनों में तथा 24 अनुदानों व एक विनियोजन में ₹ 3,843.12 करोड़ की बचतें हुई जिसका समायोजन राजस्व प्रवर्ग के तहत दो अनुदानों व पूंजीगत प्रवर्ग के तहत एक विनियोजन में ₹ 386.76 करोड़ के आधिक्य द्वारा हुआ। इस अवधि के दौरान ₹ 4,413.43 करोड़ की बचतें अभ्यर्पित की गई। इसके अतिरिक्त, अस्थाई नकदी असंतुलन के लिए सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ₹ 400 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिमों¹⁵ के पुनर्भुगतान को मिलाकर ₹ 37,811 करोड़ का कुल व्यय हुआ। अतः वर्ष के दौरान ₹ 37,411 करोड़¹⁶ का निवल व्यय हुआ, जो कि कुल बजट प्रावधान का 91 प्रतिशत था।


¹⁴ निधियों की प्रयुक्ति में गिरावट।

¹⁵ सरकार की नकदी के प्रवाह एवं बहिर्वाह के मध्य अंतर को भरने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लिया अस्थायी अग्रिम।

¹⁶ ₹ 37,811 करोड़ - ₹ 400 करोड़ = ₹ 37,411 करोड़।

2.2.2 पूंजीगत एवं राजस्व

पूंजीगत एवं राजस्व दोनों लेखा में बचतें पाई गई (चार्ट 2.3)। बजट प्रावधान की नौ प्रतिशत बचतें पूंजीगत लेखे में देखी गई। विद्युत परियोजनाओं (₹ 252.06 करोड़), सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (₹ 88.76 करोड़) में पर्याप्त बचतें हुई।



स्रोत: विनियोजन लेखे।

बजट प्रावकलन (₹ 32,845 करोड़) से राजस्व व्यय (₹ 30,005 करोड़) 8.65 प्रतिशत कम था। शिक्षा (₹ 665.02 करोड़); ग्रामीण विकास (₹ 402.93 करोड़); जनजातीय विकास (₹ 242.34 करोड़) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 211.66 करोड़) में पर्याप्त बचतें देखी गई।

अनुदान-वार विश्लेषण

हिमाचल प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों द्वारा 32 अलग-अलग अनुदानों के माध्यम से व्यय किया जाता है। ₹3,456.36 करोड़ की निवल बचत, विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए आधिक्य व बचतों का परिणाम थी (तालिका 2.2)।

तालिका 2.2: विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए कुल आधिक्य अथवा बचतें

विवरण	राजस्व		पूंजीगत		ऋण		राशि (₹ करोड़ में)
	अनुदानों ¹⁷ की संख्या	विनियोजनों ¹⁸ की संख्या	अनुदानों की संख्या	विनियोजनों की संख्या	अनुदानों की संख्या	विनियोजनों की संख्या	
जिनमें बचतें हुई	30	9	24	1	-	-	3,843.12
जिनमें व्यय आधिक्य हुआ	2	-	-	1	-	-	386.76

स्रोत: विनियोजन लेखे।

¹⁷ किए गए दत्तमत्त व्यय हेतु विधायिका द्वारा दत्तमत्त अनुदान का प्रावधान है।

¹⁸ किए गए व्यय के लिए बजट में विनियोजन का प्रावधान किया गया है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित है व विधायिका के दत्तमत्त के अधीन नहीं है।

अनुदान जिनमें उच्च बचतें तथा उच्च व्यय आधिक्य हुआ को **परिशिष्ट 2.1 तथा 2.8** में सूचीबद्ध किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिन प्रतिदिन के प्रशासन हेतु निधियां प्रदान करने वाले अनुदानों पर व्यय का आधिक्य था जबकि बचतें उन अनुदानों में थी जिनके अंतर्गत महत्वपूर्ण स्कीमों का क्रियान्वयन हुआ था। **नियंत्रण/संवितरण अधिकारियों को आवश्यकतानुसार आवंटित निधियों की प्रयुक्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से संस्वीकृत आवंटन के प्रति व्यय की प्रगति पर सतत् व कड़ी नजर रखनी चाहिए। उन्हें मासिक व्यय नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र को भी विशेषतः सुदृढ़ करना चाहिए।**

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 व्यय आधिक्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204(3) के अनुसार इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुरूप विधि द्वारा निर्मित विनियोजन को छोड़कर राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन आहरित नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त उपबन्धों के बावजूद **बजट प्रावधान की तुलना में व्यय आधिक्य 2017-18 में ₹ 386.76 करोड़ बढ़ गया जो दर्शाता है कि बजट आकलनों की समीक्षा ठीक प्रकार से नहीं की गयी थी।** विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों के ब्यौरे जहां तीन मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में कुल व्यय (₹ 4,122.24 करोड़) अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 386.76 करोड़ तक अधिक हुआ, को **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है।

अधिक व्यय से बचने हेतु दोषी विभागों के विरुद्ध सुदृढ़ उपाय करने की आवश्यकता है। अधिक व्यय की अपरिहार्यता का कोई ठोस कारण नहीं है जबकि सरकार को वर्ष में विधायिका के तीन सत्रों के दौरान अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत करने के अवसर प्राप्त होते हैं। बजटीय अनुदान की अधिकता खराब योजना, दूरदर्शिता के अभाव तथा अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों के साथ-साथ बजट आकलनों पर अप्रभावी निगरानी का परिणाम थी।

2.3.1.1 प्रावधानों की तुलना में आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है


भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए अनुदान/विनियोजन की तुलना में आधिक्य को राज्य विधायिका से नियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि व्यय के नियमन हेतु अनुच्छेद के अंतर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखों पर परिचर्चा पूर्ण किए जाने के उपरांत व्यय आधिक्य का नियमन किया जाता है। तथापि, 2011-12 से 2016-17 तक के वर्षों का ₹ 9,402.18 करोड़ (**परिशिष्ट 2.2**) का व्यय आधिक्य सितम्बर 2018 तक नियमित किया जाना शेष था। वर्ष 2017-18 के दौरान दो अनुदानों तथा एक विनियोजन में हुए ₹ 386.76 करोड़ (**परिशिष्ट 2.3**) के व्यय आधिक्य को भी नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

यह विधायिका के प्रयोजन के विरुद्ध है तथा जन-धन की प्रयुक्ति के प्रति कार्यकारी अधिकारी की जबाबदेही सुनिश्चित करने के लक्ष्य को विफल करता है। लम्बी अवधि के लिए अनियमित व्यय आधिक्य पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है क्योंकि यह राजकोष पर संसदीय नियंत्रण को कमजोर करता है तथा इसलिए व्यय आधिक्य के सभी मौजूदा मामलों का शीघ्रताशीघ्र नियमितकरण किए जाने की आवश्यकता है।

2.3.1.2 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान के परिणामस्वरूप बचत/ व्यय आधिक्य

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के परिच्छेद 1.20 के अनुसार अनुपूरक अनुदान का अर्थ उस वर्ष विनियोजन अधिनियम में शामिल व्यय आधिक्य राशि को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोजन में समाविष्ट प्रावधान है।

चार्ट 2.4: अनावश्यक, अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखे।

- 19 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में ₹ 1,078.35 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से भी कम हुआ (परिशिष्ट 2.4)।
- दो मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में ₹ 261.73 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए, और कुल ₹ 381.74 करोड़ का अनावृत्त व्यय आधिक्य हुआ (परिशिष्ट 2.5)। इस अनावृत्त आधिक्य में ₹ 352.49 करोड़ (92 प्रतिशत) जिला प्रशासन द्वारा, अनुदान क्रमांक 05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन (राजस्व दत्तमत्त) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि योजना (₹ 63.23 करोड़) पर तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा स्टॉक की मात्रा के आधार पर (₹ 289.26 करोड़) क्रमशः 10-लोक निर्माण कार्य सड़कें, पुल व भवन (राजस्व दत्तमत्त) पर व्यय किए गए।

इससे इंगित हुआ कि प्रशासनिक विभाग मासिक व्यय नियंत्रण तन्त्र के माध्यम से व्यय की खराब निगरानी के कारण वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए निधियों की वास्तविक आवश्यकता का यथार्थ निर्धारण/आकलन नहीं कर सके थे।

2.3.2 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई से जहां बचतें प्रत्याशित हैं, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का अंतरण है। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अत्यधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप 20 उप-शीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में बचतें/आधिक्य हुआ (परिशिष्ट 2.6)। इनमें से, नौ उप-शीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) आधिक्य/बचतें हुईं।

2.3.3 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार व्यय के तीव्र प्रवाह विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम मास में करने से बचना चाहिए।

उपरोक्त नियमों के विपरीत 51 उप-शीर्षों के सम्बन्ध (परिशिष्ट 2.7) में ₹ 2,554.99 करोड़ का व्यय, जो प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक था और वर्ष हेतु कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा अधिक था, मार्च 2018 के महीने में किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए कुछ बिन्दुओं पर परिच्छेद 2.3.5 में चर्चा की गई है।

मुख्य शीर्ष जिनमें या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही अथवा अंतिम मास के दौरान ₹ 10 करोड़ या 50 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया को तालिका 2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.3: वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष (दत्तमत/प्रभारित)	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2018 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	2059- लोक निर्माण	309.62	230.76	75	190.87	62
2.	2700- प्रमुख सिंचाई	19.17	12.64	66	11.19	58
3.	2701- मध्यम सिंचाई	22.78	15.50	68	13.71	60
4.	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	262.86	171.18	65	153.37	58
5.	4215- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	53.58	43.47	81	37.78	71
6.	4705- कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	32.17	31.28	97	28.31	88
योग		700.18	504.83		435.23	

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी0एल0सी0।

वर्ष के अंत में व्यय का तीव्र प्रवाह निष्फल, नगण्य एवं दोषपूर्ण योजनाबद्ध व्यय की ओर ढकेलता है। विभाग ये सुनिश्चित करें, कि वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए जहां तक व्यवहार्य हो, पूरे वर्ष निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप निधियों का व्यय एक समान रूप से किया जाए।

2.3.4 आवंटन प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम से देखा गया कि 43 मामलों में बचतें प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 13 मामलों में बचतें कुल प्रावधान से 20 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ गई (परिशिष्ट 2.8)। ₹ 3,843.12 करोड़ की कुल बचतों में से केवल 10 अनुदानों (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ एवं अधिक) में ₹ 3,132.23 करोड़ (82 प्रतिशत) की पर्याप्त बचतों के कुछ मामलों तालिका 2.4 में इंगित किए गए हैं।

तालिका 2.4: ₹100 करोड़ से अधिक की बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	प्रावधान			वास्तविक व्यय	बचतें (प्रतिशत)
		वास्तविक व्यय	अनुपूरक	कुल प्रावधान		
राजस्व दत्तमत						
1.	08- शिक्षा	5,391.90	279.58	5,671.48	5,006.46	665.02 (12)
2.	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,601.65	162.30	1,763.95	1,552.29	211.66(12)
3.	12-बागवानी	303.13	46.27	349.40	246.43	102.97(29)

4.	20- ग्रामीण विकास	1,293.34	31.88	1,325.22	922.29	402.93 (30)
5.	23- विद्युत विकास	499.15	2.72	501.87	370.69	131.18 (26)
6.	27- श्रम, रोजगार व प्रशिक्षण	396.24	9.29	405.53	206.26	199.27 (49)
7.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	341.27	15.10	356.37	237.15	119.22 (33)
8.	29- वित्त	5,033.64	33.63	5,067.27	4,800.39	266.88 (5)
9.	31- जनजातीय विकास	1,145.98	41.51	1,187.49	945.15	242.34 (20)
10.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	1,264.00	34.00	1,298.00	892.17	405.83 (31)
पूँजीगत दत्तमत						
11.	23- विद्युत विकास	410.10	229.85	639.95	387.89	252.06 (39)
12.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	896.45	48.70	945.15	812.28	132.87 (14)
कुल		18,576.85	934.83	19,511.68	16,379.45	3,132.23

स्रोत: विनियोजन लेखे

लेखाओं के कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई बचतों के लिए विभाग द्वारा बताए गए कारण, जिनकी सूचना विनियोजन लेखाओं में दी गई, वे निम्न हैं:-

शिक्षा

- प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ₹149.40 करोड़ (प्राथमिक विद्यालय में 2202-01-101-01), ₹79.79 करोड़ (माध्यमिक विद्यालयों में 2202-01-101-03) की बचतें तथा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ₹102.98 करोड़ (2202-02-109-01) एवं ₹99.38 करोड़ (माध्यमिक विद्यालयों में 2202-02-109-06) की बचतें रिक्त पदों की पूर्ति न होने से, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे की कम प्राप्तियों, वस्तुओं का कम खरीदना, छात्रवृत्ति पर कम व्यय, स्टाफ द्वारा कम दौरा करने तथा भारत सरकार केन्द्रीय अंश की कम प्राप्तियों के कारण हुई।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- ₹15.60 करोड़ की बचतें (2210-06-101-21 - रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम) एवं ₹71.94 करोड़ (2211-00-800-05 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान) की बचतें स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार से सहायता अनुदान व निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

ग्रामीण विकास

- ₹ 34.87 करोड़ (2501-06-101-07 - ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम - स्व-रोजगार कार्यक्रम - स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना), ₹232.95 करोड़ (2505-02-101-01 - ग्रामीण रोजगार - ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम) तथा ₹40.16 करोड़ (2515-00-198-03 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-ग्राम पंचायत को सहायता-14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान) की बचतें, योजना के अंतर्गत कम व्यय तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान की कम प्राप्ति के कारण हुई।

वित्त

- ₹ 205.38 करोड़ (2071-01-102-02 - पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभों-सिविल-पेंशन का रूपांतरित मूल्य 01-11-1996 से पेंशन) और ₹55.74 करोड़ (2071-01-117-01 - पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-सीमित अंशदान पेंशन योजना में सरकार का अंशदान-अंशदायी पेंशन योजना) की बचतें पेंशन के रूपांतरित मामलों की कम प्राप्ति तथा न्यायिक फैसले द्वारा पुरानी योजना में ग्राहकों की वापसी के कारण हुई।

इन अनुदानों में ऐसी वृहत बचतों का मतलब है कि सरकार ने प्राप्तियों/राजस्वों के वास्तविक आकलन के बिना अधिक बजट प्रावधान किया था।

2.3.4.1 निरंतर बचतें

गत पांच वर्षों के दौरान, सात मामलों में निरंतर बचतें थी (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक), जैसा कि तालिका 2.5 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 2.5: 2013-18 के दौरान निरंतर बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	बचत की राशि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व दत्तमत्त						
1.	03- न्याय प्रशासन	16.71	4.52	12.53	9.82	10.14
2.	08- शिक्षा	342.46	385.37	1,076.22	864.96	665.02
3.	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	13.44	11.61	31.40	28.40	16.81
4.	20- ग्रामीण विकास	60.04	109.86	208.74	121.61	402.93
पूंजीगत-दत्तमत्त						
5.	29- वित्त	4.52	5.49	5.20	1.51	7.98
6.	31- जनजातीय विकास	45.42	7.17	17.38	177.85	58.21
7.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	83.63	9.27	108.71	321.14	132.87

स्रोत: सम्बंधित वर्ष के विनियोजन लेखे

निरंतर बचतें दर्शाती हैं कि विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावशाली नहीं था तथा चालू वर्ष के लिए निधियां आबंटित करते समय विगत वर्षों की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया था। यह पिछले राज्य प्रतिवेदन में भी इंगित किया गया था, परन्तु राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

2.3.4.2 अत्यधिक अभ्यर्पण

संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता, भारत सरकार से समरूप राज्यांश निधियों की कम प्राप्ति, विभिन्न योजनाओं के तहत कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने के कारण, स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न करने अथवा धीमें कार्यान्वयन इत्यादि से 161 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.9) के सम्बंध में अत्यधिक मात्रा में अभ्यर्पण (मामले जहां कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अभ्यर्पित किया गया) किये गये थे। ₹1,926.03 करोड़ राशि के कुल प्रावधान में से ₹1,539.09 करोड़ (80 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये गये थे जिसमें 70 स्कीमों (₹ 661.87 करोड़) (परिशिष्ट 2.10) में शत-प्रतिशत अभ्यर्पण किया गया था। 70 स्कीमों में, कुछ स्कीमों के अत्यधिक अभ्यर्पण का विवरण निम्न है:

तालिका 2.5 (क): अत्यधिक अभ्यर्पण वाले अनुदानों व स्कीमों की सूची

क्रमांक	अनुदान संख्या	स्कीम का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्र प्रायोजित स्कीम)	15.60
2	12-बागवानी	बागवानी विकास परियोजना	65.81
3	15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि स्कीम	12.48
4	20-ग्रामीण विकास	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना	34.87
5	23-विद्युत विकास	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड सीमित को इक्विटी योगदान	32.73
6		हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण	182.39
7	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	नये पॉलिटेक्निक की स्थापना	12.88
8	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा भवन	स्मार्ट सिटी मिशन	52.37
9	31-जनजातीय विकास	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	52.65
10	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हि0प्र0 बागवानी विकास परियोजना (बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना)	25.19

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2018 तक 60 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या इससे अधिक) में ₹ 2,558.50 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था (परिशिष्ट 2.11)। मार्च 2018 के अंतिम कार्य दिवस को निधियों का अभ्यर्पण अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है जो अन्य विकासशील उद्देश्यों के लिए निधियों की अप्रयुक्ति की ओर ले जाता है।

2.3.4.3 अप्रत्याशित बचतें अभ्यर्पित न करना

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली (अध्याय 11 का परिच्छेद 11.2) के अनुसार सभी बचतें, जब भी प्रत्याशित हो, व्यय करने वाले विभाग द्वारा 15 जनवरी तक वित्त विभाग को अवश्य अभ्यर्पित की जानी चाहिए। तथापि, निम्नलिखित अनुदानों में यह पाया गया कि ₹ 903.28 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 217.85 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किये थे जैसा कि तालिका 2.6 में विवरणित है।

तालिका 2.6: अभ्यर्पित नहीं किए गए ₹ एक करोड़ एवं इससे अधिक की बचत के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई
राजस्व-दत्तमत्त				
1.	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	211.66	202.52	9.14
2.	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	55.55	53.57	1.98
3.	23- विद्युत विकास	131.18	91.71	39.47
4.	31- जनजातीय विकास	242.34	215.52	26.82
राजस्व-प्रभारित				
5.	29- वित्त	29.20	0.95	28.25
पूंजीगत- दत्तमत्त				
6.	10- लोक निर्माण-सड़कें, पुल तथा भवन	42.27	0.05	42.22
7.	31- जनजातीय विकास	58.21	51.98	6.23
8.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	132.87	69.13	63.74
योग		903.28	685.43	217.85

बचतों की बड़ी राशि के बावजूद, मुख्य रूप से अनुदान संख्या 23- विद्युत विकास: ₹ 39.47 करोड़ (राजस्व-दत्तमत्त) तथा अनुदान संख्या 32-अनुसूचित जाति उप-योजना ₹ 63.74 करोड़ (पूँजीगत-दत्तमत्त) के अंतर्गत पर्याप्त अभ्यर्पण नहीं किये गए थे। इसके अतिरिक्त, अनुदान संख्या 29 - वित्त (राजस्व-प्रभारित) तथा 10 - लोक निर्माण कार्य - सड़कें, पुल एवं भवन (पूँजीगत-दत्तमत्त) के अंतर्गत पर्याप्त बचतों के प्रति नगण्य राशि अभ्यर्पित की गई।

वर्ष की समाप्ति पर बड़े पैमाने पर बचतों/आधिक्यो, पुनर्विनियोजनों व अभ्यर्पणों को टालने के लिए, व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए समस्त विभागों द्वारा वास्तविक बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए ताकि उनका अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावी उपयोग किया जा सके।

2.3.5 बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचने के लिए निधियों का आहरण तथा बचत बैंक खातों में रखना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के नियम 2.10 हिमाचल तथा हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली के नियम 5.71 (ग) (5) में निर्धारित है कि किसी स्थाई अग्रिम से बाहर की गई निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु अथवा जब तक की तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो, धन का कोषागार से आहरण नहीं करना चाहिए। उस कार्य के निष्पादन हेतु भी कोषागार से अग्रिम आहरण की अनुमति नहीं है, जिसके पूर्ण होने में अधिक समय लगने की संभावना है। किसी भी अप्रयुक्त शेष राशि को कोषागार में तुरंत वापस करना अपेक्षित है।

उपर्युक्त नियमों के विपरीत निम्नवत् मामले पाए गए:

(i) संस्वीकृति के विरुद्ध निधियों का आहरण

मार्च 2018 के वाउचरों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि वास्तविक व्यय किए बिना अथवा बिना बिलों, वाउचरों या उप-वाउचरों के मात्र संस्वीकृति के आधार पर धन/निधियों (₹ 351.70 करोड़) का महत्वपूर्ण अनुपात पर कोषागार से आहरण किया गया। संस्वीकृतियां सहायक दस्तावेजों जैसे व्यय बिलों, वाउचरों या उप-वाउचरों के बिना महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में प्राप्त की गई थी। सम्पूर्ण राशि विभिन्न बचत बैंक खातों या निक्षेप शीर्षों को हस्तांतरित की गई थी।

(ii) आवश्यकता के पूर्व निधियों का आहरण

- निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक मामलों, शिमला के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ (मार्च 2017) कि कल्याण भवन (ठियोग, जिला शिमला में ₹ 0.71 करोड़ हेतु) तथा मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए आवासीय संस्थान (सुन्दरनगर, जिला मण्डी में ₹ 2.25 करोड़ हेतु) के निर्माण के लिए ₹ 2.96 करोड़ आहरित किए गए थे। ₹ 0.71 करोड़ निष्पादन अभिकरण (लोक निर्माण विभाग, ठियोग मण्डल) को हस्तांतरित किए तथा ₹ 2.25 करोड़ आंध्रा बैंक, न्यू शिमला के बचत बैंक खाते में जमा किए थे। विभाग के नाम

पर भूमि स्थानांतरित न होने तथा भूमि एवं अभिकल्पों/प्राक्कलनों को अंतिम रूप न देने के कारण सम्पूर्ण राशि मार्च 2018 तक अप्रयुक्त पड़ी रही। निदेशक ने तथ्यों को स्वीकार किया।

- इसी प्रकार, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिमला ने कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस सिस्टम, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर व छायाप्रति मशीन की खरीद हेतु ₹ 1.48 करोड़ का आहरण (मार्च 2017) किया तथा सम्पूर्ण राशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शिमला (पूर्व) में खोले गए बचत बैंक खाते में जमा की। ₹ 1.48 करोड़ की सम्पूर्ण राशि 10 माह से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी फरवरी 2018 तक विभाग द्वारा खरीद प्रक्रिया शुरू न करने के कारण बैंक में अप्रयुक्त पड़ी रही। निदेशक ने तथ्यों को स्वीकार किया।

(iii) बजट अनुदान को व्यपगत से बचाने के लिए निधियों का आहरण

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण विभाग के नौ¹⁹ मण्डलों के अधिशाषी अभियंताओं ने 82 निर्माण कार्यों²⁰ के निष्पादन हेतु ₹ 37.95 करोड़ का आहरण (मार्च 2016, मार्च 2017 व दिसम्बर 2017) किया तथा इनके नियंत्रण के उप-मण्डलों (सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण) एवं अन्य मण्डलों²¹ को राशि एक साथ हस्तांतरित कर दी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में, सितम्बर 2017 व दिसम्बर 2017 में ₹ 6.80 करोड़ की राशि प्रभागों (लोक निर्माण) से पुनः प्राप्त की गई तथा निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत रखी गई। इसके अतिरिक्त, धर्मशाला मण्डल को कांगड़ा मण्डल द्वारा (मार्च 2017) ₹ 1.21 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया जो कि मार्च 2018 तक धर्मशाला मण्डल में पड़ा रहा। उप-मण्डलों (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण) ने भी ₹ 29.94 करोड़ की राशि निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत रखी (मार्च 2016 - मार्च 2018)।

आगे यह पाया गया कि सम्बन्धित अधिशाषी अभियंताओं ने सम्पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया तथा कुल ₹ 31.05 करोड़ की²² निधियाँ उनके पास निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत अप्रयुक्त पड़ी रही (दिसम्बर 2017 व फरवरी-मार्च 2018)। बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत तक

¹⁹ जुबल: ₹ 6.50 करोड़; रोहडू (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य): ₹ 7.44 करोड़ और बडसर: ₹ 2.65 करोड़; चम्बा: ₹ 4.29 करोड़; जोगिन्द्र नगर: ₹ 3.00 करोड़, कांगड़ा: ₹ 3.03 करोड़, नम्बर-II मण्डी: ₹ 2.45 करोड़, पांवटा साहिब: ₹ 1.79 करोड़ और ऊना: ₹ 6.80 करोड़।

²⁰ एल.आई.एस, एफ.आई.एस, एल.डब्ल्यू.एस.एस. का निर्माण वृद्धि और बाढ़ सुरक्षा कार्य 14 (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) तथा केयर/ओफ सड़क/लोक सड़क 18; केयर/ओफ कार्यालय/ सर्किट हाऊस/ रेस्ट हाऊस/ प्रशिक्षण केन्द्र/ भवन/ आवास/ पार्किंग (आठ); विशेष मरम्मत/ छत की वार्षिक मरम्मत/ वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण / बेहतरी / सड़कों का उन्नयन (तीन) तथा विभिन्न विकास कार्य (24) (लोक निर्माण)।

²¹ सरस्वती नगर (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य): ₹ 0.64 करोड़; नम्बर-I जुबल (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य): ₹ 5.86 करोड़; रोहडू (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य): ₹ 7.44 करोड़; धनेटा (लोक निर्माण): ₹ 2.65 करोड़; नम्बर-I चम्बा (लोक निर्माण): ₹ 0.30 करोड़; नम्बर- II चम्बा (लोक निर्माण): ₹ 3.99 करोड़; जोगिन्द्र नगर (लोक निर्माण): ₹ 3.00 करोड़; धर्मशाला (लोक निर्माण): ₹ 1.20 करोड़; कांगड़ा (लोक निर्माण): ₹ 1.38 करोड़; शाहपुर (लोक निर्माण): ₹ 0.45 करोड़; नम्बर -III मण्डी (लोक निर्माण): ₹ 2.45 करोड़; नम्बर- I पांवटा साहिब (लोक निर्माण): ₹ 1.79 करोड़; बंगाणा (लोक निर्माण): ₹ 3.90 करोड़ और भरवाई (लोक निर्माण): ₹ 2.90 करोड़।

²² जुबल: ₹ 6.42 करोड़; रोहडू (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य): ₹ 7.44 करोड़; बडसर: ₹ 2.65 करोड़; चम्बा: ₹ 4.29 करोड़; जोगिन्द्र नगर: ₹ 3.00 करोड़; कांगड़ा: ₹ 1.21 करोड़; नम्बर- II मण्डी: ₹ 2.35 करोड़; पांवटा साहिब: ₹ 1.79 करोड़ और ऊना (लोक निर्माण): ₹ 1.90 करोड़।

अधिशाषी अभियंताओं ने निधियों का आहरण किया था। अधिशाषी अभियंताओं ने तथ्यों को स्वीकार किया (जनवरी 2018-अप्रैल 2018)।

अतः ₹ 387.18 करोड़ का उपयोग न करने तथा इसे विभिन्न बैंक खातों में रखने के कारण राज्य को ब्याज ₹ 17.07 करोड़²³ की हानि हुई।

प्रारम्भिक एवं अंतिम बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने स्वीकार किया कि वित्त विभाग के पास अग्रिम रूप से आहरण की आकस्मिक प्रवृत्ति के व्यय की निगरानी हेतु कोई तंत्र नहीं है, तथा समस्त निधियां विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बचत बैंक खातों में रखी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने आश्वासन दिया कि मामले की समीक्षा की जाएगी। यह भी स्वीकार किया गया कि धन के आहरण के लिए संस्वीकृतियों का उपयोग करने तथा इन्हें बैंक खातों में जमा करने के बजाय आकस्मिक प्रवृत्ति के हुए व्यय के लिए सभी बिलों का परिचालन उपयोगी होगा क्योंकि इसमें सभी सार आकस्मिक बिलों एवं लम्बित विस्तृत आकस्मिक बिलों की स्थिति की समीक्षा/निगरानी हेतु सुदृढ़ प्रक्रिया है। लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्रतिक्रिया पर वित्त विभाग ने बताया कि राज्य सरकार ने सार आकस्मिक बिलों के परिचालन हेतु छः विभागों²⁴ को चिह्नित किया।

लेखापरीक्षा का विचार है कि आवश्यकता के पूर्व निधियों का आहरण तथा बचत बैंक खातों में बड़ी राशियों को रखने का अर्थ न सिर्फ वास्तविक रूप से बिना हुए ऐसे व्यय के बुक होने से है बल्कि इन बचत बैंक खातों में रखी निधियों पर उपार्जित ब्याज के लेखांकित न होने से भी है। इसके अतिरिक्त, यह राज्य सरकार के निस्तारण पर उसकी नकदी को घटा रहा था, जबकि दूसरी ओर राज्य सरकार बाजार ऋण ले रही थी एवं उच्च दरों पर ब्याज चुका रही थी। अतः उपर्युक्त चलन से कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधानसभा में न केवल गलत वित्तीय सूचना बनाई गई बल्कि यह वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण भी है।

2.4 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन

व्यक्तिगत निक्षेप लेखा समेकित निधि के डेबिट द्वारा सृजित किये जाते हैं और उसे समेकित निधि में सम्बद्ध सेवा शीर्षों में शेष को ऋणात्मक डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में बन्द किया जाना चाहिए। कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना से देखा गया कि 15 जिला कोषागारों में 112 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे। 31 मार्च 2018 तक (परिशिष्ट 2.12) इन 112 लेखों में पड़ी ₹ 3.37 करोड़ शेष की स्थिति निम्नवत् है:

- वर्ष के दौरान ₹ 3.10 करोड़ के शेष से युक्त 80 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे।
- ₹ 0.27 करोड़ की राशि से अंतर्ग्रस्त दो व्यक्तिगत निक्षेप लेखे 2010-11 से परिचालन में नहीं थे।
- 30 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में शून्य शेष था।

²³ गणना: उधारों पर ब्याज की औसत दर; 8.41%- बचतों पर ब्याज की औसत दर: 4% = अंतर: 4.41%, इसलिए हानि ₹ 387.18 करोड़ X 4.41% = ₹ 17.07 करोड़)

²⁴ युवा सेवाएं एवं खेल, आयुर्वेद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अभियोग, कृषि एवं बागवानी।

व्यक्तिगत निक्षेप लेखों के समय-समय पर शेष राशि का आवधिक/मिलान न होने तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में पड़ी अप्रयुक्त शेष राशि का समेकित निधि में गैर-हस्तांतरण, लोक निधियों के दुरुपयोग व धोखा-धड़ी के जोखिम को बढ़ाता है।

2.5 प्राप्ति एवं व्यय का मिलान

मुख्य नियंत्रक अधिकारियों/नियंत्रक अधिकारियों को महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा लेखाबद्ध आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्तियों एवं व्ययों के आंकड़ों का मिलान करना अपेक्षित है। इस तरह का मिलान सभी मुख्य नियंत्रक अधिकारियों/नियंत्रक अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों एवं व्यय दोनों के लिए पूरा किया गया।

2.6 व्यय का गलत वर्गीकरण

वर्ष 2017-18 के लिए वित्त तथा विनियोजन लेखाओं की जांच के दौरान व्यय के गलत वर्गीकरण के निम्नवत् मामले ध्यान में आए:

2.6.1 बजट वर्गीकरण

वित्त मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 01(47)-ई0 II (ए0)/94 दिनांक 12.12.1994 में ऑब्जेक्ट शीर्ष के वर्गीकरण का मानकीकरण प्रावधान है कि राजस्व व्यय मुख्य शीर्षों के सम्बंध में बजट प्रावधान को पूंजीगत व्यय मुख्य शीर्षों व इसके विपरीत, निर्धारित वस्तु शीर्षों के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है।

यह देखा गया कि एस0ओ0ई0-31 के ₹ 53.41 करोड़ का व्यय, राजस्व शीर्ष के अंतर्गत डाला गया जिसे कि पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत डाला जाना चाहिए था। मशीन तथा उपकरण (एस0ओ0ई0-31) में केवल कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक वस्तुएं, विशेष साधन तथा निश्चित प्रयोजनों के लिए संयंत्रों से पृथक मशीन, उपकरण व संयंत्र खरीदी जाने वाली वस्तुएं ही शामिल है, जो की राजस्व व्यय से भिन्न है।

2.6.2 पूंजीगत व्यय शीर्ष के अंतर्गत 'सहायता अनुदानों' का वर्गीकरण

सहायता अनुदानों के संवितरण का बजट प्रावधान पूंजीगत व्यय शीर्ष के अंतर्गत करना, भारत सरकार द्वारा मई 2011 में जारी भारत सरकार मानक लेखा-2 में प्रदान किए गए नियम के विरुद्ध है।

यह देखा गया कि सहायता अनुदान (अनुदान संख्या 31-जनजाति विकास) का संवितरण राज्य सरकार द्वारा राजस्व शीर्ष के बजाय पूंजीगत शीर्ष से किया गया तथा निम्न अवस्थाएं देखी गईं:

- (i) 4225-02-796-01 - 00-42 -- ₹ 49 लाख
- (ii) 5055-00-796-05 - 44-31 -- ₹ 36 लाख

2.6.3 बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का संचालन

सरकार के व्यय को समेकित निधि के अंतर्गत विभिन्न कार्यात्मक शीर्षों के तहत राजस्व तथा पूंजीगत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उप मुख्य शीर्ष व लघु शीर्ष, उप-कार्यों/कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रमुख शीर्ष के नीचे खुलते हैं। जब किसी वस्तु विशेष पर हुए व्यय/प्राप्ति को किसी भी मौजूदा

लघु शीर्ष में समायोजित नहीं किया जा सकता तब लघु शीर्ष-800, जो एक बहुप्रयोजन शीर्ष है लेखाओं में खोला जाता है। यह व्यय की वास्तविक प्रकृति को नहीं दर्शाता है, जिससे किसी योजना विशेष के व्यय के वास्तविक नामकरण को जानने से विधायिका बच जाती है, जो इस शीर्ष के अंतर्गत बुक की जा रही है और योजना का उद्देश्य भी पराजित हो जाता है। कुछ अग्रणी योजनाओं के व्यय भी इस 'लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किए जा रहे हैं। चूंकि लघु शीर्ष-800, लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है और वित्तीय प्रतिवेदनों की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर को प्रभावित करता है साथ ही जानकारीपरक निर्णय लेने में लेखाओं की पारदर्शिता को अस्पष्ट करता है, अतः इसका नियमित संचालन बंद किया जाना चाहिए।

2017-18 हेतु वित्त एवं विनियोजन लेखाओं की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि:

- कुल ₹ 1,315 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.81 प्रतिशत) की राजस्व प्राप्तियां, बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत 48 मुख्य शीर्षों के तहत वर्गीकृत की गई थी। लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत हुई अत्यधिक अनुपात (50 प्रतिशत या अधिक) वाली प्राप्तियों के उदाहरण परिशिष्ट 2.13 (क) में दिए गए हैं।
- 2017-18 के दौरान ₹ 961 करोड़ के सकल व्यय ने कुल व्यय का (राजस्व तथा पूंजीगत) का 3.12 प्रतिशत बनाया जिसे लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के अंतर्गत 45 राजस्व तथा पूंजीगत मुख्य शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट 2.13 (ख) में दिया गया है।
- सिंचाई, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए ₹ 77.47 करोड़ की अनुदान राशि, लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बुक की गई, जिसके उदाहरण परिशिष्ट 2.13 (ग) में दिए गए हैं।

आरम्भिक सम्मेलन में उपर्युक्त विसंगतियों पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के साथ चर्चा की गई (अगस्त 2018)। राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार किए (अक्टूबर 2018) तथा लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुक करने की विद्यमान कवायद बंद करने और व्यय को पहले से मौजूद उपयुक्त लघु शीर्षों के तहत बुक करने अथवा उपयुक्त लघु शीर्षों के अंतर्गत नए उप-शीर्षों को खोलने का आश्वासन दिया।

2.7 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

दो नमूना जांचित अनुदानों, अनुदान संख्या 8²⁵-“शिक्षा” तथा अनुदान संख्या 12²⁶-बागवानी से सम्बंधित बजट प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण (जुलाई-सितम्बर 2018) तथा समीक्षा के दौरान पाए गए बिंदुओं का विवरण निम्न है:

²⁵ प्रमुख शीर्षों सहित 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2225-अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं राजस्व विभाग के अंतर्गत कल्याण, 4202- शिक्षा, खेल कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय और 6202-पूंजीगत विभाग में शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति हेतु ऋण सहित।

²⁶ 2059-लोक कार्य, 2216-आवास, 2401-फसल कृषि व्यवस्था, 2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, 4401-फसल कृषि-व्यवस्था पर पूंजीगत परिव्यय, 4402-मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, और 6401-फसल कृषि-व्यवस्था पर पूंजीगत परिव्यय।

2.7.1 अनुदान संख्या 8-'शिक्षा'

2.7.1.1 बजट एवं व्यय

2017-18 के दौरान अनुदान के अंतर्गत निधियों के आबंटन एवं किए गए व्यय की समग्र स्थिति तालिका 2.7 में दी गई है:

तालिका 2.7: 2017-18 के दौरान आबंटित निधियों एवं व्यय का प्रावधान

(₹ करोड़ में)

प्रभाग	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिव्य(+)/बचत(-)
राजस्व प्रभाग	5,671.48	5,006.46	(-)665.02
पूंजी प्रभाग	155.86	155.86	(-)0.00 ²⁷
योग	5,827.34	5,162.32	(-)665.02

स्रोत: विनियोजन लेखे।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है, कि वर्ष 2017-18 के दौरान अनुदान के अंतर्गत (राजस्व प्रभाग ₹ 5,671.48 करोड़ एवं पूंजीगत प्रभाग ₹ 155.86 करोड़) ₹ 5,827.34 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹ 5,162.32 करोड़ (राजस्व प्रभाग ₹ 5,006.46 करोड़ एवं पूंजीगत प्रभाग: ₹ 155.86 करोड़) का व्यय हुआ। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 665.02 करोड़ की बचत हुई, जो यह दर्शाता है कि बजट प्रावकलन वास्तविक आधार पर नहीं बनाए गए थे।

2.7.1.2 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के परिच्छेद 1.20 के अनुसार अनुपूरक अनुदान से तात्पर्य है कि उस वर्ष के विनियोजन अधिनियम में पूर्व में सम्मिलित व्यय की अधिक राशि को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोजन में शामिल एक प्रावधान से है।

अभिलेखों की नमूना-जांच से निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:

(i) राजस्व प्रभाग के अंतर्गत, ₹ 5,671.48 करोड़ के कुल प्रावधान (मूल: ₹ 5,391.90 करोड़+ अनुपूरक ₹ 279.58 करोड़) के प्रति, योजनागत तथा योजनेत्तर में ₹ 5,006.46 करोड़ का व्यय हुआ। चूंकि यह व्यय, मूल प्रावधान ₹ 5,391.90 करोड़ के स्तर तक नहीं पहुंच पाया अतः ₹ 279.58 करोड़ का प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2017-18 के दौरान, मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा के चार उप-शीर्षों (योजनेत्तर) के अंतर्गत, ₹ 3.25 करोड़ की अनुपूरक मांग, ₹ 2,261.67 करोड़ के व्यय का, ₹ 2,489.36 करोड़ के मूल प्रावधान के स्तर तक न पहुंच पाने से अनावश्यक सिद्ध हुआ परिणामस्वरूप अंततः ₹ 230.94 करोड़ की बचत हुई जिसका विवरण नीचे तालिका 2.7 (क) में दिया गया है:

²⁷ वास्तविक आंकड़ा ₹ (-) 2,000/- मात्र है।

तालिका 2.7 (क): अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	उप-शीर्ष (योजनेत्तर)	कुल बजट प्रावधान			व्यय	आधिक्य (+)/ कुल प्रावधान पर बचत (-)
		मूल	अनुपूरक	कुल		
1.	2202-01-101-01	1,460.78	1.01	1,461.79	1312.39	(-)149.40
2.	2202-01-101-03	1,007.99	1.41	1,009.40	929.61	(-)79.79
3.	2202-01-104-01	16.34	0.29	16.63	15.71	(-)0.92
4.	2205-00-105-01	4.25	0.54	4.79	3.96	(-)0.83
	कुल	2,489.36	3.25	2,492.61	2,261.67	(-)230.94

अतः अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान कमजोर वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है।

(iii) निदेशक प्राथमिक शिक्षा के आधिक्य एवं अभ्यर्षण विवरण के अनुसार, अनुपूरक प्रावधान ₹ 28.73 करोड़ (योजना: ₹ 23.85 करोड़ (राजस्व + पूंजीगत) + आयोजनेत्तर ₹ 4.88 करोड़ (राजस्व)) थे। इन प्रावधानों में से ₹ 2.70 करोड़²⁸ लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान के रूप में दिए गए जबकि व्यय, मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंच सका। पांच लघु/उप-शीर्षों के 16 राज्य व्यय विवरण के अंतर्गत ₹ 1.26 करोड़²⁹ के अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंचे। अतः वर्ष 2017-18 के दौरान मूल प्रावधान के स्तर तक व्यय के न पहुंच पाने से ₹ 2.70 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था।

अतः अनुदान, मुख्य शीर्ष एवं उप शीर्ष के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक थे जिससे व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंचा इसके अतिरिक्त 2017-18 के दौरान इन शीर्षों में बचतें हुईं।

2.7.1.3 तत्काल आवश्यकता के बिना निधियों का आहरण

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के नियम 2.10 (ख) में नियत है कि तत्काल उपयोग की आवश्यकता के बिना राजकोष से धन नहीं निकाला जा सकता।

अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान तथा निदेशक उच्चतर शिक्षा द्वारा आपूरित सूचना के अनुसार, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत ₹ 35.24 करोड़ की राशि राजकोष में निकाली गई। जिसमें से वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत तक ₹ 4.35 करोड़ खर्च किए गए तथा 01-04-2018 से 31-07-2018 के मध्य ₹ 7.60 करोड़ खर्च किए गए व आहरित निधियों में से ₹ 23.29 करोड़ के बचे हुए अव्ययित शेष को तालिका 2.8 में दिया गया है:

²⁸ लेखा के शीर्ष: (i) 2202-01-101-01 (₹ 1.00 करोड़), (ii) 2202-01-101-03 (₹ 1.41 करोड़) तथा (iii) 2202-01-104-01 (₹ 0.29 करोड़)

²⁹ लेखा के शीर्ष: (i) 2202-01-001-01 (03-यात्रा व्यय: ₹ 0.4 लाख), (ii) 2202-01-101-01 (03- यात्रा व्यय: ₹ 25.00 लाख; 06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति: ₹ 25.00 लाख तथा 64-स्थानांतरण यात्रा व्यय: 0.5 लाख), (iii) 2202-01-101-03 सूनु (03- यात्रा व्यय: ₹ 8.00 लाख; 05-अन्य व्यय: ₹ 15.00 लाख, 06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति: ₹ 15.00 लाख, आर.आर.टी.: ₹ 2.08 लाख तथा 64- स्थानांतरण यात्रा व्यय: ₹ 1.00 लाख) (iv) 2202-01-104-01 (02-मजदूरी: ₹ 1.70 लाख; 05-अन्य व्यय: ₹ 8.00 लाख, 06- चिकित्सा प्रतिपूर्ति: ₹ 2.50 लाख) एवं (v) 2202-01-104-02 (02-मजदूरी: ₹ 12.00 लाख; 03-यात्रा व्यय: ₹ 6.00 लाख, 07-आर.आर.टी.: ₹ 2.99 लाख तथा 64- स्थानांतरण यात्रा व्यय: ₹ 0.5 लाख)

तालिका 2.8: तत्काल आवश्यकता के बिना निधियों का आहरण

(₹ करोड़ में)

बैंक खाता संख्या	लेखा का शीर्ष	आहरित निधियां	31/03/2018 तक व्यय	1/04/18 से 31/07/18 के मध्य हुआ व्यय
20224, एस.बी.आई., दि मॉल, शिमला	2202-80-107-08 एन.पी. पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग (पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अन्य पिछड़ा वर्ग) खाते में स्थानांतरण की संभावना) ब्याज	13.05	0	0
20586, एस.बी.आई., दि मॉल, शिमला	2202-80-107-08 अन्य पिछड़ा वर्ग एन.पी. पोस्ट मैट्रिक	3.59	0	0
10587, यूको बैंक, राम बाजार, शिमला	2202-80-107-18-कल्पना चावला एन.पी.	2.21	0	1.04
	2202-03-103-01-इन्दिरा गांधी (एन.पी.)	0.01	0	0.01
4178, एस.बी.आई., दि मॉल, शिमला	2202-02-109-01- एन.पी. डॉ. अम्बेडकर मेधावी (अन्य पिछड़ा वर्ग)	1.80	0	1.70
	एस.बी.यू.सी.वाई (पी./एन.पी.)	3.40	0	1.65
	आई.आर.डी.पी. एन.पी.	2.00	0	2.39
	2202-80-107-08- अन्य पिछड़ा वर्ग एन.पी. पोस्ट मैट्रिक	4.78	4.32	0
	2202-80-107-20- डॉ. अम्बेडकर पी.एम.एस. ई.वी.सी.	0.59	0	0
	2202-02-109-01 एन.पी. आई.आर.डी.पी.			
	2202-02-109-01- एन.पी. आर.आई.एम.सी.	0.02	0	0
	2202-80-800-08 एन.पी. सैनिक स्कूल	0.37	0	0
20712, एस.बी.आई., दि मॉल, शिमला	2202-80-107-20- डॉ. अम्बेडकर पी.एम.एस. ई.वी.सी. ब्याज	3.42	0.03	0.81
	योग	35.24	4.35	7.60

अतिरिक्त निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि संस्थानों द्वारा दस्तावेजों को ऑनलाईन जमा करने की प्रक्रिया चल रही है तथा छात्रवृत्ति शीघ्र ही निस्तारित कर दी जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियों को बिना आवश्यकता के आहरित किया गया।

2.7.1.4 अवास्तविक आकलन के कारण बजट प्रावधानों पर अभ्यर्पण

निदेशक उच्चतर शिक्षा के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि योजनागत व आयोजनेत्तर के तहत तीन मुख्य शीर्षों, जिसमें 30 लघु/उप शीर्ष थे, उनमें वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 262.35 करोड़ (योजनागत ₹ 242.55 करोड़ + आयोजनेत्तर ₹ 19.80 करोड़) के बजट प्रावधान किए गए। तथापि, इस वर्ष के दौरान, जैसा कि **परिशिष्ट 2.15** के विवरण में दिया गया इसमें से ₹ 60.20 करोड़ का व्यय (योजनागत ₹ 52.80 करोड़ + आयोजनेत्तर ₹ 7.40 करोड़) हुआ। लघु/उप शीर्ष के अंतर्गत बजट में व्यय की प्रतिशतता शून्य से 58 प्रतिशत के बीच रही। 22 मामलों में कोई व्यय न होने के परिणामस्वरूप संस्वीकृत बजट का 100 प्रतिशत अभ्यर्पित हुआ। अतः **अवास्तविक बजट आंकलन बनाने के परिणामस्वरूप वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त तथा अभ्यर्पण हुआ। यह अप्रभावी निगरानी तथा व्यय पर कमजोर नियंत्रण का परिचायक है।**

2.7.1.5 प्रावधान रहित व्यय

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के परिच्छेद 1.19 में नियत है कि विनियोजन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 204, के प्रावधान के अनुरूप विधि द्वारा निर्मित विनियोगों को छोड़कर राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन आहरित नहीं किया जाएगा।

वित्त विभाग के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान शीर्ष 2202-80-107-08 के अंतर्गत न तो कोई मूल न ही कोई अनुपूरक प्रावधान था परन्तु ₹ 6.16 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था। अतः पुनर्विनियोजन, पूर्वोक्त प्रावधान का उल्लंघन था। पुनर्विनियोजन आदेशों के अनुसार इस भिन्नता का कारण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों का अधिक आवेदन था, जोकि स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस शीर्ष के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। **इसके अतिरिक्त, निधियां आहरित की गईं तथा जुलाई 2018 तक बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी रही।**

2.7.1.6 बंद स्कीम हेतु अनुचित प्रावधान

आयोजनागत स्कीमों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि लेखा शीर्ष 2202-80-107-15, छात्रवृत्ति, वृत्ति एवं रियायत के अंतर्गत वर्ष 2017-18 हेतु प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में ₹ एक करोड़ का मूल बजट प्रावधान किया गया।

निदेशक उच्चतर शिक्षा द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित परिव्यय के अनुसार लेखा शीर्ष के अंतर्गत किसी प्रावधान का कोई प्रस्ताव नहीं था। तथापि, आधिक्य एवं अभ्यर्पण/विनियोजन लेखाओं के अनुसार स्कीम में ₹ एक करोड़ का प्रावधान था व प्रदत्त सम्पूर्ण राशि की बचत हुई। स्कीम 18/11/2013 में वापस ले ली गई तथा बंद स्कीम पर वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधान अनुचित था। संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा), निदेशक उच्चतर शिक्षा ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि विभाग ने किसी प्रावधान हेतु कोई मांग नहीं की थी और यह सरकार द्वारा स्वयं दिया गया।

2.7.1.7 अपेक्षित अनुपात का अनुरक्षण न होने के फलस्वरूप सर्व-शिक्षा अभियान में समरूप राज्यांश का कम व्यय

वित्त विभाग में अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि सर्व शिक्षा अभियान में शीर्ष - 2202-01-111-01-सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹ 263.24 करोड़ (90 प्रतिशत के रूप में ₹ 236.92 करोड़ का केन्द्रीय अंश तथा 10 प्रतिशत के रूप में ₹ 26.32 करोड़ का राज्य अंश) का कुल प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान में से केन्द्रीय अंश में ₹ 36.28 करोड़ व राज्य अंश में ₹ 24.10 करोड़ के पुनर्विनियोजन के पश्चात् अंतिम अंश क्रमशः ₹ 200.64 करोड़ व ₹ 2.22 करोड़ शेष रहे, जोकि अपेक्षित अनुपात में नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.07 करोड़ का राज्यांश कम निस्तारित/व्यय हुआ।

2.7.1.8 बजटीय विवरण को प्रस्तुत करने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष से, बजट प्राक्कलन, आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी, आधिक्य एवं अभ्यर्पण की अंतिम विवरणी क्रमशः 25 अक्टूबर, 01 दिसम्बर व 31 मार्च को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। तथापि, यह देखा गया कि निदेशक, उच्चतर शिक्षा एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु बजट प्राक्कलन, आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पण की अंतिम विवरणी, 25 तथा 88 दिनों के मध्य की देरी से प्रस्तुत की गईं, जिसका विवरण तालिका 2.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.9: वित्त विभाग को बजटीय विवरण प्रस्तुत करने का विवरण

क्रमांक	विवरण	विभाग	देय तिथि	प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि *	प्रस्तुत करने में विलम्ब
1	बजट प्राक्कलन	निदेशक, उच्चतर शिक्षा	25 अक्टूबर 2016	21 जनवरी 2017	88
		निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा	25 अक्टूबर 2016	19 नवम्बर 2016	25
2	आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी	निदेशक, उच्चतर शिक्षा	01 दिसम्बर 2017	05 जनवरी 2018	35
		निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा	01 दिसम्बर 2017	22 फरवरी 2018	83
3	आधिक्य एवं अभ्यर्पण की अंतिम विवरणी	निदेशक, उच्चतर शिक्षा	31 मार्च 2018	10 मई 2018	40
		निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा	31 मार्च 2018	22 मई 2018	52

* वित्त विभाग में प्रस्तुतीकरण की वास्तविक तिथि

यह दर्शाता है कि विभाग ने बजट प्राक्कलन तथा बजटीय विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा का पालन नहीं किया था। संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा), निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने बताया कि भविष्य में विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएगा।

2.7.1.9 अवास्तविक बजट प्राक्कलन/प्रावधान

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के परिच्छेद 5.3 में नियत है कि प्राक्कलन पूर्ण एवं शुद्ध होने चाहिए। सभी प्राक्कलन बनाने वाले अधिकारियों को पता होना चाहिए कि आकलन में जितने परिहार्य अतिरिक्त प्रावधान होंगे, स्वीकृत व्यय में उतनी ही अधिक वित्तीय अनियमितताएं होंगी, जिसके परिणाम गंभीर होंगे तथा जिस भी अधिकारी की गलती पाई जाएगी उसे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

वित्त विभाग के अभिलेखों की नमूना जांचों के दौरान यह देखा गया कि निदेशक, उच्चतर शिक्षा, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत बजट प्राक्कलन की स्थिति तथा वर्ष 2017-18 हेतु वित्त विभाग द्वारा दिए बजट प्राक्कलन का विवरण तालिका 2.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.10: बजट प्राक्कलन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विभागीय प्राक्कलन	वित्त विभाग द्वारा प्रावधान	आधिक्य/ कम प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन
2202-02-001-01 आयोजनेतर	14.60	15.47	0.87	15.14	0.32	(-) 0.65
2202-02-101-01 आयोजनेतर	11.75	11.84	0.09	17.57	6.93	(-) 1.20
2202-02-109-01 आयोजनेतर	1,619.62	1,678.89	59.27	1,722.92	147.01	(-) 102.98
2202-01-001-01 आयोजनेतर	19.59	16.34	(-)3.25	17.01	1.48	(-) 0.81
2202-01-101-01 आयोजनेतर	1,466.66	1,460.79	(-)5.87	1,312.39	1.01	(-) 149.40
2202-01-101-03 आयोजनेतर	1,331.55	1,007.99	(-)323.56	929.61	1.41	(-) 79.79
कुल	4,463.77	4,191.32		4,014.64	158.16	(-) 334.83

उपर्युक्त तालिका में यह देखा गया कि छः उप-शीर्षों के अंतर्गत, विभागीय प्राक्कलनों का वित्त विभाग द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया गया तथा उच्च शिक्षा विभाग की मांग के प्रति प्रदत्त प्रावधान में ₹ 0.87 करोड़ तथा ₹ 59.27 करोड़ तक की भिन्नता अधिक प्रावधान के रूप में पाई गई जबकि प्राथमिक शिक्षा विभाग की मांग के प्रति वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त प्रावधान में ₹ 3.25 करोड़ तथा ₹ 323.56 करोड़ तक की भिन्नता कम प्रावधान के रूप में पाई गई। वास्तविक व्यय न तो विभाग के प्राक्कलन के समीप था न ही वित्त विभाग के आकलन के करीब था। ₹ 158.16 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान के बावजूद ₹ 334.83 करोड़ की बचत हुई। अतः बजट प्राक्कलन/प्रावधान अवास्तविक थे।

संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने अतिरिक्त बजट की मांग की थी तथा अपूर्ण संहितागत औपचारिकता के कारण हुई बचतें भी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की वजह से थी। यह शिक्षा/वित्त विभाग द्वारा निधियों की आवश्यकता की अप्रभावी योजना तथा अवास्तविक प्राक्कलन को इंगित करती है।

2.7.1.10 अपूर्ण संहितागत औपचारिकताओं के कारण बचतें

निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि छः लघु शीर्षों वाले दो मुख्य शीर्षों (2202-सामान्य शिक्षा और 2205-कला एवं संस्कृति) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 25.25 करोड़ के अंतिम अनुदान के प्रति ₹ 22.51 करोड़ का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.74 करोड़ की अत्यधिक बचत हुई। वित्तीय वर्ष के दौरान अपूर्ण संहितागत औपचारिकताओं के कारण ₹ 2.74 करोड़ की राशि खर्च नहीं की जा सकी जिससे लाभार्थी अपेक्षित लाभों से वंचित रहे। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि अपूर्ण अपेक्षित संहितागत औपचारिकताएं समय पर पूर्ण नहीं की जा सकी।

2.7.1.11 व्यय का तीव्र प्रवाह

राज्य सरकार ने व्यय करने की तिमाही-वार प्रतिशतता निर्धारित (सितम्बर 1995) की है। वर्ष 2017-18 के दौरान अनुदान संख्या-08 के मामले में निर्धारित तिमाही-वार व्यय के प्रवाह को नहीं बनाए रखा गया था जिसका विवरण तालिका 2.11 में दिया गया है:

तालिका 2.11: व्यय का तीव्र प्रवाह

माह	व्यय	तिमाही	तिमाही के दौरान व्यय के लिए निर्धारित मानक (प्रतिशत)	तिमाही व्यय (₹ करोड़ में)	वास्तविक व्यय का प्रतिशत
अप्रैल-2017	138.78	प्रथम	20	527.10	21
मई-2017	176.59				
जून-2017	211.73				
जुलाई-2017	242.27	द्वितीय	25	602.04	24
अगस्त-2017	174.88				
सितम्बर-2017	184.89				
अक्टूबर-2017	187.78	तृतीय	30	573.35	23
नवम्बर-2017	211.55				
दिसम्बर-2017	174.02				

माह	व्यय	तिमाही	तिमाही के दौरान व्यय के लिए निर्धारित मानक (प्रतिशत)	तिमाही व्यय (₹ करोड़ में)	वास्तविक व्यय का प्रतिशत
जनवरी-2018	194.11	चतुर्थ	25	773.00	32
फरवरी-2018	201.19				
मार्च-2018	377.70				
कुल	2,475.49		100	2,475.49	100

उपर्युक्त तालिका से देखा गया है कि विभाग ने व्यय के लिए निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया था और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय का तीव्र प्रवाह 32 प्रतिशत था एवं 2018 के मार्च माह के दौरान यह अनुदान के कुल व्यय (₹ 2,475.49 करोड़) का केवल 15 प्रतिशत (₹ 377.70 करोड़) था। 30 प्रतिशत के मानक के प्रति तीसरी तिमाही में व्यय 23 प्रतिशत था। यह न केवल निधियों के आबंटन एवं उपयोग हेतु योजना की कमी दर्शाता है बल्कि व्यय नियंत्रण प्रणाली के अभाव को भी दिखाता है।

2.7.2 अनुदान संख्या 12-“बागवानी”

2017-18 के दौरान अनुदान के अंतर्गत आबंटित निधियों तथा किए गए व्यय की समग्र स्थिति तालिका 2.12 में दर्शाई गई है:

तालिका 2.12: 2017-18 के दौरान आबंटित निधियों का प्रावधान तथा किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रवर्ग	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
राजस्व प्रभाग	349.40	246.43	(-) 102.97
पूंजीगत प्रभाग	26.61	26.60	(-) 0.01*
कुल	376.01	273.03	(-) 102.98

*वास्तविक आंकड़ा केवल ₹ 5,370/- है।

उपर्युक्त तालिका से देखा गया है कि अनुदान के अंतर्गत ₹ 376.01 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति किए गए ₹ 273.03 करोड़ के व्यय के फलस्वरूप ₹ 102.98 करोड़ की समग्र बचत हुई। इससे प्रदर्शित होता है कि बजट प्रावधान वास्तविक नहीं थे।

2.7.2.1 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के परिच्छेद 1.20 के अनुसार अनुपूरक अनुदान से तात्पर्य, उस वर्ष के विनियोजन अधिनियम के पूर्व में सम्मिलित व्यय की अधिक राशि को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोजन में शामिल एक प्रावधान से है।

2017-18 के दौरान राजस्व प्रभाग-दत्तमत्त के अंतर्गत अनुदान में ₹ 349.40 करोड़ के कुल अनुदान (मूल: ₹ 303.14 करोड़ व अनुपूरक: ₹ 46.26 करोड़) के प्रति ₹ 246.43 करोड़ का व्यय हुआ। चूंकि व्यय ₹ 303.14 करोड़ के मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंचा अतः ₹ 46.26 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

2.7.2.2 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधान पर आधिक्य (+)/बचत (-)

2017-18 के दौरान, सात मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 376.01 करोड़ का कुल प्रावधान था (मूल प्रावधान ₹ 317.75 करोड़ व अनुपूरक प्रावधान: ₹ 58.26 करोड़) जिसका विवरण तालिका 2.13 में दिया गया है:

तालिका 2.13: बजट प्रावधान पर आधिक्य (+)/बचत (-)

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान			कुल अंतिम अनुदान	व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन			
राजस्व प्रभाग							
1	2059- लोक निर्माण कार्य	0.00	0.05	0.00*	0.05	0.05	-
2	2216-आवास	0.02	0.05	0.00*	0.07	0.07	-
3	2401- फसल पालन	255.74	3.08	(-) 108.64	150.18	150.32	0.14
4	2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	47.38	43.08	5.53	95.99	95.99	-
कुल		303.14	46.26	(-) 103.11	246.29	246.43	0.14
पूंजीगत प्रभाग							
5	4401- फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	14.61	-	0.00*	14.61	14.61	0.00*
6	4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00*	-	0.00*	-	-	-
7	6401- फसल पालन हेतु ऋण	0.00*	12.00	(-) 0.00*	12.00	12.00	-
कुल		14.61	12.00	0.00*	26.61	26.61	(-) 0.00*
कुल योग		317.75	58.26	(-) 103.11	272.90	273.04	0.14

*वास्तविक आंकड़ें केवल ₹ 1,000/-; 2,000/-; (-) 2,164/-; (-) 27,077/-; (-) 663/-; (-) 1,000/-; (-) 2,000/-; (-) 3,663/-; एवं (-) 1,707/- हैं।

- मुख्य शीर्ष 2401- फसल पालन के अंतर्गत ₹ 258.82 करोड़ (मूल: ₹ 255.74 करोड़ व अनुपूरक: ₹ 3.08 करोड़) के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 150.32 करोड़ का व्यय हुआ। क्योंकि व्यय ₹ 255.74 करोड़ के मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंचा, ₹ 3.08 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। निदेशक, बागवानी ने कहा कि अनुपूरक प्रावधान को अनावश्यक रूप से नहीं बनाया गया था क्योंकि निधियों को योजनागत तथा आयोजनेतर के बीच हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को समग्र बजट प्रावधान से पहले उचित विश्लेषण करना चाहिए था।
- विभाग ने मुख्य शीर्ष '2401-फसल पालन' के अंतर्गत ₹ 108.64 करोड़ की राशि का पुनर्विनियोजन किया गया जिसमें बागवानी विकास परियोजना के क्रियान्वयन न होने से ₹ 65.81 करोड़ की राशि विभिन्न योजनाओं हेतु केन्द्रीय अंश के निस्तारित न किए ₹ 23.25

करोड़ की राशि तथा वेतन व विविध व्ययों पर कम आहरण के कारण शेष राशि सम्मिलित थी। निदेशक ने तथ्य स्वीकार किया। यह अवास्तविक बजट प्राक्कलन को दर्शाता है।

2.7.2.3 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

मुख्य शीर्ष '2401-फसल पालन' के चार उप-शीर्षों के अंतर्गत अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप ₹ 31.43 लाख का व्यय आधिक्य हुआ। उप शीर्ष (2401-00-119-05) बागवानी विकास के मामले में ₹ 15.50 लाख के अनुपूरक प्रावधान को प्राप्त करने के बावजूद ₹ 15.95 लाख का व्यय आधिक्य हुआ। विवरण तालिका 2.14 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.14: अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

(₹ लाख में)

क्रमांक	स्कीम/सेवा का मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान			कुल	व्यय	आधिक्य
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन			
1	2401-00-119-02 (जिला एवं क्षेत्रीय स्टाफ)	2,764.82	-	(-) 509.43	2,255.39	2,256.48	1.09
2	2401-00-119-05 (बागवानी विकास)	1,568.91	15.50	(-) 47.13	1,537.28	1,553.23	15.95
3	2401-00-119-11 (सरकारी बागों/नर्सरी की स्थापना/अनुरक्षण)	804.10	-	(-) 121.90	682.20	683.04	0.84
4	2401-00-119-19 (प्रशिक्षण एवं विस्तार)	2,341.11	-	(-) 291.83	2,049.28	2,062.83	13.55
	कुल	7,478.94	15.50	(-) 970.29	6,524.15	6,555.58	31.43

यह दर्शाता है कि बजट प्राक्कलन वास्तविक नहीं थे।

2.7.2.4 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण न होना

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली (परिच्छेद 11.2, का अध्याय 11) के अनुसार सभी बचतें, जब भी प्रत्याशित हों, उन्हें व्यय विभाग, आगामी 15 जनवरी तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित करना चाहिए। अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने मुख्य शीर्ष 2401-फसल पालन के निम्नलिखित उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 30.74 लाख की बचतें अभ्यर्पित नहीं की जिसका विवरण तालिका 2.15 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.15: अभ्यर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें

(₹ लाख में)

लेखाओं के शीर्ष	स्कीम का नाम	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) / बचतें (-)
2401-00-119-04	पौध संरक्षण योजना	100.00	83.70	(-) 16.30
2401-00-119-05	बागवानी विकास	72.00	57.56	(-) 14.44
	कुल	172.00	141.26	(-) 30.74

निदेशक, बागवानी ने बताया कि दर-अनुबंध पर अंतिम निर्णय न होने से बागवानी सम्बन्धी उपकरणों की कम खरीद के कारण वर्ष 2017-18 के दौरान बचतें निर्धारित समय-सीमा से पूर्व उचित रूप से अभ्यर्पित नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को सभी संहितागत औपचारिकताओं को समय पर सुनिश्चित करना चाहिए था।

2.7.2.5 व्यय का तीव्र प्रवाह

राज्य सरकार ने व्यय करने की तिमाही-वार प्रतिशतता निर्धारित (सितम्बर 1995) की है। वर्ष 2017-18 के दौरान अनुदान संख्या 12 के मामले में तिमाही-वार निर्धारित व्यय के प्रवाह को नहीं बनाए रखा गया था, जिसका विवरण तालिका 2.16 में दिखाया गया है:

तालिका 2.16: व्यय का तीव्र प्रवाह

माह	व्यय	तिमाही	तिमाही के दौरान व्यय के लिए निर्धारित मानक (प्रतिशत में)	तिमाही में व्यय (₹ करोड़ में)	वास्तविक व्यय का प्रतिशत
अप्रैल-2017	17.43	प्रथम	20	53.73	19
मई-2017	8.68				
जून-2017	27.62				
जुलाई-2017	18.55	द्वितीय	25	59.42	22
अगस्त-2017	9.33				
सितम्बर-2017	31.54				
अक्टूबर-2017	21.74	तृतीय	30	57.18	21
नवम्बर-2017	17.04				
दिसम्बर-2017	18.40				
जनवरी-2018	20.17	चतुर्थ	25	102.71	38
फरवरी-2018	38.12				
मार्च-2018	44.42				
योग	273.04		100	273.04	100

विभाग ने व्यय के लिए निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया था और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय का तीव्र प्रवाह 38 प्रतिशत था एवं केवल 2018 के मार्च माह के दौरान यह अनुदान के कुल व्यय (₹ 273.04 करोड़) का 16 प्रतिशत (₹ 44.42 करोड़) था। तीसरी तिमाही में व्यय 30 प्रतिशत के मानक के प्रति 21 प्रतिशत था। यह न सिर्फ निधियों के उपयोग एवं आबंटन हेतु योजना में कमी को दर्शाता है बल्कि व्यय नियंत्रण प्रणाली के अभाव को भी दर्शाता है।

2.7.2.6 बजटीय विवरण की प्रस्तुति में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष से बजट प्राक्कलन, आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पण की अंतिम विवरणी क्रमशः 25 अक्टूबर, 01 दिसम्बर व 15 जनवरी तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

तथापि, यह देखा गया कि निदेशक, बागवानी ने वर्ष 2017-18 हेतु बजट प्राक्कलन, आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पण की अंतिम विवरणी पांच दिनों तथा 120 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत की, जिसका विवरण तालिका 2.17 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.17: वित्त विभाग को बजटीय रिटर्न प्रस्तुत करने के विवरण

क्रमांक	रिटर्न का नाम	विभाग	देय तिथि	प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख	दिनों में विलम्ब
1	2017-18 हेतु बजट प्राक्कलन	बागवानी विभाग	25-अक्टूबर-16	22-फरवरी-17	120
2	2017-18 हेतु आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरण	बागवानी विभाग	01-दिसम्बर-17	11-दिसम्बर-2017	10
3	2017-18 हेतु आधिक्य एवं अभ्यर्पण का अंतिम विवरण	बागवानी विभाग	15-जनवरी-18	20- जनवरी -2018	5

यह दर्शाता है कि 2017-18 के दौरान विभाग ने बजट आकलनों तथा अन्य बजटीय रिटर्न को प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सारणी का अनुसरण नहीं किया था।

2.8 कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम

2.8.1 पेंशन लाभों का अधिक भुगतान

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा जिला कोषागारों/कोषागारों के निरीक्षण 2016-17 के दौरान पेंशन भुगतान के अभिलेखों की नमूना-जांच में देखा गया कि चार जिला कोषागार अधिकारियों ने नौ पारिवारिक पेंशनभोगियों को ₹ 1.63 लाख तक की अधिकतम सीमा से अधिक भुगतान किया था, जैसाकि तालिका 2.18 में ब्यौरा दिया गया है। अधिक भुगतान निर्धारित अवधि के बाद बढ़ाई गई परिवार पेंशन दर तथा 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पारिवारिक पेंशन के प्राधिकार के कारण हुआ था।

तालिका 2.18: पेंशन लाभों का अधिक भुगतान (परिवार पेंशन के आधार पर)

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला कोषागार/कोषागार का नाम	अधिक भुगतान की प्रकृति	मामलों की संख्या	भुगतान		
				बैंक के माध्यम से	कोषागार के माध्यम से	कोषागार वार कुल
1.	जिला कोषागार, बिलासपुर	पारिवारिक पेंशन	01	---	कोषागार के द्वारा	0.59
2.	जिला कोषागार, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	पारिवारिक पेंशन	01	---	कोषागार के द्वारा	0.29
3.	जिला कोषागार, मंडी	पारिवारिक पेंशन	03	---	कोषागार के द्वारा	0.28
4.	जिला कोषागार, शिमला	पारिवारिक पेंशन	04	---	कोषागार के द्वारा	0.47
		योग	09			1.63

स्रोत: वर्ष 2016-17 के लिए हिमाचल प्रदेश में कोषागारों की कार्यप्रणाली पर महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा तैयार किया गया वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

2.8.2 समूह बीमा योजना के तहत किए गए भुगतान का गलत वर्गीकरण

जिला कोषागारों/कोषागारों की हिमाचल प्रदेश कोषागार ऑनलाईन सूचना प्रणाली में उपलब्ध वर्ष 2016-17 के आंकड़ों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि नौ जिला कोषागारों तथा 18 कोषागारों द्वारा बचत निधि के अंतर्गत ₹ 4.65 लाख की लागत का भुगतान बीमा निधि के खाते पर गलत तरीके से बुक किया गया। इसी प्रकार बचत निधि के खाते पर ₹ 17.39 लाख की भुगतान से सम्बन्धित राशि को बीमा निधि में गलत तरीके से बुक किया गया। जिसका विवरण परिशिष्ट 2.15 में है। गलत बुकिंग का परिणाम बचत तथा बीमा निधि पर देय ब्याज के अशुद्ध आकलन के रूप में हुआ।

2.8.3 पेंशनभोगी शीर्षों के तहत व्यय का गलत वर्गीकरण

वर्ष 2016-17 हेतु हिमाचल प्रदेश कोषागार ऑनलाईन सूचना प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि पेंशनभोगी लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 41.81 लाख की राशि का गलत वर्गीकरण किया गया जिसका जिला कोषागार अधिकारियों/कोषागार अधिकारियों द्वारा दिया गया विवरण तालिका 2.19 तथा परिशिष्ट 2.16 में दर्शाया गया है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप लेखाओं में व्यय का अशुद्ध चित्रण होता है।

तालिका 2.19: पेंशनभोगी शीर्षों के तहत व्यय का गलत वर्गीकरण

(₹ लाख में)

क्रमांक	सही लेखा शीर्ष	व्यय की प्रकृति	लेखा शीर्ष जिसके अंतर्गत राशि को गलत बुक किया गया	राशि
1.	2071-01-104-02	डी.सी.आर.जी	2071-01-102-02	8.70
2.	2071-01-101-03	पेंशन	2071-01-101-02 एवं 2071-01-105-01	33.11
			कुल	41.81

स्रोत: वर्ष 2016-17 के लिए हिमाचल प्रदेश में कोषागारों की कार्य प्रणाली पर महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा तैयार किया गया वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन।

2.8.4 बिना बजट बिलों का अनुमोदन

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली भाग-I के नियम 17.14 में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी पहले से अतिरिक्त विनियोजन प्राप्त किए बिना सम्बन्धित शीर्षों के अंतर्गत व्यय हेतु प्रदत्त राशि से अधिक खर्च नहीं कर सकता। यदि सरकारी कर्मचारी वार्षिक विनियोजन की सीमा पार करता है तो उसे इस व्यय आधिक्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली 2007 के नियम 5.20 का बिंदू 15 आगे कहता है कि कोषागार में बिल सहायक, बिल पास करते समय संवितरण एवं आहरण अधिकारी के पास सम्बन्धित शीर्ष के तहत पर्याप्त बजट की उपलब्धता की जांच पड़ताल कर लें।

जिला कोषागारों/कोषागारों में वर्ष 2016-17 हेतु आंकड़ों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि बजट उपलब्ध न होने के बावजूद 105 मामलों में 12 जिला कोषागार अधिकारियों और 20 कोषागार अधिकारियों ने 85 संवितरण एवं आहरण अधिकारियों के सम्बन्ध में ₹ 12.98 करोड़ की राशि अधिकृत की थी जिसका विवरण परिशिष्ट 2.17 में दर्शाया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान बिना बजट बिलों के अनुमोदन, न सिर्फ विधायिका द्वारा प्रदान किए गए विनियोजन का उल्लंघन करते हुए निधियों के अनाधिकृत आहरण में परिणत हुआ बल्कि वित्तीय अनुशासनहीनता की ओर भी ले गया।

2.8.5 निधियों का संस्वीकृत बजट से अधिक अनुमोदन

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली 2007 के नियम 5.20 के बिन्दु 15 में निहित प्रावधानों के अनुसार कोषागार अधिकारी को बिल पास करते समय यह देखना आवश्यक है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पास सम्बन्धित शीर्ष के तहत पर्याप्त बजट उपलब्ध है।

कोषागारों के निरीक्षण (2016-17) के दौरान यह देखा गया कि 12 जिला कोषागार अधिकारियों तथा 72 कोषागार अधिकारियों ने 370 संवितरण एवं आहरण अधिकारियों को उपलब्ध बजट से अधिक ₹ 57.22 करोड़ की राशि अधिकृत की जिसका विवरण परिशिष्ट 2.18 में दिया गया है। वर्ष 2016-17

के दौरान संस्वीकृत बजट से आधिक्य में निधियों का अनुमोदन न सिर्फ विधायिका द्वारा प्रदान किए गए विनियोजन का उल्लंघन करते हुए निधियों के अनाधिकृत आहरण में परिणत हुआ बल्कि वित्तीय अनुशासनहीनता की ओर भी ले गया। मूलरूप से अनाधिकृत आहरणों के कुछ मामले नीचे सूचीबद्ध हैं:

जिला कोषागार/कोषागार का नाम	संवितरण एवं आहरण अधिकारियों की संख्या	मामलों की संख्या	अधिकृत आधिक्य राशि (₹ लाख में)
जिला कोषागार, चम्बा	05	06	220.07
राज्य कोषागार, कांगड़ा	09	10	1,357.19
जिला कोषागार, मण्डी	08	08	303.46
जिला कोषागार, नालागढ़	06	06	248.48

2.9 निष्कर्ष

2017-18 के दौरान, कुल अनुदानों एवं विनियोजनों के ₹ 41,267.45 करोड़ के प्रति ₹ 37,811.09 करोड़ का व्यय किया। ₹ 3,456.36 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों में हुई ₹ 3,843.12 करोड़ की बचतों का परिणाम थी, जो कि दो अनुदानों एवं एक विनियोजन में हुए ₹ 386.76 करोड़ के व्यय आधिक्य से समायोजित हुई जिसका, 2011-12 से 2016-17 की अवधि हेतु ₹ 9,402.18 करोड़ के व्यय आधिक्य के साथ-साथ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत राज्य विधायिका से नियमितिकरण करवाना अपेक्षित है।

21 उप-शीर्षों में ₹ 1,340.08 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि व्यय या तो मूल प्रावधान के अनुरूप नहीं था अथवा कुल अनावृत्त व्यय आधिक्य रहा था तथा 20 उप-शीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में निधियों का पुनर्विनियोजन अनुचित रूप से किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आधिक्य/बचतें हुईं। 60 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) वित्तीय वर्ष के अंत पर ₹ 2,558.50 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया। 70 मामलों/उप-शीर्षों में ₹ 681.87 करोड़ राशि के 100 प्रतिशत अनुदान अभ्यर्पित किए गए थे।

छ: मामलों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय 65 तथा 97 प्रतिशत के मध्य था और केवल मार्च 2018 के महीने के दौरान इन लेखा-शीर्षों के अंतर्गत किया गया व्यय, कुल व्यय का 58 से 88 प्रतिशत था।

अध्याय-III
वित्तीय विवरण

अध्याय - III

वित्तीय विवरण

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ ठोस आन्तरिक वित्तीय विवरण सहित राज्य सरकार के कुशल तथा प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। इस प्रकार ऐसी अनुपालनाओं की प्रास्थिति पर विवरण की समयबद्धता तथा गुणवत्ता के साथ-साथ वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निदेशों की अनुपालना सफल शासन के गुणों में से एक है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों का विवरण, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक है, तो राज्य सरकार को नीतिगत योजना तथा निर्णय क्षमता सहित इसकी मूल प्रबंधकता उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग देता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निदेशों सहित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा प्रास्थिति उपलब्ध करवाता है।

3.1 प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि अनुदानग्राहियों को विभागीय अधिकारियों से विशिष्ट उद्देश्यार्थ अनुदानों के प्रयुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किये जाने चाहिए तथा सत्यापन के बाद इन्हें संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रेषित किया जाना चाहिए, जब तक कि अन्य कोई निर्देश निर्दिष्ट न हो। तथापि, मार्च 2018 तक ₹ 5,317.40 करोड़ के अनुदानों व ऋणों के सम्बन्ध में देय 5,004 प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों में से ₹ 2,799.78 करोड़ (53 प्रतिशत) की कुल राशि के 2,710 (54 प्रतिशत) प्रयुक्ति प्रमाणपत्र लम्बित थे। बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों का विभाग-वार ब्यौरा परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है तथा प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में अवधि-वार विलम्ब का सार तालिका 3.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1: 31 मार्च 2018 तक प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों का अवधि-वार बकाया

क्रमांक	विलम्बावधि (संख्या वर्षों में)	प्रदत्त कुल अनुदान		बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	0 - 1	2,443	2,435.46	1,559	1,797.96
2.	2 - 3	1,693	2,178.33	677	797.23
3.	4	361	304.52	159	103.80
4.	5 - 6	507	399.09	315	100.79
	योग	5,004	5,317.40	2,710	2,799.78

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों के बकाया/लम्बित मामलों में से अधिकांश 44 प्रतिशत ग्रामीण विकास (1,182 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 1,200.95 करोड़) तथा अन्य मुख्य विभाग शहरी विकास (126 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 455.26 करोड़), चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (113 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 186.04 करोड़), आवास (153 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 60.28 करोड़), उद्योग (94 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 36.81 करोड़), कला एवं संस्कृति (132 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 5.25 करोड़), आबकारी एवं कराधान विभाग (स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति व कार्यभार)(258 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 9.95 करोड़) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (163 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 27.42 करोड़) वन (131 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 6.71 करोड़) इत्यादि से सम्बन्धित थे।

प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों की लम्बित प्रस्तुति, विभाग द्वारा अनुदानकर्ताओं को जारी अनुदानों के उपयोग की निगरानी में कमी को दर्शाती है। प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न करना, सार्वजनिक सम्पत्ति पर विधायी-नियंत्रण के उद्देश्य को विफल बनाता है तथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु जारी

निधियों के अवरूद्ध होने, दुरुपयोग अथवा अप्राधिकृत उद्देश्यों हेतु व्यपवर्तन के जोखिम को बढ़ाता है।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों को जारी अनुदान के सम्बंध में प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों की समयबद्ध प्रस्तुति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

3.2 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा के समक्ष रखने में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, शहरी विकास, कल्याण, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है, जहां राज्य के 14 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 14 में से केवल एक, हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, शिमला ने ही 2017-18 के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। सितम्बर 2018 तक शेष 13 संस्थाओं द्वारा लेखापरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत करने में देरी एक से चार वर्ष के बीच रही। लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जारी करने तथा इसको विधान सभा पटल पर रखने की प्रास्थिति **परिशिष्ट 3.2** में इंगित की गई है। वर्ष-वार विवरण **तालिका 3.2** में दिखाया गया है।

तालिका 3.2: वार्षिक लेखाओं का वर्ष-वार बकाया

क्रमांक	वर्षों का विलम्ब	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या
1.	0-1	03
2.	2-3	09
3.	3-4	01
	योग	13

लेखों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं के न पकड़े जाने का जोखिम रहता है इसलिए लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने तथा लेखापरीक्षा के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

3.3 प्रदत्त अनुदानों/ऋणों के ब्यौरे का अप्रस्तुतीकरण

संस्थाएं/संगठन जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 14 तथा 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आकृष्ट करते हैं, उन्हें पहचानने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों से प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा को विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता का उद्देश्य तथा संस्थाओं के कुल व्यय से सम्बंधित विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 में प्रावधान है कि सरकार तथा विभागाध्यक्ष जो निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण की संस्वीकृति देते हैं, ऐसे निकायों अथवा प्राधिकरणों, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल ₹ 10 लाख या अधिक के अनुदान या ऋण दिए गए थे, का विवरण प्रतिवर्ष जुलाई के अंत में लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजें जिसमें (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी तथा (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित किया गया हो।

तथापि, किसी भी विभाग/स्वायत्त निकाय (कुल 20 विभागों/स्वायत्त निकायों में से) ने इस तरह का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया था। ऐसी जानकारी के अभाव में, सभी निकायों/प्राधिकरणों का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें अधिनियम की धारा 14 व 15 के तहत की जाने वाली लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जिसके परिणामस्वरूप राज्य की समेकित निधि में

से दिये गए ऐसे ऋणों एवं अनुदानों में से व्यय की परिशुद्धता एवं औचित्य की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

इन संस्थानों/इकाइयों द्वारा लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखाओं के संकलन एवं प्रस्तुति के लिए उपयुक्त उपाय, राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित/आश्वस्त किए जाने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी वित्तीय अनियमितता, जानकारी में आने से छूट न जाए।

3.4 दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि

विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दुर्विनियोजन, हानियों, चोरी, इत्यादि मामलों के सम्बंध में वर्णन किया गया है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा सितम्बर 2018 तक इन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जुलाई 2018 तक राज्य सरकार ने ₹ 80.03 लाख के सरकारी धन से अन्तर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि, चोरी इत्यादि के 48 मामले सूचित किये जिन पर अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। इन सभी मामलों में सम्बंधित विभागों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज करवाई गई थी। इनमें से 46 मामले पांच साल से अधिक पुराने थे। लम्बित मामलों का विभाग-वार ब्यौरा तथा अवधि-वार विश्लेषण परिशिष्ट 3.3 तथा इन मामलों की प्रकृति परिशिष्ट 3.4 में दी गयी है। लम्बित मामलों की अवधि-रूपरेखा तथा प्रत्येक श्रेणी 'चोरी एवं दुर्विनियोजन/हानि' में लम्बित मामलों की संख्या जो इन परिशिष्टों से उजागर हुई, को तालिका 3.3 में सारांशित किया गया है।

तालिका 3.3: दुर्विनियोजन/हानियों एवं चोरी की रूपरेखा

लम्बित मामलों की अवधि रूपरेखा			लम्बित मामलों की प्रकृति		
अवधि वर्षों में	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)	मामलों की प्रकृति/लक्षण	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)
0 - 5	02	4.41	चोरी	08	8.08
5 - 10	09	13.41			
10 - 15	05	12.03			
15 - 20	13	41.44			
20 - 25	03	4.91	दुर्विनियोजन/सामग्री की हानि	40	71.95
25 व इससे ऊपर	16	3.83			
योग	48	80.03	योग	48	80.03

आगे का विश्लेषण इंगित करता है कि बकाया मामलों के कारणों का वर्गीकरण तालिका-3.4 में सूचीबद्ध श्रेणियों में किया जा सकता था।

तालिका 3.4: दुर्विनियोजन/हानि, चोरी इत्यादि के बकाया मामलों के कारण

विलम्ब/बकाया मामलों के कारण		मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
(i)	विभागीय एवं आपराधिक जांच के लिए प्रतीक्षित	26	31.38
(ii)	वसूली अथवा बट्टे खाते में डालने हेतु आदेशों के लिए प्रतीक्षित	01	2.57
(iii)	न्यायालय में लम्बित	06	26.72
(iv)	वसूली की गई/बट्टे खाते में डाले गए लेकिन लोक लेखा समिति से अंतिम निपटान के लिए प्रतीक्षित	14	18.94
(v)	अन्य	01	0.42
योग		48	80.03

चोरी, दुर्विनियोजन (दुरुपयोग) तथा हानियों से सम्बंधित मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी एवं समयबद्ध तंत्र का होना जरूरी है।

3.5 अस्थायी अग्रिमों का असमायोजन

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 में प्रावधान है कि कार्यालय अध्यक्ष या अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी वस्तुओं की खरीद अथवा सेवाएं किराये पर लेने अथवा अन्य किसी विशेष उद्देश्य हेतु सरकारी कर्मचारी को इस शर्त पर अग्रिम संस्वीकृत कर सकता है कि सम्बंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा समायोजन बिल, शेष सहित यदि कोई है, अग्रिम आहरण के पंद्रह दिन के भीतर जमा करवाया जाएगा।

अभिलेखों की नमूना-जांच तथा विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से उजागर हुआ कि 31 मार्च 2018 तक चार विभागों द्वारा उनके अभिलेखों में 2013-14 से 2017-18 की अवधि से सम्बंधित ₹ 26.03 करोड़ के अस्थायी अग्रिमों के 61 मामले उसी वित्त वर्ष में समायोजन वाऊचरों को प्रस्तुत न किये जाने के कारण समायोजन हेतु लम्बित थे तथा प्रयुक्ति प्रमाणपत्र भी प्रतीक्षित थे।

लम्बित अग्रिमों का अवधि-वार विश्लेषण तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: मार्च 2018 तक लम्बित अग्रिमों के मामलों का अवधि-वार विश्लेषण

क्रमांक	विभाग	लम्बित वर्ष	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	निदेशक, आयुर्वेद, शिमला	2013-14	02	100.00
		2014-15	04	55.50
		2015-16	16	312.50
		2016-17	10	368.71
		2017-18	13	339.47
2.	निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिमला	2014-15	13	1,398.33
3.	निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल, शिमला	2016-17	01	3.25
		2017-18	01	25.00
4.	निदेशक, भू-अभिलेख, शिमला	2016-17	01	0.30
योग			61	2,603.06

निर्धारित समयवधि में अग्रिमों की अवसूली/असमायोजन, वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है तथा जन-धन के दुरुपयोग तथा दुषित कार्यप्रणाली के जोखिम को बढ़ाता है।

3.6 लेखों की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक

3.6.1 मुख्य उचंत लेखाओं के तहत बकाया राशि

सरकार के लेखा, रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। सरकारी लेखा में दृष्टिगोचर कुछ लेन-देन जिनकी प्राप्तियां एवं भुगतान सूचना के अभाव अथवा किसी अन्य कारण से तुरन्त प्राप्ति अथवा व्यय के अंतिम शीर्ष तक नहीं ले जाए जा सकते हैं, 'उचंत लेखा शीर्ष' के अंतर्गत अस्थायी रूप से डाले जाते हैं। संबंधित ब्यौरों/सूचना की प्राप्ति पर ये लेखा शीर्ष अंततः माइनस डेबिट अथवा माइनस क्रेडिट द्वारा निपटाए जाते हैं जब इनके अंतर्गत राशि इनके सम्बंधित अंतिम लेखा शीर्ष के प्रति बुक की जाती हैं। यदि ये लेखा निपटाए नहीं जाते तो उचंत शीर्षों के अंतर्गत शेष जमा हो जाएंगे और सरकारी प्राप्तियों एवं व्यय को शुद्धतापूर्वक नहीं दर्शाएंगे। ऋण, जमा तथा छूट शीर्षों में वो लेन-देन होते हैं जहां सरकार जनता के धन के संरक्षक के रूप में ऐसी धन राशि को प्राप्त करती है और रखती है।

राज्य के वित्त लेखा 2017-18 की परिशुद्धता अंतिम वर्गीकरण के लिए प्रतीक्षित उचंत शीर्षों के अंतर्गत बड़ी संख्या में लेन-देन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। लेन-देन की सामान्य समीक्षा से निम्नवत् इंगित हुआ:

कुछ मुख्य उचंत लेखा शीर्षों जैसा कि महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित खाता बही में अभिलिखित है, के अंतर्गत शेष तालिका 3.6 में इंगित किए गए हैं।

तालिका 3.6: उचंत शीर्ष (8658 – उचंत लेखा)

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	55.66	18.15	77.13	29.96	86.03	36.55
निवल	37.51 डेबिट		47.17 डेबिट		49.48 डेबिट	
102-उचंत लेखा (सिविल)	194.87	212.23	275.05	275.24	171.47	164.12
निवल	17.36 क्रेडिट		0.19 क्रेडिट		7.35 डेबिट	
112-स्रोत पर कर कटौती-उचंत	284.65	303.47	380.08	394.95	400.08	453.76
निवल	18.82 क्रेडिट		14.87 क्रेडिट		53.68 क्रेडिट	
129-सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखा	143.71	407.35	175.64	399.29	270.59	347.59
निवल	263.64 क्रेडिट		223.65 क्रेडिट		77.00 क्रेडिट	

वित्त लेखे इन शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। बकाया शेष की बकाया डेबिट तथा क्रेडिट को पृथक रूप से जोड़ कर गणना की जाती है। इन शीर्षों के तहत शेष राशि के निहितार्थों की चर्चा आगे के परिच्छेदों में की गई है:

➤ **वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत-(लघु शीर्ष 101)**

इस शीर्ष से अभिप्राय है कि महालेखाकार एवं विभिन्न पृथक वेतन एवं लेखा अधिकारियों के मध्य लेन-देन का निपटारा करना। महालेखाकार की लेखा बहियों में, वेतन एवं लेखा अधिकारी से बैंक/डिमांड ड्राफ्ट की प्राप्ति होने पर तथा वेतन एवं लेखा अधिकारी की ओर से राज्य कोषागारों में प्राप्त राशि के सम्बंध में जारी किए बैंक/निपटाए गए डिमांड ड्राफ्ट को इस शीर्ष के अंतर्गत मूलरूप से दर्ज किए जाते हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया नामे शेष का अर्थ है कि भुगतान महालेखाकार द्वारा वेतन एवं अधिकारी के माध्यम से कर दिया गया है जिसे अभी तक वसूला जाना है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया जमा शेष से अर्थ है कि महालेखाकार द्वारा वेतन एवं लेखा अधिकारी के माध्यम से राशि प्राप्त कर ली गई है जिसका अभी तक भुगतान करना था। इस शीर्ष के अंतर्गत निवल नामे शेष 2015-18 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है जो 2015-16 के ₹ 37.51 करोड़ से 2017-18 में ₹ 49.48 करोड़ तक बढ़ गए। इनके निपटान/समायोजन पर राज्य सरकार के नकद शेष में वृद्धि होगी।

➤ **उचंत लेखा-सिविल (लघु शीर्ष 102)**

लेन देनों के दौरान ध्यान में आई भिन्नताओं को अंतिम रूप से दर्ज करने हेतु महालेखाकार द्वारा इस लघु शीर्ष का परिचालन किया जाता है, जिन्हें कि निश्चित सूचना/दस्तावेजों अर्थात् चालान, वाऊचर, आदि के अभाव में व्यय/प्राप्ति के अंतिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है। इस लेखा में प्राप्तियां जमा की जाती हैं एवं व्यय को नामे डाला जाता है तथा अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने पर क्रमशः ऋणात्मक जमा एवं ऋणात्मक नामे के रूप में निपटान किया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया नामे शेष से तात्पर्य है 'भुगतान किया गया' परंतु इसे निश्चित विवरणों के अभाव में अंतिम शीर्ष के अंतर्गत नामे नहीं किया जा सका तथा बकाया जमा शेष प्राप्तियों को प्रदर्शित करता है, जिसे विवरणों के अभाव में लेखा के अंतिम

प्राप्ति शीर्ष में नामे नहीं डाला जा सका। तथापि, 31 मार्च 2018 तक इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 7.35 करोड़ का बकाया नामे शेष था।

➤ **स्रोत पर कर कटौती उचंत (लघु शीर्ष 112)**

इस लघु शीर्ष का उद्देश्य है, राज्य कोषागार अधिकारियों/राज्य वेतन एवं लेखे अधिकारियों/अन्य विभागीय अधिकारियों, जो राज्य के संकलित लेखाओं को प्रस्तुत करते हैं, के द्वारा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन बिलों तथा पेंशन बिलों इत्यादि जैसे स्रोतों पर आयकर कटौती पर प्राप्तियों के साथ-साथ बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अंचल लेखा कार्यालयों के साथ लेन-देन के निपटारे में उन्हें सक्षम बनाने हेतु राज्य के महालेखाकार की लेखा बहियों में भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालयों में राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर किए गए ब्याज भुगतान दर्ज करना। स्रोत पर कर कटौती के कारण हुई प्राप्तियां मुख्य शीर्ष 8658-उचंत लेखे के तहत लघु शीर्ष 112-स्रोत पर कर कटौती उचंत लेखे, में जमा की जाती है। इस जमा राशि का प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निपटान किया जाता है और आयकर विभाग को जमा किया जाता है। तथापि, 31 मार्च 2018 तक इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 53.68 करोड़ बकाया जमा शेष थे।

➤ इसी प्रकार, 31 मार्च 2018 तक इस शीर्ष के तहत 129-सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखा में ₹ 77 करोड़ का बकाया जमा शेष था।

3.7 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के परामर्श पर, संघ तथा राज्यों के लेखाओं को निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर सकते हैं। इस प्रावधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय शासकीय लेखांकन मानक अधिसूचित किए। वर्ष 2017-18 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना तथा इसकी कमियां, तालिका 3.7 में विवेचित की गई है:

तालिका 3.7: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्रमांक	लेखांकन मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	अनुपालना में पाई गई कमियां
1	भारतीय शासकीय लेखांकन मानक 1: सरकार द्वारा दी गई गारंटियां	अनुपालन (वित्त लेखे का विवरण 9 व 20)	--
2	भारतीय शासकीय लेखांकन मानक 2: सहायता अनुदानों का लेखांकन एवं वर्गीकरण	अनुपालन (वित्त लेखे का विवरण 10)	2017-18 के दौरान, पूंजीगत व्यय शीर्षों के तहत ₹1.21 करोड़ (₹ 0.85 करोड़+ ₹ 0.36 करोड़) राशि के सहायता अनुदान राज्य सरकार द्वारा खर्च किए गए, जो भारतीय शासकीय लेखांकन मानक-2 का उल्लंघन थे।
3	भारतीय शासकीय लेखांकन मानक 3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम	अनुपालन (वित्त लेखे का विवरण 18)	--

स्रोत: भारतीय शासकीय लेखांकन मानक एवं वित्त लेखे।

3.8 निष्कर्ष

प्रयुक्त प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में अधिक विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। वार्षिक लेखाओं के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अमुक स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान का पालन किया है। अधिकतर स्वायत्त निकायों द्वारा काफी अवधि से अंतिम लेखाओं को तैयार नहीं किया गया। परिणामतः, उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, अस्थाई अग्रिम के मामले समायोजन हेतु, सरकारी धन की चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामग्री की हानि व गबन के मामले लम्बी अवधि से विभागीय कार्रवाई के लिए लम्बित थे।

शिमला

दिनांक : 13 अगस्त 2019



(इन्द्र दीप सिंह धारीवाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 20 अगस्त 2019



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

राज्य रूपरेखा

क सामान्य आंकड़े

क्रमांक	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्रफल	55,673 वर्ग कि०मी०
2.	जनसंख्या	
	क जनगणना (2001) के अनुसार	0.61 करोड़
	ख जनगणना (2011) के अनुसार	0.69 करोड़
	2018 (अनुमान)	0.73 करोड़
3.	(क) जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व =325 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०) (ख) जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय औसत=382 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०)	109 व्यक्ति/ वर्ग कि०मी० 123 व्यक्ति/ वर्ग कि०मी०
4.	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (2011-12) (अखिल भारतीय औसत= 21.9%)	8.10%
5.	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत= 64.8%) (ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत= 73%)	76.50% 82.80%
6.	क) शिशु मृत्यु दर (2016) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर = 34) (ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2011-15) (अखिल भारतीय औसत = 68.3)	25 72
7.	मानव विकास सूचकांक (2007-08) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर = 0.467)	0.652
8.	गिनी गुणांक (2009-10) (शहरी-ग्रामीण जनसंख्या) (क) ग्रामीण (अखिल भारतीय औसत = 0.29) (ख) शहरी (अखिल भारतीय औसत = 0.38)	0.31 0.40
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 (₹ करोड़ में)	1,35,914
10.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2008-09 से 2017-18)	14.09 (एस.सी.एस.: 12.5)

ख वित्तीय आंकड़े

संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर		2008-09 से 2016-17		2012-13 से 2016-17		2016-17 से 2017-18	
		सभी विशेष श्रेणी राज्य*	हिमाचल प्रदेश**	सभी विशेष श्रेणी राज्य*	हिमाचल प्रदेश**	सभी विशेष श्रेणी राज्य*	हिमाचल प्रदेश**
क	राजस्व प्राप्तियां	13.7	14.10	12.4	13.91	10.4	4.20
ख	कर राजस्व	16.0	17.34	11.9	11.06	20.0 ^{##}	0.98
ग	कर-भिन्न राजस्व	8.3	-0.75	10.6	5.67	8.0	37.68
घ	कुल व्यय	13.7	16.12	12.9	14.65	10.6	-2.56
ड.	पूँजीगत व्यय	7.8	11.99	11.4	15.66	19.6	7.34
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय	16.6	16.24	12.5	9.50	15.8	15.25
छ:	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	18.0	16.64	16.2	12.06	20.5	16.12
ज	वेतन एवं मजदूरी	14.7	13.25	9.5	7.48	20.6	11.20
झ	पेंशन	18.8	20.12	12.7	10.62	28.1	14.46

स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत की जनगणना की सूचना (2011), हिमाचल प्रदेश का अर्थशास्त्र और संख्यिकी विभाग और केन्द्रीय संख्यिकी कार्यालय

* विशेष श्रेणी के राज्य ** हिमाचल प्रदेश ## अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे बाहरी राज्यों को छोड़कर।

परिशिष्ट-1.1

भाग-क: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि; (ii) आकस्मिकता निधि; तथा (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके जुटाए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के चुकाने से प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नामक एक समेकित निधि होगी।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए अग्रिमों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रिमों की आकस्मिकता निधि से निधि को पूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेपों, उचन्त, जमाओं आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्तियों तथा संवितरणों, जो कि समेकित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

परिशिष्ट-1.1

भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा

वर्ष 2017-18 के लिए वित्त लेखे को दो खण्डों-खण्ड I व II में विभाजित किया गया है। खण्ड I सरकार की वित्तीय विवरणियों को सारांशित रूप में दर्शाता है जबकि खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरणी को दर्शाता है। वित्त लेखे को बनाने की रूपरेखा निम्नांकित ढंग से की गई है:

रूपरेखा	
खण्ड-I	
विवरणी 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी
विवरणी 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों की विवरणी अनुलग्नक-क: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश
विवरणी 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 5	प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी
विवरणी 6	उधारों एवं अन्य देयताओं की विवरणी
विवरणी 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विवरणी
विवरणी 8	सरकार के निवेशों की विवरणी
विवरणी 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी
विवरणी 10	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी
विवरणी 11	दत्तमत व प्रभारित व्यय की विवरणी
विवरणी 12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और उपयोग की विस्तृत विवरणी
विवरणी 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश
	लेखा टिप्पणियां
खण्ड- II	
भाग I: विस्तृत विवरणियां	
विवरणी 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 15	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 16	लघु शीर्षों एवं उप-शीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 17	उधारों एवं अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी
विवरणी 18	सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 19	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 20	सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 22	चिन्हित निधियों के निवेशों की विस्तृत विवरणी
भाग II: परिशिष्ट	
I	मुख्य शीर्षों द्वारा वेतन पर तुलनात्मक व्यय
II	उपदान पर तुलनात्मक व्यय

<i>III</i>	सहायता अनुदान/राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता (स्कीमवार व संस्थावार)
<i>IV</i>	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण
<i>V</i>	योजनागत स्कीम व्यय क- केन्द्रीय स्कीमे (केन्द्र प्रायोजित स्कीमें तथा केन्द्रीय योजना स्कीमें) ख- राज्य योजना स्कीमें
<i>VI</i>	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर निधियां)
<i>VII</i>	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान
<i>VIII</i>	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम
<i>IX</i>	सरकार की प्रतिबद्धताएं-अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची
<i>X</i>	वेतन एवं गैर-वेतन भाग के पृथक्करण के साथ अनुरक्षण व्यय
<i>XI</i>	वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीति निर्णयों के निहितार्थ या भावी नकद प्रवाह हेतु प्रस्तावित नई स्कीमें
<i>XII</i>	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देयताएं

परिशिष्ट-1.2

भाग क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति

वित्त लेखों की विवरणियों से 2013-18 की अवधि में प्रकट हुई प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्ण योगों की प्रवृत्ति का, जहां कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनके व्यवहार पर अभ्युक्तियों की गई हैं। राज्य के वित्त की पुनर्संरचना योजना में तेरहवें वित्तायोग ने कुछ राजकोषीय योगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपण भी बनाया। इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्तायोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में संशोधन करें ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके जैसा कि मध्यम से दीर्घकालीन अवधि को आवृत्त करते हुए उनके सम्बद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमावलियों में निर्दिष्ट किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गई प्रतिबद्धताओं/प्रक्षेपणों सहित राजकोषीय योगों हेतु इसके प्रक्षेपणों के साथ तेरहवें वित्तायोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान का गुणात्मक आकलन करने के लिए उपयोग किया गया है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को चालू बाजार दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए उत्प्लावकता गुणांक का यह निर्धारण, कि क्या संसाधनों की गतिशीलता, व्यय का तरीका इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ गति रख रहे हैं अथवा इन राजकोषीय योगों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी संगणित किया गया है। 2011-12 को आधार के रूप में मानते हुए नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला को जैसा कि राज्य सरकार के निदेशक, आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा प्रकाशित किया गया है, इन प्रतिशतताओं और उत्प्लावकता दरों का आकलन करने में उपयोग किया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

विगत पांच वर्षों हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	94,764	103,772	113,355	124,235	135,914
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.42	9.51	9.23	9.60	9.40

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि})-1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/ $[(\text{विगत वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं})/2] * 100$
बकाया ऋणों के प्रति प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज $[(\text{अथ शेष} + \text{ऋणों तथा अग्रिमों के अंतशेष})/2] * 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां घाटा मुख्य शीर्ष 2048-ऋण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर समस्त योजनागत अनुदानों तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय

परिशिष्ट-1.2

**भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005
(2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)**

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जिसको 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया ताकि राजस्व घाटे में प्रगामी कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में विवेकशीलता, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

- राजस्व घाटे को खत्म करना तथा राजस्व अधिशेष को बनाए रखना;
- राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत अथवा उससे कम करना;
- वित्तीय वर्ष 2017-18 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 32.92 प्रतिशत तक कम करना।
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत से कम दीर्घावधि ऋण पर बकाया जोखिम भारित गारण्टियों को बनाए रखना जिसके लिए वास्तविक आंकड़े वित्त लेखे के अनुसार उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा-7 को भी संशोधित किया गया जिसमें परिकल्पित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सुव्यवस्थित राजकोषीय सुधार पथ की समीक्षा व अनुश्रवण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाएगा।

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ परिच्छेद 1.3 तथा 1.11.3; पृष्ठ 9 एवं 45)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	15,711	17,843	23,440	26,264	27,367
(i) कर राजस्व	5,121 (33)	5,940(33)	6,696 (29)	7,039 (27)	7,108(26)
राज्यों का वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	-	1,833(26)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,141 (61)	3,661(62)	3,993 (60)	4,382 (63)	2,526(36)
राज्य आबकारी	952 (19)	1,044(18)	1,131 (17)	1,308 (19)	1,311(18)
वाहनों पर कर	208 (4)	220(4)	317 (05)	280 (4)	367(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	188 (4)	190(3)	206 (03)	209 (3)	229(3)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	191 (4)	333(5)	551(8)	372(5)	361(5)
भू-राजस्व	10 (-)	17(-)	7(-)	8(-)	17(-)
माल व यात्रियों पर कर	105 (2)	110(2)	115 (02)	121(2)	112(2)
अन्य कर	326 (6)	365(6)	376(5)	359(4)	352(5)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,785 (11)	2,081(12)	1,837 (08)	1,717 (6)	2,364(9)
(iii) संघीय करों व शुल्कों में रान्यांश	2,491 (16)	2,644(15)	3,611 (15)	4,344 (17)	4,801(17)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	6,314 (40)	7,178(40)	11,296 (48)	13,164 (50)	13,094(48)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	650	-	-	35
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां	17	41	26	30	40
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	15,728	18,534	23,466	26,294	27,442
5. लोक ऋण प्राप्तियां	4,050	10,877	6,129	8,603	5,600
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	3,362(83)	3,892 (36)	4,294 (70)	6,831 [#] (79)	5,118(91)
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	629(16)	6,860 (63)	1,785 (29)	1,671 (20)	400(7)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	59(1)	125(1)	50 (01)	101 (01)	82(2)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	19,778	29,411	29,595	34,897	33,042
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	-	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियां	10,300	10,575	11,515	13,630	14,680
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	30,078	39,986	41,110	48,527	47,722
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	17,352	19,787	22,303	25,344	27,053
योजनागत	2,387 (14)	3,204(16)	3,493(16)	4,520(18)	3,772(14)
आयोजनेतर	14,965 (86)	16,583(84)	18,810(84)	20,824(82)	23,281(86)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	7,047 (41)	7,604(38)	8,788(39)	9,728 (38)	11,009(41)
सामाजिक सेवाएं	6,706 (39)	7,451(38)	7,980 (36)	9,610 (38)	10,337(38)
आर्थिक सेवाएं	3,590 (20)	4,723(24)	5,525 (25)	5,996 (24)	5,697(21)
सहायता अनुदान व अंशदान	9 (-)	9(-)	10 (-)	10 (-)	10(-)
11. पूंजीगत व्यय	1,856	2,473	2,864	3,499	3,756
योजनागत	1,815 (98)	2,431(98)	2,568(90)	3,115(89)	3416(91)
आयोजनेतर	41 (2)	42(2)	296(10)	384(11)	340(9)
सामान्य सेवाएं	81 (4)	83(3)	88(3)	208 (6)	192(5)
सामाजिक सेवाएं	478 (26)	522(21)	792(28)	1,041 (30)	1,135(30)
आर्थिक सेवाएं	1,297 (70)	1,868(76)	1,984(69)	2,250 (64)	2,429(65)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	531	474	463	3,290 [#]	503
13. योग (10+11+12)	19,739	22,734	25,630	32,133	31,312

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
14. लोक ऋण की चुकौतियाँ	1,704	8,260	3,948	3,943	3,500
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	1,467	1,410	1,557	2,198	3,021
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	172	6,783	2,320	1,671	400
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	65	67	71	74	79
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	21,443	30,994	29,578	36,076	34,812
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	9,227	8,844	10,577	12,351	13,043
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	30,670	39,838	40,155	48,427	47,855
भाग ग. घाटा/अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(-) 1,641	(-) 1,944	1,137	920	314
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948 [#]	(-) 3,870
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	(-) 1,530	(-) 1,351	990	411 [#]	(-) 82
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,481	2,849	3,155	3,359	3,788
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1,438	2,156	2,612	3,357	2,895
25. प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष	11	125	31	23	2
प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम	10	77	25	23	2
प्राप्त किए गए (दिवस) अधिविकर्ष	01	48	06	-	-
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	0.11	14.80	6.40	16.17	-
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद	94,764 (14.42)	103,772 (9.51)	113,355 (9.23)	124,235 (9.60)	135,914 (9.40)
28 बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	33,884	38,192	41,197	47,244 [#]	51,030
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	4,333	4,281	3,714	4,550	4,394
30. प्रत्याभूति अधिकतम राशि (वर्षान्त)	9,316	9,316	9,658	12,320	8,848
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	12	13	12	12	11
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	130	141	143	188	176
भाग ड : राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता (अनुपात)					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.09	0.09	0.13	0.14	0.13
II व्यय प्रबन्धन (अनुपात)					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.21	0.22	0.23	0.26	0.23
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.26	1.27	1.09	1.22	1.14
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.88	0.87	0.87	0.79	0.86
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.36	0.35	0.34	0.33	0.37
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.25	0.29	0.29	0.26	0.26
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
III राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन (अनुपात)					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.36	0.37	0.36	0.38	0.38
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्ति	2.16	2.14	1.76	1.80	1.86
IV अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़)	103.42	170.99	111.94	289.63	255.58
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़)	(-)3,544	(-) 4,719	1,858	1,153	(-)119
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं (अनुपात)	0.68	0.67	0.72	0.77	0.80
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (अनुपात)	0.41	0.46	*	*	*
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.01	0.01	0.04	0.03	0.03
राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर					
कुल व्यय (₹ करोड़)	19,739	22,734	25,630	32,133	31,312
कुल व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.14	15.17	12.74	25.37	(-) 2.56
राजस्व व्यय (₹ करोड़)	17,352	19,787	22,303	25,344	27,053
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.28	14.03	12.72	13.63	6.74
आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़)	14,965	16,583	18,810	20,824	23,281
आयोजनेतर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.17	10.81	13.43	10.70	11.80
योजनागत राजस्व व्यय (₹ करोड़)	2,387	3,204	3,493	4,520	3,772
योजनागत राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.81	34.23	9.02	29.40	(-)16.55
आयोजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	15.79	15.98	16.59	16.76	17.13
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	87.91	87.04	87.02	78.87	86.40
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	75.81	72.94	73.39	64.81	74.35
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में योजनागत राजस्व व्यय	12.09	14.09	13.63	14.07	12.05
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	95.25	92.94	80.25	79.29	85.07
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	86.24	83.81	84.34	82.17	86.06
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	13.76	16.19	15.66	17.83	13.94
के साथ राजस्व व्यय की उत्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.51	1.48	1.38	1.42	0.72
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	10.11	1.03	0.41	1.13	1.61
आयोजनेतर राजस्व व्यय (अनुपात)	1.18	1.30	0.95	1.27	0.57
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	0.49	0.41	1.41	0.46	(-) 0.41

कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के कुल की प्रतिशतता (पूर्णांकित) दर्शाते हैं।

उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित हैं

उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं

*राजस्व अधिशेष है अतः आंकड़ों की गणना नहीं की गई।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 3)

भाग-क: वर्ष 2017-18 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां					संवितरण					
2016-17		2017-18			2016-17	2017-18				
						गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्रवर्ग-क राजस्व										
I-राजस्व प्राप्तियां		26,264.34		27367.06	I-राजस्व व्यय	25,344.22	23280.94	3772.22	27053.16	27053.16
(i) कर राजस्व	7,039.05		7107.67		सामान्य सेवाएं	9,727.95	10882.54	127	11009.54	
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,717.24		2363.85		सामाजिक सेवाएं	9,609.92	8142.55	2194	10336.55	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	4,343.70		4801.31		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	4,945.19	4620.36	1078.75	5699.11	
(iv) गैर योजनागत अनुदान	8,877.19				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,501.32	1206.86	536.11	1742.97	
(v) राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	1,187.48				जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,777.25	1304.76	34.21	1338.97	
(vi) केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	3,099.68				सूचना एवं प्रसारण	44.42	47.13	0.32	47.45	
(v) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों			3,590.26		अनुसूचितजाति अनुसूचितजनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	62.77	12.79	43.36	56.15	
(vi) वित्त आयोग के अनुदान			8,889		श्रम एवं श्रम कल्याण	123.19	140.35	15.54	155.89	
(vii) अन्य स्तारण/विधायिका के साथ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुदान			615.39		समाजिक कल्याण एवं पोषण	1,134.33	794.17	477.87	1272.04	
					अन्य	21.45	16.13	7.84	23.97	
					आर्थिक सेवाएं	5,996.32	4245.55	1451.22	5696.77	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	1,678.18	1055.74	743.81	1799.55	
					ग्रामीण विकास	1,178.79	630.1	291.69	921.79	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	461.83	444.84	5.65	450.49	
					ऊर्जा	822.29	372.4	0.2	372.6	
					उद्योग एवं खनिज	121.52	57.11	48.7	105.81	
					परिवहन	1,546.41	1636.74	177.67	1814.41	
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	9.52	3.07	9.16	12.23	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	177.78	45.55	174.34	219.89	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	10.03	10.3	-	10.3	
योग		26,264.34		27367.06	योग	25,344.22	23280.94	3772.22	27053.16	
II-प्रवर्ग-ख में लाया गया राजस्व घाटा					II-खण्ड-ख को लाया गया राजस्व अधिशेष	920.12			313.9	
योग:		26,264.34		27367.06	योग:	26,264.34			27367.06	

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2016-17		2017-18			2016-17	2017-18				
						गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्रवर्ग- ख-पूँजीगत										
III- स्थायी अग्रियों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित अथ रोकड़ शेष		216.23		316.35	III-भारतीय रिज़र्व बैंक से अथ अधिविकर्ष					
IV- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		--		34.82	IV-पूँजीगत परिव्यय	3,499.03	339.93	3,415.74	3755.67	3,755.67
					सामान्य सेवाएं	208.37	23.48	168.30	191.78	
					सामाजिक सेवाएं	1,041.06	96.72	1,038.24	1,134.96	
					शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	295.72	31.60	309.96	341.56	
					स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	285.53	2.42	260.44	262.86	
					जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	433.73	61.55	454.88	516.43	
					सूचना एवं प्रसारण	0.77	-	0.16	0.16	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	8.64	-	5.29	5.29	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	15.93	1.15	6.76	7.91	
					अन्य	0.75	-	0.75	0.75	
					आर्थिक सेवाएं	2,249.60	219.73	2,209.20	2,428.93	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रम	50.45	9.59	50.24	59.83	
					अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3.49	-	2.26	2.26	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	201.36	5.06	246.40	251.46	
					ऊर्जा	202.78	-	187.11	187.11	
					उद्योग एवं खनिज	56.33	6.00	66.83	72.83	
					परिवहन	1,583.61	199.08	1,495.39	1,694.47	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	151.58	-	160.97	160.97	
					योग	3,499.03	339.93	3,415.74	3,755.67	
V- ऋणों एवं अग्रियों की वसूलियाँ		29.50		39.61	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	3,289.69				502.53
विद्युत परियोजनाओं से	-		-		विद्युत परियोजनाएँ	3,228.81			417.59	
सरकारी कर्मचारियों से	8.79		8.58		सरकारी कर्मचारियों को	7.03			3.17	
सहकारिता से	16.52		28.98		सहकारिता को	39.79			56.33	
अन्य से	4.19		2.05		अन्य को	14.06			25.44	
VI-अग्रोनित राजस्व अधिशेष		920.12		313.9	VI- अग्रोनित राजस्व घाटा					

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2016-17		2017-18			2016-17		2017-18			
							गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII-लोक ऋण प्राप्तियाँ		8,603.31		5600.29	VII-लोक ऋण की चुकौती	3,942.84				3499.85
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	6,831.29		5118.26		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	2,198.19			3020.82	
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन	1,670.72		400.14		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन	1,670.72			400.14	
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	101.30		81.89		केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकौती	73.93			78.89	
VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन		-		-	VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-			-	
IX-आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि		-		-	IX-आकस्मिकता निधि से व्यय	-			-	
X- लोक लेखा प्राप्तियाँ		13,629.90		14,679.52	X-लोक लेखा संवितरण	12351.15				13,043.21
लघु बचतों एवं भविष्य निधियाँ	3,402.37		3768.05		लघु बचतों एवं भविष्य निधियाँ	2,197.86			2376.07	
आरक्षित निधियाँ	249		420.27		आरक्षित निधियाँ	2,48.76			314.83	
निकषेप एवं अग्रिम	2,727.39		2873.88		निकषेप एवं अग्रिम	2,546.02			2685.26	
उच्चत एवं विविध	799.83		763.06		उच्चत एवं विविध	871.97			881.82	
प्रेषण	6,451.31		6854.26		प्रेषण	6,486.54			6785.23	
XI- भारतीय रिज़र्व बैंक से अंतशेष अधिविकर्ष					XI-अंत में रोकड़ शेष	316.35				183.23
					खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	-			-	
					स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	0.19			0.19	
					रिज़र्व बैंक के पास निकषेप	(-) 443.27			(-) 540.68	
					रोकड़ शेष निवेश	759.43			723.72	
योग:		23,399.06		20984.49	योग:	23,399.06				20984.49

परिशिष्ट-1.4

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.1.1 तथा 1.9.1; पृष्ठ 3 एवं 32)

भाग-ख: 31 मार्च 2018 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2017 तक	31 मार्च, 2018 तक	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	30,607.89		34,363.57
कम्पनियों, निगमों, आदि के शेयरों में निवेश	3,293.53		3,532.97
अन्य पूंजीगत परिव्यय	27,314.36		30,830.60
ऋण तथा अग्रिम-	6,044.26		6,507.18
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	5,763.55	6,181.14	
अन्य विकास ऋण	240.72	291.46	
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	39.99	34.58	
आरक्षित निधि निवेश			
रोकड़ -	316.35		183.23
खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			
भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप	(-) 443.27	(-) 540.68	
विभागीय रोकड़ शेष	0.16	0.16	
स्थायी अग्रदाय	0.03	0.03	
रोकड़ शेष निवेश	759.43	723.72	
प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य*	10,800.37		10,451.65
योग	47,768.87		51,505.63

* प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य भिन्न है, तथा न कि चालू वर्ष हेतु राजकोषीय/राजस्व घाटे हैं।

दायित्व	31 मार्च, 2017 तक	31 मार्च, 2018 तक	
आंतरिक ऋण	31,494.03		33,591.47
ब्याज वाले बाजार ऋण	19,023.07	21,574.06	
ब्याजरहित बाजार ऋण	-	-	
भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	74.95	51.38	
नाबार्ड से ऋण	2,101.10	2,251.10	
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	95.99	75.03	
केन्द्र सरकार की एन0एस0एस0एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूतियां	7,150.02	6,635.31	
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	2,890.50	2,890.50	
अन्य संस्थाओं से ऋण	158.40	114.09	
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम-	1,076.43		1,079.43
आयोजनेत्तर ऋण	4.23	3.69	
राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	1,072.07	1,075.61	
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-	
केन्द्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-	
अन्य ऋण	0.13	0.13	
आकस्मिकता निधि	5.00		5.00
लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि	11,844.41		13,236.38
निक्षेप एवं अग्रिम	2,609.04		2,797.67
आरक्षित निधियां	219.57		325.02
उच्चत एवं विविध शेष	192.17		73.41
प्रेषण शेष	328.22		397.25
योग	47,768.87		51,505.63

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: परिच्छेद 1.2.1; पृष्ठ 9)

2016-17 एवं 2017-18 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य के बजट के बाहर निधि) (बिना आंकड़ों के)			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2017-18	2016-17
1	2	3	4
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास	उपायुक्त	32.50	35.00
	योग	32.50	35.00
सहायक एवं अनुसंधान विकास (आर. एंड डी. मिशन)	पर्यावरण, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग	--	3.92
	योग	--	3.92
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास	विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय	--	2.83
	योग	--	2.83
अनुसूचित जनजाति को कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाओं एवं अनुकरणीयों को पुरस्कार हेतु एन.जी.ओ. को सहायता अनुदान	स्पिति विकास के लिए रिन्चेन जांगपो सोसाइटी	0.92	1.45
	डी गोम्पा बौद्ध सांस्कृतिक सोसाइटी	0.29	0.13
	बौद्ध दर्शन एवं जनजातीय सांस्कृतिक सोसाइटी अध्ययन संस्थान, ताबो	0.40	0.75
	रामधा बौद्ध सोसाइटी	0.27	0.12
	हिमालयन बौद्ध सांस्कृतिक एसोसिएशन, मनाली, हिमाचल प्रदेश	0.63	0.32
	योग	2.51	2.77
ग्रिड अंतः क्रियात्मक अक्षय ऊर्जा एम.एन.आर.ई.	साई इंजीनियरिंग फाउण्डेशन	1.00	--
	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	--	5.90
	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	--	0.25
	युको बैंक	2.14	--
	पंजाब नेशनल बैंक	1.50	--
	योग	4.64	6.15
एकीकृत कृषि गणना एवं सांख्यिकी स्कीम	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	3.53	1.96
	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	0.04	0.01
	डॉ वाई.एस.परमार बागवानी एवं वाणिकी विश्व विद्यालय	0.07	--
	योग	3.64	1.97
औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम आई.आई.यू.एस. डी.आई.पी.पी.	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम	8.93	--
	योग	8.93	--
परिवहन सब्सिडी स्कीम	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	17.12	--
	योग	17.12	--
ऑफ ग्रिड डी आर पी एस	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	--	27.21
	जैवप्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विज्ञान, शूलीनी विश्वविद्यालय	--	0.03
	वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय	--	0.03
	हिमाचल प्रदेश कृषि मंत्रालय	--	0.36
	हिमाचल सलाहकार संगठन	--	--
	नेचर इंडिया हेतु वर्ल्ड वाइड फंड	--	--
	योग	27.63	27.63

1	2	3	4
निर्यात विकास हेतु राज्यों को सहायता	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम सीमित	--	7.83
	योग	--	7.83
ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम	19.62	21.10
	योग	19.62	21.10
उच्च शिक्षा योजना	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	0.71	19.28
	राजकीय पोलिटेक्निक, सुन्दरनगर	0.09	0.21
	योग	0.80	19.49
पिछड़े एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम सीमित	--	8.86
	योग	--	8.86
खाद्य संस्करण पर राष्ट्रीय मिशन	खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय	--	9.34
	हिमालयन कपास यार्न निगम	0.92	--
	नए उत्पाद हेतु प्रेरणा	0.96	--
	पुलकित ताजा और स्वास्थ्य	5.00	--
	पावंटा साहिब खाद्य निगम	4.39	--
	योग	11.27	9.34
राष्ट्रीय कृषि बाजार (नाम)	हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड	--	5.70
	योग	--	5.70
एस.टी.डी. नियंत्रण सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समाज	10.11	9.74
	योग	10.11	9.74
विकलांग व्यक्तियों के उत्थान से सम्बन्धित योजना के क्रियान्वयन से उत्पन्न स्कीम	विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण हेतु समग्र क्षेत्रीय केन्द्र	6.94	5.10
	योग	6.94	5.10
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई हिमाचल प्रदेश	--	0.20
	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारंटी सोसाइटी	436.20	104.12
	योग	436.20	104.32
सीमा प्रबंधन हेतु योजना	अधिशोषी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, भावानगर	--	30.00
	योग	--	30.00
विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम	40.37	--
	योग	40.37	--
शहरी, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संप्रयोग हेतु अक्षय ऊर्जा	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	13.39	--
	योग	13.39	--
स्वदेश दर्शन	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड	--	19.95
	योग	--	19.95
अन्य योजनाएं	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	--	92.18
	योग	--	92.18
अन्य	--	266.16	43.30
	योग	266.16	43.30
सकल योग		901.83	457.18

स्रोत: वित्त लेखे।

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.1; पृष्ठ 28)

क्षेत्र-वार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	कम्पनी का नाम	पूँजी	दीर्घ कालीन ऋण	फ्री रिजर्व	निवेश
विद्युत					
1	व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित	300	933.4	0	1233.4
2	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	1,855.56	2,523.33	0	4,378.89
3	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	274.76	718.05	0	992.81
4	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम	670.55	4,827.18	0	5,497.73
विनिर्माण					
5	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	7.16	2.97	20.89	31.02
6	हिमाचल वर्सटेट मिल्स लिमिटेड	0.92	0	0	0.92
वित्त					
7	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	13	20.13	0	33.13
8	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	10.74	0	0	10.74
9	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	11.34	0	0	11.34
10	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	99.57	132.46	0	232.03
सेवा					
11	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	3.51	0	33.09	36.6
12	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित	3.72	0.95	5.38	10.05
13	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित	9.25	0	0	9.25
14	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	12.3	0	0	12.3
15	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0.007	0	0.12	0.127
16	हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम	720.49	202.27	0	922.76
17	हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ सीमित	1	0	0	1
18	हिमाचल सलाह संगठन सीमित				
अवसंरचना					
19	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित	25	0	0	25
20	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	30.82	0	42.85	73.67
21	धर्मशाला स्मार्ट सिटी सीमित	34	0	0	34
कृषि एवं संबद्ध					
22	हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम सीमित	18.85	0	0	18.85
23	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	38.77	51.66	0	90.43
24	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	11.71	0	0	11.71
25	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	17.72	60.15	0	77.87
योग		4,170.747	9,472.55	102.33	13,745.627

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.1; पृष्ठ 28)

उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का विवरण जिनके लेखे बकाया है

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की लम्बित अवधि	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश, जिनके लेखे बकाया है		
					इक्विटी	ऋण	अनुदान
क	कार्यशील सरकारी कम्पनियां						
1	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013-14	11	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18	0.8 0.67 0.75 -	- - - -	- - - -
2	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2014-15	7.19	2015-16 2016-17 2017-18	0.75 0.75 0.8	- - -	- 0.61 -
3	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2013-14	9.39	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18	1.3 0.66 0.75 -	- - - -	0.11 0.12 0.13 0.15
4	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2015-16	1585.16	2016-17 2017-18	191.25 137.13	- -	- -
5	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित	2016-17	258.75	2017-18	27.7	262.68	-
6	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	2015-16	603.3	2016-17 2017-18	50 17.27	-	0.7
7	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम सीमित	2016-17	9.25	2017-18	-	-	3.08
8	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2016-17	0.01	2017-18	-	-	7.4
9	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	2015-16	12.3	2016-17 2017-18	- -	- -	0.6 1.72
10	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2014-15	11.71	2015-16 2016-17 2017-18	- - -	- - -	- - -
11	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	18.85	2015-16 2016-17 2017-18	- - -	12.92	- - -
12	हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम सीमित	2016-17	3.51	2017-18	-	-	-
13	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	2016-17	30.82	2017-18	-	-	-
14	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	2016-17	7.16	2017-18	-	-	-
15	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित	2016-17	38.76	2017-18	-	8	-
16	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम	2016-17	25.00	2017-18	-	-	100
17	हिमाचल प्रदेश राज्य यांत्रिकी विकास निगम सीमित	2016-17	3.72	2017-18	-	-	-
18	धर्मशाला स्मार्ट सिटी सीमित		0.0003	2017-18	-	-	-
19	हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ सीमित		0.01	2017-18	-	-	-

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की लम्बित अवधि	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश, जिनके लेखे बकाया हैं		
					इक्विटी	ऋण	अनुदान
20	हिमाचल परामर्श संगठन सीमित		0.15	2017-18	-	-	-
21	व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित		300.00	2017-18	-	-	-
	योग क: (कार्यशील सरकारी कम्पनियां)		2936.04		430.58	283.6	14.62
ख	कार्यशील सांविधिक निगम				-	-	-
1	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2016-17	670.49	2016-17	-	-	-
				2017-18	50		305
	योग ख: (कार्यशील सांविधिक निगम)		670.49		50	-	305
	सकल योग: (क + ख)		3606.53		480.58	283.6	319.62

परिशिष्ट-1.8

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.1; पृष्ठ 28)

घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लेखे बकाया थे, को प्रदत्त बजटीय सहायता/निवेशों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की लम्बित अवधि	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश, जिनके लेखे बकाया है			उल्लेखित अंतिम लेखों के अनुसार हानि
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	
क	कार्यशील सरकारी कम्पनियां							
1	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2015-16	1585.16	2016-17	191.25	-	-	0.44
				2017-18	137.13	-	-	
2	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित	2016-17	258.75	2017-18	27.70	262.68		11.30
3	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित	2015-16	603.3	2016-17	50.00	-	0.7	44.21
				2017-18	17.27			
4	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2014-15	11.71	2015-16				10.27
				2016-17				
				2017-18				
5	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण सीमित	2016-17	38.76	2017-18		8.00		3.06
ख	कार्यशील सांविधिक निगम							
6	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2016-17	670.49	2016-17		-		118.57
				2017-18	50.00		305.00	

परिशिष्ट-1.9

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.2; पृष्ठ 29)

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्राप्ति

क्रमांक	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)	कार्य शुरू करने की तिथि	पूर्णता की नियत अवधि	स्थिति
परियोजनाएं-प्रदान की गईं, पूर्ण तथा प्रचालनाधीन					
परिवहन विभाग					
1.	कांगड़ा बस अड्डा	9.50	--	26-09-2007	क्रियाशील
2.	आई0एस0बी0टी0, शिमला	15		29-08-2011	क्रियाशील पूर्णता की तिथि तथा अन्य मामले माननीय उच्च न्यायलय में न्यायाधीन हैं।
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग					
3.	रज्जू मार्ग-सह-स्की केन्द्र, सोलंग नाला	15		जनवरी 2011	क्रियाशील
4.	जाखू रज्जू मार्ग	12		अप्रैल 2017	क्रियाशील
स्वास्थ्य विभाग/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन					
5.	हिमाचल प्रदेश में आपात चिकित्सा परिवहन सेवा	100		--	कार्य प्रगति पर
6.	हिमाचल प्रदेश में सचल डाइग्नोस्टिक इकाइयां	5		--	कार्य प्रगति पर
7.	हिमाचल प्रदेश में हिमोडायलिसिस इकाइयां	5		--	कार्य प्रगति पर
8.	जे एस एस के ऐम्बुलेंस का संचालन एवं रख-रखाव	5		--	कार्य प्रगति पर
परियोजनाएं- प्रदान की गईं तथा कार्यान्वयनाधीन		अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)			
परिवहन विभाग					
9.	मकलोडगंज बस अड्डा	5	23-12-2004	31-08-2006	अक्रियाशील मामला सर्वोच्च न्यायलय एवं उच्च न्यायलय में न्यायाधीन है। पूर्णता रिपोर्ट अभी प्राप्त की जानी है।
10.	चिंतपुरी बस अड्डा एवं पार्किंग-कम- वाणिज्यिक परिसर	32	29-11-2016	30-11-2019	परियोजना निर्माणाधीन है।
11.	कुल्लू बस अड्डा एवं पार्किंग-कम- वाणिज्यिक परिसर	22	16-08-2017	31-08-2020	परियोजना चरणवार निर्माणाधीन है।
12.	ऊना बस अड्डा एवं पार्किंग-कम- वाणिज्यिक परिसर	30	19-07-2017	31-07-2020	परियोजना चरणवार निर्माणाधीन है।
13.	धर्मशाला बस अड्डा एवं पार्किंग-कम- वाणिज्यिक परिसर	25	25-08-2017	31-08-2020	परियोजना चरणवार निर्माणाधीन है।
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग					
14.	धर्मशाला मकलोडगंज रज्जू मार्ग	150	22-07-2015	-	समनुदानग्राही ने पूर्ववर्तिता शर्तों को पूरा नहीं किया था, इसलिए विभाग ने पूर्ववर्तिता शर्तों को पूरा करने हेतु समयावधि को बढ़ा दिया था जैसा कि रियायत प्राधिकारी तथा

					समनुदानग्राही के मध्य पारस्परिक सहमति के द्वारा किए गए रियायत अनुबन्ध के खण्ड 4.6 में निर्दिष्ट है, को पूर्ववर्तिता की शर्तों को पूरा करने हेतु समयावधि को बढ़ाया जा सकता है।
15.	हिमानी चामुण्डा रज्जू मार्ग	250	05-06-2015	-	समनुदानग्राही ने पूर्ववर्तिता शर्तों को पूरा नहीं किया था, इसलिए विभाग ने पूर्ववर्तिता शर्तों को पूरा करने हेतु समयावधि को बढ़ा दिया था जैसा कि रियायत प्राधिकारी तथा समनुदानग्राही के मध्य पारस्परिक सहमति के द्वारा किए गए रियायत अनुबन्ध के खण्ड 4.6 में निर्दिष्ट है, को पूर्ववर्तिता की शर्तों को पूरा करने हेतु समयावधि को बढ़ाया जा सकता है।
16.	पल्चान रोहतांग रज्जू मार्ग	245	21-10-2015	31-10-2019	--
17.	कुल्लू बाईपास से बिजली महादेव यात्री रज्जू मार्ग	65	23-02-2017	-	समनुदानग्राही ने पूर्ववर्तिता शर्तों को पूरा नहीं किया था, इसलिए विभाग ने पूर्ववर्तिता शर्तों को पूरा करने हेतु समयावधि को बढ़ा दिया था जैसा कि रियायत प्राधिकारी तथा समनुदानग्राही के मध्य पारस्परिक सहमति के द्वारा किए गए रियायत अनुबन्ध के खण्ड 4.6 में निर्दिष्ट है, को पूर्ववर्तिता की शर्तों को पूरा करने हेतु समयावधि को बढ़ाया जा सकता है।
शहरी विकास विभाग					
18.	पार्किंग परिसर, छोटा शिमला	15	15-12-2012	14-12-2013	मामला आरबीटरेटर (सचिव कानून) के पास अधिनिर्णय हेतु लम्बित है।
19.	पार्किंग परिसर, संजौली	25	08-10-2012	07-10-2013	मामला आरबीटरेटर (सचिव कानून) के पास अधिनिर्णय हेतु लम्बित है।
20.	पार्किंग परिसर, लिफ्ट	45	25-10-2013	24-01-2015	मामला आरबीटरेटर (सचिव कानून) के पास अधिनिर्णय हेतु लम्बित है।
21.	पार्किंग परिसर, विकासनगर	10	26-02-2016	29-08-2017	परियोजना स्थल पर बहुत ही कम प्रगति के कारण "समाप्ति सूचना" समनुदानग्राही को जारी किया गया है।
22.	पार्किंग परिसर, बिलासपुर	10	19-12-2015	18-06-2017	अंशतः पूर्ण
23.	पार्किंग परिसर, रोहडू	5	20-12-2017	मार्च 2021	कार्य प्रगति पर

24.	टूटीकंडी-लिफ्ट-माल रोड रज्जू मार्ग	200	--	--	परियोजना का कार्य नगर निगम शिमला के पास है। तथापि, कार्य को अभी शुरू किया जाना है।
राजस्व विभाग					
25.	पार्किंग परिसर, मण्डी	75	--	--	--

स्रोत: हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 52)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जिनमें व्यय आधिक्य प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय	व्यय आधिक्य की प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व- दत्तमत						
1.	05	भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	722.52	967.30	244.78	34
2.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल	2,994.82	3,131.78	136.96	5
पूँजीगत-प्रभारित						
3.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल	18.14	23.16	5.02	27
योग			3,735.48	4,122.24	386.76	

स्रोत: विनियोजन लेख/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ 52)

नियमन के लिए अपेक्षित विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य

वर्ष	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन की संख्याएं	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)	लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने की स्थिति
2011-12	6 अनुदान 1 विनियोजन	9,10,13,15,21, तथा 23 29	752.51	लोक लेखा समिति सदन में प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर चुका है, किन्तु विधेयक के पारित न होने के कारण नियमितकरण अभी भी लंबित है।
2012-13	11 अनुदान 3 विनियोजन	1,2,3,10,11,13,14,18,19,21 तथा 23 2,3 तथा 29	703.08	
2013-14	10 अनुदान 3 विनियोजन	2,3,4,5,10,13,16,17,21 तथा 28 2,7 तथा 9	474.86	लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेजी गईं। लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी/विनियमन किया जाना है।
2014-15	10 अनुदान 6 विनियोजन	1,2,6,11,12,13,18,19, 23(राजस्व) तथा 23 (पूंजीगत) 1, 10, 19, 29 (राजस्व), 29 (पूंजीगत) तथा 31	1,585.69	
2015-16	7 अनुदान 4 विनियोजन	5,8,10,13,19,23 तथा 28 13,16, 29 (राजस्व), 29 (पूंजीगत)	2,848.43	बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय/बचत आधिक्य के विनियमन पर वित्त विभाग से आत्म प्रेरित उत्तर अभी तक प्रतीक्षित हैं। अतः लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी/विनियमन किया जाना है।
2016-17	5 अनुदान 3 विनियोजन	2,13, (राजस्व) एवं 3, 10 तथा 23 (पूंजीगत) 1,16 (राजस्व) एवं 29 (पूंजीगत)	3,037.61	
योग			9,402.18	

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ 52)

नियमन के लिए अपेक्षित 2017-18 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य

(₹ में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या तथा शीर्षक	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत				
1.	05-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	722,51,54,000	967,30,16,752	244,78,62,752
2.	10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन	2994,82,13,000	3131,77,98,973	136,95,85,973
पूंजीगत-प्रभारित				
3.	10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन	18,14,26,586	23,16,19,072	5,01,92,486
योग		3735,47,93,586	4122,24,34,797	386,76,41,211 अर्थात् ₹ 386.76 करोड़

स्रोत: विनियोजन लेख/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.2; पृष्ठ 53)

मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ हजार में)

क्रमांक	संख्या तथा अनुदान का नाम	वास्तविक प्रावधान	वास्तविक व्यय	वास्तविक प्रावधान से बचाना	पूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	08-शिक्षा	5391,89,95	5006,45,77	385,44,18	279,57,66
2.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1601,65,30	1552,28,76	49,36,54	162,29,78
3.	12-बागवानी	303,13,49	246,42,76	56,70,73	46,26,73
4.	16-वन एवं वन्य जीव	452,32,05	385,77,54	66,54,51	18,81,96
5.	18-उद्योग, खनीज, वितरण एवं सूचना तकनीक ग्रामीण विकास	100,32,31	91,32,01	9,00,30	2,44,40
6.	20-ग्रामीण विकास	1293,33,77	922,28,69	371,05,08	31,88,14
7.	21-सहकारिता	29,62,81	28,03,19	1,59,62	1,94,45
8.	23-विद्युत विकास	499,14,93	370,68,76	128,46,17	2,72,33
9.	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	396,23,85	206,26,45	189,97,40	9,29,18
10.	28-शहरी विकास, शहर तथा देश योजना एवं आवास	341,26,77	237,15,15	104,11,62	15,10,54
11.	29-वित्त	5033,64,43	4800,39,03	233,25,40	33,62,92
12.	31-जनजातिय विकास	1145,98,41	945,15,08	200,83,33	41,50,69
13.	32-अनुसूचित जनजाति उप-योजना	1264,17,05	892,16,66	372,00,39	33,82,33
पूंजीगत-दत्तमत्त					
14.	13-सिंचाई, जलपूर्ति एवं स्वच्छता	489,66,16	478,84,42	10,81,74	77,94,52
15.	19-सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	9,75,00	6,49,07	3,25,93	1,00,00
16.	23-विद्युत विकास	410,10,01	387,88,88	22,21,13	229,85,28
17.	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	70,87,01	67,17,00	3,70,01	2,65,00
18.	31-जनजातिय विकास	293,79,40	274,47,90	19,31,50	38,89,03
19.	32-अनुसूचित जनजाति उप-योजना	896,45,20	812,27,53	84,17,67	48,69,57
योग		20023,37,90	17711,54,65	2311,83,25	1078,34,51

स्रोत: वित्त लेखे/वी.एल.सी.।

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.2; पृष्ठ 53)

विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए
(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदानों का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत्त							
1.	05	भू -राजस्व एवं जिला प्रशासन	616.49	106.03	722.52	967.30	244.78
2.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	2,839.12	155.70	2,994.82	3,131.78	136.96
योग			3,455.61	261.73	3,717.34	4,099.08	381.74

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 53)

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
1.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-001-04	9.91	(-) 10.03
2.	10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	3054-04-105-02	45.90	3.29
3.			3054-03-103-11	(-) 24.29	(-) 38.23
4.			3054-04-105-06	(-) 94.72	(-) 64.14
5.			3054-04-105-07	(-) 94.80	1.24
6.			5054-04-337-06	(-) 0.05	1.07
7.			28	शहरी विकास, शहरी एवं नियोजक आवास	4217-03-051-05
8.	29	वित्त	2071-01-104-02	(-) 246.66	(-) 1.13
9.			2071-01-105-02	(-) 14.34	2.04
10.			2071-01-101-03	52.21	351.65
11.			2049-03-108-01	(-) 2.27	(-) 1.54
12.			2049-01-116-01	3.60	2.61
13.			2049-01-101-बी 2 (ii)	53.33	(-) 46.60
14.			2049-01-101-बी 3	18.85	(-) 18.85
15.			2049-01-101-बी 4	18.17	(-) 18.17
16.			2049-01-101-बी 5	29.20	(-) 29.20
17.			31	जनजातीय विकास	3054-04-796-02
18.	4401-00-796-01	1.41			(-) 1.47
19.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	2210-03-789-04	(-) 28.81	12.45
20.			4702-00-789-01	1.95	(-) 1.13

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 54)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष स्कीम/सेवा	जनवरी-मार्च 2018 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2018 में किया गया व्यय	2017-18 के दौरान कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2018	मार्च 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	08- शिक्षा	2202-80-107-08	12.25	12.25	17.46	70.16	70.16
2.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-05-105-16	14.67	14.67	14.67	100	100
3.		4210-03-105-05	15.26	14.77	15.79	96.64	93.54
4.		4210-03-105-06	33.93	33.93	33.93	100	100
5.		4210-03-105-07	42.58	42.28	43.24	98.47	97.78
6.	10- लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल व भवन	2059-80-053-06	56.10	46.88	76.35	73.47	61.40
7.		2216-05-053-01	16.24	14.25	20.10	80.80	70.90
8.		3054-03-103-11	123.12	97.36	180.62	68.17	53.90
9.		3054-04-105-08	45.00	45.00	45.00	100	100
10.		4216-01-106-01	37.94	33.18	45.00	84.31	73.73
11.		5054-03-101-01	23.86	21.86	37.31	63.95	58.59
12.		5054-03-337-06	99.55	99.55	100.00	99.55	99.55
13.		5054-04-337-10	31.47	26.94	50.25	62.63	53.61
14.	5054-04-337-11	36.65	29.57	50.03	73.26	59.10	
15.	12- उद्यान	2401-00-119-56	15.93	14.20	25.30	62.96	56.13
16.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-102-12	182.71	155.59	274.97	66.45	56.58
17.		2700-01-101-01	10.23	10.05	11.27	90.77	89.17
18.		2702-80-001-06	104.53	86.60	168.03	62.21	51.54
19.		4215-01-102-23	75.89	73.60	106.32	71.38	69.22
20.		4215-01-800-01	14.18	13.04	19.99	70.94	65.23
21.		4702-00-101-03	19.58	15.57	28.64	68.37	54.36
22.		4702-00-101-04	13.16	11.87	16.92	77.78	70.15
23.		4705-00-313-01	30.74	27.77	31.63	97.19	87.80
24.	4711-01-801-13	27.90	27.90	32.86	84.90	84.90	
25.	20-ग्रामीण विकास	2515-00-102-10	13.26	13.26	13.26	100	100
26.	25-सड़क एवं जल परिवहन तथा प्रशिक्षण	5055-00-50-01	14.48	14.48	14.48	100	100
27.	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	4202-02-105-03	13.15	11.68	20.32	64.71	57.48

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	29-वित्त	2049-01-101-06	20.45	20.45	30.79	66.42	66.42
29.		2049-01-101-18	26.76	26.76	26.76	100	100
30.		2049-01-101-27	41.25	41.25	61.88	66.66	66.66
31.		2049-01-101-31	12.21	12.21	24.42	50	50
32.		2049-01-101-32	50.19	50.19	50.19	100	100
33.		2049-01-101-33	22.17	22.17	22.17	100	100
34.		2049-01-101-36	24.39	24.39	24.39	100	100
35.		2049-01-101-67	28.50	28.50	42.75	66.67	66.67
36.		2049-01-101-72	13.50	13.50	13.50	100	100
37.		2049-01-101-83	12.04	12.04	24.09	49.98	49.98
38.		2049-01-101-84	21.92	21.92	32.88	66.67	66.67
39.		2049-01-101-ए 9	26.22	26.22	26.22	100	100
40.		2049-01-101-बी 1	55.37	55.37	55.37	100	100
41.		2049-01-200-05	10.93	10.93	10.93	100	100
42.		2049-03-104-01	919.57	919.57	936.51	98.19	98.19
43.		2054-00-095-04	32.12	29.09	37.85	84.86	76.86
44.		2071-02-105-01	36.68	35.68	43.51	84.30	82.00
45.		31-जनजातीय विकास	2215-01-796-09	16.02	15.99	20.78	77.09
46.	3054-04-796-05		26.15	25.27	33.38	78.34	75.70
47.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	2225-01-789-10	11.65	11.65	11.65	100	100
48.		4210-03-789-05	11.10	11.10	11.10	100	100
49.		4215-01-789-04	25.32	21.56	35.26	71.81	61.15
50.		4801-01-789-03	11.02	11.02	11.02	100	100
51.		5054-04-789-04	100.06	100.06	100.06	100	100
योग			2,679.95	2,554.99	3,181.20		

स्रोत: विनियोजन लेखे/बी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: परिच्छेद 2.2.2 तथा 2.3.4; पृष्ठ 52 एवं 54)

विभिन्न अनुदान जहां बचत प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचत	प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	01	विधान सभा	35.06	1.37	
2.	03	न्याय प्रशासन	167.36	10.14	
3.	04	सामान्य प्रशासन	192.51	13.13	
4.	06	आबकारी एवं कराधान	76.42	7.65	
5.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	1,203.32	81.89	
6.	08	शिक्षा	5,671.48	665.02	
7.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,763.95	211.66	
8.	11	कृषि	381.24	11.30	
9.	12	बागवानी	349.40	102.97	29
10.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2,438.58	30.33	
11.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मात्स्यकी	346.17	43.67	
12.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	95.20	16.81	
13.	16	वन एवं वन्य जीव	471.14	85.36	
14.	17	चुनाव	63.39	1.37	
15.	18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	102.77	11.45	
16.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	830.47	55.55	30
17.	20	ग्रामीण विकास	1,325.22	402.93	30
18.	21	सहकारिता	31.57	3.54	
19.	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	294.85	54.72	
20.	23	विद्युत विकास	501.87	131.18	26
21.	24	मुद्रण एवं लेखन ससामग्री	31.52	2.81	
22.	25	सड़क एवं जल परिवहन	319.70	2.10	
23.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	405.53	199.27	49
24.	28	शहरी विकास, शहरी एवं नियोजक आवास	356.37	119.22	33
25.	29	वित्त	5,067.27	266.88	
26.	30	विविध सामान्य सेवाएं	98.85	7.38	
27.	31	जनजातिय विकास	1,187.49	242.34	20
28.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	1,297.99	405.83	31
राजस्व-प्रभारित					
29.	03	न्याय प्रशासन	41.82	1.73	
30.	29	वित्त	3,817.42	29.20	
पूँजीगत-दत्तमत्त					
31.	01	विधान सभा	2.95	1.28	43
32.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	192.90	4.77	
33.	10	लोक निर्माण सड़क पुल एवं भवन	1,197.54	42.27	
34.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	567.61	88.76	
35.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	311.29	12.84	
36.	16	वन एवं वन्य जीव	9.59	2.31	24
37.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	10.75	4.26	40
38.	23	विद्युत विकास	639.95	252.06	39
39.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	73.52	6.35	
40.	28	शहरी विकास, शहरी एवं नियोजक आवास	28.56	5.34	
41.	29	वित्त	12.78	7.98	62
42.	31	जनजातीय विकास	332.68	58.21	
43.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	945.15	132.87	
योग			33,291.20	3,838.10	

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 56)

क: वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹50 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बंध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	01	7610-00-201-04	150.00	122.85	82
2.	07	2055-00-001-02	471.83	343.59	73
3.	07	2055-00-115-01	545.48	368.82	68
4.	08	2059-01-053-72	345.00	300.00	87
5.	08	2202-01-102-03	63.00	61.96	98
6.	08	2202-01-111-01	2,632.00	2,409.76	92
7.	08	2202-01-109-06	12,142.00	9,937.64	82
8.	08	2202-01-109-06	1,359.00	1,104.07	81
9.	08	2202-01-109-10	6,811.00	4,994.16	73
10.	08	2202-01-109-10	757.00	555.13	73
11.	08	2202-01-109-14	104.00	67.16	65
12.	08	2202-01-109-16	1,844.00	1,209.00	66
13.	08	2202-01-109-16	205.00	134.44	66
14.	08	2202-01-109-21	300.00	250.00	83
15.	08	2202-80-107-15	100.00	100.00	100
16.	08	2225-03-277-06	137.00	134.87	98
17.	09	2210-05-105-08	99.00	97.86	99
18.	09	2210-06-101-21	1,560.00	1,560.00	100
19.	09	2210-06-101-23	1,185.00	1,185.00	100
20.	09	2210-06-101-23	132.00	132.00	100
21.	09	2211-00-003-01	261.66	149.74	57
22.	09	2211-00-800-07	273.00	273.00	100
23.	09	4210-03-105-02	200.00	200.00	100
24.	11	2401-00-800-13	158.00	109.00	69
25.	11	2401-00-800-18	300.00	274.27	91
26.	12	2401-00-119-50	711.00	497.56	70
27.	12	2401-00-119-50	79.00	55.40	70
28.	12	2401-00-119-53	1,480.00	926.33	63
29.	12	2401-00-119-57	6,581.00	6,581.00	100
30.	13	2701-16-001-01	306.48	168.44	55
31.	13	4702-00-101-07	2,612.00	1,318.47	55
32.	13	4702-00-800-14	225.00	225.00	100
33.	13	4705-00-313-01	3,832.00	3,741.72	98
34.	13	4711-01-800-12	292.50	292.50	100
35.	13	4711-01-800-13	178.58	178.58	100
36.	13	4711-01-800-15	877.50	877.50	100
37.	13	4711-01-800-17	585.00	585.00	100
38.	14	2403-00-800-01	1,155.00	590.56	51
39.	14	2403-00-800-01	128.00	83.42	65

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹50 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बंध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
40.	14	2404-00-191-04	300.00	300.00	100
41.	14	2405-00-101-07	1,125.70	1,029.70	91
42.	15	2202-01-101-03	580.00	580.00	100
43.	15	5475-00-800-02	1,248.00	1,248.00	100
44.	16	2406-01-101-01	70.00	61.08	87
45.	16	2406-01-101-08	3,949.00	2,940.03	74
46.	16	2406-01-102-35	200.00	166.94	83
47.	18	2851-00-102-27	197.00	196.93	100
48.	18	2851-00-103-25	53.00	53.00	100
49.	18	2851-00-107-02	101.00	101.00	100
50.	18	2852-00-102-01	100.00	100.00	100
51.	19	2225-01-001-01	260.00	239.64	92
52.	19	2235-02-101-06	500.00	337.93	68
53.	19	2235-02-102-20	81.00	81.00	100
54.	19	2235-02-103-01	140.94	112.07	80
55.	19	2235-02-103-01	85.00	51.83	61
56.	19	2235-02-103-07	1,074.00	821.80	77
57.	19	2235-02-103-07	120.00	91.98	77
58.	19	2235-02-103-09	200.00	165.58	83
59.	19	2235-02-103-10	165.00	156.38	95
60.	19	2235-02-103-13	137.69	100.00	73
61.	19	2235-02-103-14	400.00	400.00	100
62.	19	2235-02-103-16	200.00	200.00	100
63.	19	2235-00-200-24	50.00	50.00	100
64.	19	4225-03-190-01	92.00	92.00	100
65.	19	4225-80-800-01	100.00	53.15	53
66.	19	4225-80-800-03	70.00	70.00	100
67.	19	4235-02-102-03	100.00	100.00	100
68.	20	2216-03-102-01	3,210.00	1,680.68	52
69.	20	2501-06-101-07	3,487.00	3,487.00	100
70.	20	2501-06-101-07	327.30	320.19	98
71.	20	2501-06-101-09	1,000.00	1,000.00	100
72.	20	2505-01-702-06	4,278.00	2,717.64	64
73.	20	2505-02-101-01	38,499.00	23,294.53	61
74.	20	2505-02-101-03	200.00	200.00	100
75.	20	2515-00-003-03	158.00	158.00	100
76.	20	2515-00-102-10	329.00	329.00	100
77.	23	2801-80-800-02	90.00	50.00	56
78.	23	4801-01-190-07	2,049.00	1,229.00	60
79.	23	4801-01-190-09	3,273.00	3,273.00	100
80.	23	6801-00-190-01	18,239.00	18,239.00	100
81.	27	2203-00-105-04	370.00	370.00	100

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹50 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बंध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
82.	27	2203-00-105-05	98.00	98.00	100
83.	27	2203-00-105-06	1,288.00	1,288.00	100
84.	27	4202-02-104-01	286.00	286.00	100
85.	27	4202-02-104-02	349.00	349.00	100
86.	28	2217-80-191-47	347.00	347.00	100
87.	28	2217-80-191-48	2,400.00	1,433.20	60
88.	28	2217-80-191-48	267.00	159.69	60
89.	28	2217-80-191-49	5,237.00	5,237.00	100
90.	28	2217-80-191-49	673.00	673.00	100
91.	28	2217-80-192-16	800.00	800.00	100
92.	28	2217-80-192-16	89.00	89.00	100
93.	28	2217-80-192-17	967.00	967.00	100
94.	28	2217-80-192-17	107.00	107.00	100
95.	28	2217-80-193-14	200.00	200.00	100
96.	28	2217-80-193-16	100.00	100.00	100
97.	29	2235-60-102-05	1,000.00	831.41	83
98.	29	3451-00-091-01	1,000.00	892.54	89
99.	29	7610-00-800-04	300.00	289.55	97
100.	30	2070-00-003-02	166.60	114.43	69
101.	30	2220-60-102-02	100.00	80.23	80
102.	30	4220-60-101-02	60.00	60.00	100
103.	31	2202-02-796-17	281.00	262.92	94
104.	31	2210-06-796-14	203.00	203.00	100
105.	31	2210-06-796-15	162.00	162.00	100
106.	31	2211-00-796-08	2,790.00	1,636.00	59
107.	31	2211-00-796-09	150.00	140.90	93
108.	31	2230-02-796-02	200.00	171.55	86
109.	31	2235-02-796-02	1,726.00	1,049.53	61
110.	31	2235-02-796-03	192.00	142.64	74
111.	31	2251-00-796-02	100.00	67.36	67
112.	31	2401-00-796-22	194.00	147.56	76
113.	31	2401-00-796-23	97.00	81.63	84
114.	31	2401-00-796-43	203.00	203.00	100
115.	31	2401-00-796-46	134.00	85.32	64
116.	31	2401-00-796-48	324.00	238.69	74
117.	31	2401-00-796-53	900.00	900.00	100
118.	31	2402-00-796-10	130.00	122.03	94
119.	31	2402-00-796-11	162.00	93.00	57
120.	31	2403-00-796-10	158.00	128.97	82
121.	31	2406-01-796-24	540.00	540.00	100
122.	31	2406-02-796-07	75.00	75.00	100
123.	31	2501-06-796-06	405.00	298.00	74

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹50 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बंध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
124.	31	2501-06-796-07	477.00	477.00	100
125.	31	2505-01-796-07	5,265.00	5,265.00	100
126.	31	2505-01-796-07	585.00	371.87	64
127.	31	4225-02-796-02	50.00	50.00	100
128.	31	4702-00-796-08	900.00	454.30	50
129.	31	4711-01-796-01	450.00	450.00	100
130.	31	6801-00-796-10	4,620.00	3,580.61	77
131.	32	2202-01-789-11	1,444.00	1,177.42	82
132.	32	2202-02-789-03	516.00	418.05	81
133.	32	2202-02-789-13	710.00	634.00	89
134.	32	2202-02-789-13	78.00	69.56	89
135.	32	2202-02-789-14	2,607.00	1,881.68	72
136.	32	2202-02-789-14	290.00	209.41	72
137.	32	2202-02-789-16	748.00	603.00	81
138.	32	2202-03-789-05	1,474.00	1,070.36	73
139.	32	2202-03-789-05	164.00	119.15	73
140.	32	2210-03-789-03	300.00	218.69	73
141.	32	2225-01-789-13	206.00	172.00	83
142.	32	2235-02-789-20	863.00	514.75	60
143.	32	2235-02-789-20	96.00	67.00	70
144.	32	2401-00-789-31	567.00	567.00	100
145.	32	2401-00-789-42	2,519.00	2,519.00	100
146.	32	2401-00-789-43	252.00	200.00	79
147.	32	2406-01-789-14	75.00	75.00	100
148.	32	2406-02-789-01	71.00	71.00	100
149.	32	2505-01-789-02	1,637.00	1,039.78	64
150.	32	2515-00-789-03	60.00	60.00	100
151.	32	2515-00-789-04	126.00	126.00	100
152.	32	2852-80-789-01	50.00	50.00	100
153.	32	4059-01-789-02	76.00	76.00	100
154.	32	4701-20-789-04	584.00	383.80	66
155.	32	4701-21-789-01	747.00	747.00	100
156.	32	4701-21-789-01	83.00	83.00	100
157.	32	4702-00-789-09	75.00	75.00	100
158.	32	4705-00-789-01	168.00	137.26	82
159.	32	4705-00-789-01	126.00	102.99	82
160.	32	4711-01-789-05	121.00	121.00	100
161.	32	4851-00-789-07	76.00	76.00	100
योग			1,92,603.26	1,53,909.11	

स्रोत: विनियोजन लेख/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 56)

ख: वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण
1.	08-शिक्षा	2202-80-107-15	प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	100.00	छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों की कम पात्रता के कारण
2.	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2202-06-101-21	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	1,560.00	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण
3.		2210-06-101-23	मानसिक आघात केन्द्रों पर व्यय	1,185.00	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण तथा राज्य सरकार से अनुपातिक निधि अवमुक्त न करने के कारण
4.		2210-06-101-23	मानसिक आघात केन्द्रों पर व्यय	132.00	भारत सरकार से अनुपातिक निधि अवमुक्त न करने के कारण
5.		2211-00-800-07	राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा	273.00	भारत सरकार से सहायता अनुदान संस्वीकृत न होने के कारण
6.		4210-03-105-02	दंत महाविद्यालय	200.00	सहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण
7.	12- बागवानी	2401-00-119-57	बागवानी विकास परियोजना	6,581.00	बागवानी विकास परियोजना से प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
8.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4702-00-800-14	अन्य व्यय	225.00	कार्य निष्पादन न होने के कारण
9.		4711-01-800-12	बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत डाउन स्ट्रीम में बाइंड्री चरण-III तक खान का चैनलाईजेशन	292.50	भारत सरकार द्वारा निधियां निस्तांतरण न करने के कारण सम्बद्ध राज्यांश अप्रयुक्त रहा
10.		4711-01-800-13	बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दौलतपुर से गगरेट पुल तक खान तथा इसकी सहायक नदियों (IV) तक का चैनलाईजेशन	178.58	निष्पादन न होने के कारण
11.		4711-01-800-15	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत चौँछ खड्ड तहसील इंदौरा में बाढ़ नियंत्रण कार्य	877.50	भारत सरकार से निधियां प्राप्ति न होने के कारण
12.		4711-01-800-17	जिला शिमला में पब्वर नदी का चैनलाईजेशन	585.00	-उपर्युक्त-
13.	14- पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यकी	2404-00-191-04	डेयरी को-ऑपरेटिव सोसाइटी को अनुदान	300.00	योजना के अंतर्गत मांग की कम प्राप्ति के कारण
14.	15- आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	2202-01-101-03	माध्यमिक स्कूल	580.00	सहितागत औपचारिकताओं के पूर्ण न होने के कारण
15.		5475-00-800-02	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1,248.00	
16.	18- उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	2851-00-102-27	भारत का सॉफ्टवेयर तकनीकी उद्यान	196.93	मशीनरी एवं उपकरण समाग्रियों की खरीदी पर कम व्यय के कारण
17.		2851-00-103-25	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	53.00	लाभार्थियों से दावे की कम प्राप्ति के कारण
18.		2851-00-107-02	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत रेशम उद्योग का विकास	101.00	-उपर्युक्त-
19.		2852-00-102-01	औद्योगिक क्षेत्र विकास तथा प्रोत्साहन योजना	100.00	क्षतिपूर्ति दावे की कम प्राप्ति के कारण
20.	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2235-02-102-20	बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं	81.00	संगोष्ठियों के कम आयोजना के कारण
21.		2235-02-103-14	गृह ऊर्जा दक्षता योजना	400.00	-उपर्युक्त-
22.		2235-02-103-16	मुख्यमंत्री किशोरी समग्र विकास योजना	200.00	-उपर्युक्त-
23.		2235-00-200-24	सफाई कर्मचारियों एवं जल उपचार संयंत्र कर्मचारियों का जीवन बीमा	50.00	-उपर्युक्त-
24.		4225-03-190-01	हिमाचल पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला वित्त विकास निगम में निवेश	92.00	योजना के अंतर्गत कम निवेश के कारण
25.		4225-80-800-03	भवनों का निर्माण	70.00	कार्यों के कम निष्पादन के कारण
26.		4235-02-102-03	मानसिक रूप से विकलांग बच्चों हेतु आवासीय संस्था	100.00	-उपर्युक्त-

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्षक	स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण
27.	20-ग्रामीण विकास	2501-06-101-07	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	3,487.00	योजना के अंतर्गत कम निवेश के कारण
28.		2501-06-101-09	मुख्यमंत्री ग्रामीण आजीविका योजना	1,000.00	-उपर्युक्त-
29.		2505-02-101-03	कच्ची पानी की टांकियों को पॉली लाइन्ड/पक्की टांकियों में बदलने हेतु सामग्री	200.00	योजना के अंतर्गत कोई व्यय न होने के कारण
30.		2515-00-003-03	पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण	158.00	योजना के अंतर्गत कम निवेश के कारण
31.		2515-00-102-10	ग्रामीण शौचालयों का निर्माण	329.00	-उपर्युक्त-
32.	23-विद्युत विकास	4801-01-190-09	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को इन्विटी योगदान	3,273.00	कम निवेश के कारण
33.		6801-00-190-01	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण	18,239.00	ऋणों के कम भुगतान के कारण
34.	27- श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	2203-00-105-04	मौजूदा सरकारी पॉलिटैक्निक का उन्नयन	370.00	भारत सरकार द्वारा निधियों की प्राप्ति न होने के कारण
35.		2203-00-105-05	पॉलिटैक्निक योजना के माध्यम से सामुदायिक विकास में केन्द्रीय सहायता के तहत सरकारी पॉलिटैक्निक	98.00	-उपर्युक्त-
36.		2203-00-105-06	नव पॉलिटैक्निक की स्थापना	1,288.00	-उपर्युक्त-
37.		4202-02-104-01	भवन	286.00	-उपर्युक्त-
38.		4202-02-104-02	महिला छात्रावासों का निर्माण	349.00	-उपर्युक्त-
39.	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा भवन	2217-80-191-47	स्वच्छ भारत मिशन को सहायता अनुदान	347.00	भारत सरकार से अनुपातिक निधि निस्तांतरित न करने से राज्यांश अप्रयुक्त रहा
40.		2217-80-191-49	स्मार्ट सिटी मिशन	5,237.00	भारत सरकार द्वारा अनुपातिक निधि निस्तांतरण न करने से राज्यांश कम अवमुक्त रहा
41.		2217-80-191-49	स्मार्ट सिटी मिशन	673.00	-उपर्युक्त-
42.		2217-80-192-16	स्वच्छ भारत मिशन को सहायता अनुदान	800.00	भारत सरकार से अनुपातिक निधि निस्तांतरण न करने से राज्यांश अप्रयुक्त रहा
43.		2217-80-192-16	स्वच्छ भारत मिशन को सहायता अनुदान	89.00	-उपर्युक्त-
44.		2217-80-192-17	अमृत योजना (अटल मिशन)	967.00	-उपर्युक्त-
45.		2217-80-192-17	अमृत योजना (अटल मिशन)	107.00	-उपर्युक्त-
46.		2217-80-193-14	स्वच्छ भारत मिशन को सहायता अनुदान	200.00	-उपर्युक्त-
47.		2217-80-193-16	सभी सरदार पटेल शहरी आवास योजना हेतु आवास	100.00	-उपर्युक्त-
48.		30- विविध सामान्य सेवाएँ	4220-60-101-02	प्रेस क्लब भवन का निर्माण	60.00
49.	31- जनजातीय विकास	2210-06-796-14	एड्स नियंत्रण सोसायटी	203.00	भारत सरकार से अनुपातिक निधि निस्तांतरण न करने से राज्यांश अप्रयुक्त रहे
50.		2210-06-796-15	मानसिक आघात केन्द्र	162.00	-उपर्युक्त-
51.		2401-00-796-53	हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना को विश्व बैंक की सहायता	900.00	अपूर्ण संहितागत औपचारिकताओं के कारण
52.		2406-01-796-24	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी जलवायु पुर्किंग परियोजना	540.00	अपूर्ण संहितागत औपचारिकताओं तथा दैनिक वेतनभोगियों की कम हिस्सेदारी
53.		2406-02-796-07	शीत मरूस्थल जीव मण्डल संसाधन हेतु प्रबंधन कार्य योजना पर व्यय	75.00	अपूर्ण संहितागत औपचारिकताओं के कारण
54.		2501-06-796-07	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	477.00	भारत सरकार द्वारा निधियों की प्राप्ति न होने तथा अपूर्ण संहितागत औपचारिकताओं के कारण

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण
55.		2505-01-796-07	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	5,265.00	अपूर्ण संहितागत औपचारिकताओं के कारण
56.		4225-02-796-02	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक मामलों के विभागीय भवन	50.00	-उपर्युक्त-
57.		4711-01-796-01	बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर व्यय	450.00	-उपर्युक्त-
58.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	2401-00-789-31	उत्तर पूर्वी एवं हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन के अंतर्गत सुरक्षित खेती योजना	567.00	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण
59.		2401-00-789-42	हिमाचल प्रदेश बागवानी परियोजना (आंतरिक रूप से जुड़ी परियोजना) में विश्व बैंक का सहयोग	2,519.00	प्रस्ताव प्रस्तुत न करने के कारण
60.		2406-01-789-14	पूर्ववती वृक्षरोपण का अनुरक्षण	75.00	कार्यों का निष्पादन न होने के कारण
61.		2406-02-789-01	राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	71.00	भारत सरकार द्वारा निधियां निस्तारित न करने से राज्यांश अवमुक्त नहीं किया गया।
62.		2515-00-789-03	पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण	60.00	-उपर्युक्त-
63.		2515-00-789-04	समग्र स्वच्छता कार्यक्रम पर व्यय	126.00	-उपर्युक्त-
64.		2852-80-789-01	औद्योगिक क्षेत्र विकास तथा प्रोत्साहन	50.00	मुआवजे के मामलों को अंतिम रूप न देने के कारण
65.		4059-01-789-02	न्यायिक अवसरचना का उन्नयन	76.00	कार्यों का निर्माण कार्य न होने से
66.		4701-21-789-01	नादौन क्षेत्र में मध्यम सिंचाई परियोजना	747.00	भारत सरकार द्वारा निधियां निस्तारित न होने से राज्यांश अवमुक्त नहीं किया जा सका
67.		4701-21-789-01	नादौन क्षेत्र में मध्यम सिंचाई परियोजना	83.00	-उपर्युक्त-
68.		4702-00-789-09	जल विज्ञान परियोजना	75.00	कार्य निष्पादन न होने के कारण
69.		4711-01-789-05	नावार्ड के अतिरिक्त स्वां नदी का चैनलाइजेशन	121.00	-उपर्युक्त-
70.		4851-00-789-07	भारत के सॉफ्टवेयर तकनीकी उद्यान का विकास	76.00	-उपर्युक्त-
योग				66,186.51	

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 57)

31 मार्च 2018 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	05	2029-भू-राजस्व	120.58	23.51	19
2.	05	2053-जिला प्रशासन	153.92	27.24	18
3.	07	2055-पुलिस	245.57	14.36	6
4.	08	2202-सार्वजनिक शिक्षा	1,009.40	79.79	8
5.	08	2202- सार्वजनिक शिक्षा	236.92	36.28	15
6.	08	2202- सार्वजनिक शिक्षा	26.32	24.10	92
7.	08	2202- सार्वजनिक शिक्षा	121.42	99.38	82
8.	08	2202- सार्वजनिक शिक्षा	13.59	11.04	81
9.	08	2202-सार्वजनिक शिक्षा	68.11	49.94	73
10.	08	2202- सार्वजनिक शिक्षा	18.44	12.09	66
11.	08	2202- सार्वजनिक शिक्षा	299.87	49.68	17
12.	09	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	54.50	12.59	23
13.	09	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	178.46	13.83	8
14.	09	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	15.60	15.60	100
15.	09	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	11.85	11.85	100
16.	10	3054-सड़क एवं पुल	58.87	10.25	17
17.	10	3054- सड़क एवं पुल	616.86	94.72	15
18.	12	2401-फसल उत्पादन	65.81	65.81	100
19.	13	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	26.12	13.18	50
20.	13	4705- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	38.32	37.42	98
21.	15	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	12.48	12.48	100
22.	16	2406-वानकी एवं वन्य जीवन	303.51	35.44	12
23.	16	2406- वानकी एवं वन्य जीवन	39.49	29.40	74
24.	20	2216-आवास	32.10	16.81	52
25.	20	2501-जिला ग्रामीण विकास संस्था प्रशासन	34.87	34.87	100
26.	20	2501- जिला ग्रामीण विकास संस्था प्रशासन	10.00	10.00	100
27.	20	2501- जिला ग्रामीण विकास संस्था प्रशासन	29.61	10.47	35
28.	20	2505-ग्रामीण विकास	42.78	27.18	64
29.	20	2505-ग्रामीण विकास	384.99	232.95	61
30.	20	2515-अन्य ग्रामीण विकास योजना	90.05	11.09	12
31.	20	2515-अन्य ग्रामीण विकास योजना	352.76	40.16	11
32.	22	2408-खाद्य भंडारण	220.00	78.45	36
33.	23	2801-विद्युत	450.00	90.00	20
34.	23	4801-विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	91.70	22.87	25

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
35.	23	4801- विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	20.49	12.29	60
36.	23	4801- विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	32.73	32.73	100
37.	23	6801-विद्युत योजनाओं के लिए ऋण	182.39	182.39	100
38.	23	6801- विद्युत योजनाओं के लिए ऋण	217.79	12.32	6
39.	27	2203-तकनीकी शिक्षा	12.88	12.88	100
40.	27	2230-श्रम रोजगार एवं कौशल विकास	150.00	132.20	88
41.	27	2230- श्रम रोजगार एवं कौशल विकास	99.00	40.29	41
42.	28	2217-शहरी विकास	24.00	14.33	60
43.	28	2217- शहरी विकास	52.37	52.37	100
44.	29	2071-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	441.17	116.60	26
45.	29	2071- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	602.81	14.34	2
46.	29	2071- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	525.68	161.25	31
47.	29	2071- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	242.41	55.74	23
48.	31	2211-परिवार कल्याण	27.90	16.36	59
49.	31	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	17.26	10.50	61
50.	31	6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	46.20	35.81	78
51.	32	2202-सार्वजनिक शिक्षा	14.44	11.77	82
52.	32	2202- सार्वजनिक शिक्षा	46.48	16.68	36
53.	32	2202- सार्वजनिक शिक्षा	26.07	18.82	72
54.	32	2202- सार्वजनिक शिक्षा	14.74	10.71	73
55.	32	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	78.09	28.81	37
56.	32	2401-फसल उत्पादन	25.19	25.19	100
57.	32	2406-वनिकी एवं वन्य जीव	15.11	14.25	94
58.	32	2505-ग्रामीण रोजगार	147.36	147.36	100
59.	32	2505- ग्रामीण रोजगार	16.37	10.40	64
60.	32	6801- विद्युत योजनाओं के लिए ऋण	61.41	17.28	28
योग			8,615.21	2,558.50	

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4; पृष्ठ 60)

31 मार्च 2018 को व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
1	8443	106	सिविल न्यायाधीश सीनियर डिविजन बिलासपुर	0.88
2	8443	106	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या 1) घुमारवीं	2.92
3	8443	106	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या 2) घुमारवीं	2.44
4	8443	106	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या 3) घुमारवीं	1.20
5	8443	106	सिविल न्यायाधीश जूनियर डिविजन बिलासपुर	1.11
6	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर	2.94
7	8443	106	सी.जी.एम. चम्बा	4.93
8	8443	106	सी.जी.एम. डलहौजी	0.52
9	8443	106	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला, शिमला राजधानी	18.91
10	8443	106	आई.जी.एम.सी. शिमला राजधानी	17.07
11	8443	106	आई.जी. युवा तथा खेल परिसर शिमला, शिमला राजधानी	23.96
12	8443	106	सब-न्यायाधीश हमीरपुर	8.40
13	8443	106	सब-न्यायाधीश बड़सर	2.21
14	8443	106	सब-न्यायाधीश नादौन	1.88
15	8443	106	सी.जी.एम. कुल्लू	5.25
16	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश कुल्लू	0.28
17	8443	106	सी.जी.एम. न्यायाधीश आनी	0.48
18	8443	106	सब-न्यायाधीश मनाली	1.16
19	8443	106	सब-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी कांगड़ा	1.94
20	8443	106	सब-न्यायाधीश नूरपुर	2.82
21	8443	106	सब-न्यायाधीश पालमपुर	1.64
22	8443	106	सब-न्यायाधीश देहरा	1.78
23	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला	1.28
24	8443	106	सब-न्यायाधीश ज्वाली	1.31
25	8443	106	सब-न्यायाधीश द्वितीय डिविजन कांगड़ा	1.27
26	8443	106	सब-न्यायाधीश देहरा-डूडू	1.07
27	8443	106	सब-न्यायाधीश बैजनाथ	1.49
28	8443	106	ए.सी. से डी.सी. धर्मशाला	0.32
29	8443	106	सी.जी.एम. धर्मशाला	7.87
30	8443	106	सब-न्यायाधीश इंदौरा	0.72
31	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश कल्पा	22.13
32	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश सुंदरनगर	1.90
33	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश मण्डी	7.48
34	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश सरकाघाट	2.80
35	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश जोगिन्द्रनगर	1.57
36	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश करसोग	0.93
37	8443	106	निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण, हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर	0.05
38	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश गोहर	1.40
39	8443	106	जिला सत्र न्यायाधीश शिमला	2.77
40	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर	7.47
41	8443	106	सब-न्यायाधीश रामपुर	0.91
42	8443	106	सब-न्यायाधीश ठियोग	2.28
43	8443	106	एस.डी.ओ. (सी.) डोडराक्वार	0.00*
44	8443	106	सब-न्यायाधीश रोहडू	4.01
45	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश शिमला	11.19
46	8443	106	सब-न्यायाधीश चौपाल	0.32

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
47	8443	106	सब-न्यायाधीश जुब्ल शिमला	14.14
48	8443	106	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर	21.51
49	8443	106	जिला सत्र न्यायाधीश नाहन	1.24
50	8443	106	अपर जिला सत्र न्यायाधीश नाहन	1.35
51	8443	106	सीनियर सब न्यायाधीश नाहन (सीनियर डिविजन)	3.29
52	8443	106	सीविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) पांवटा	1.74
53	8443	106	सीविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) राजगढ़	0.99
54	8443	106	सब-न्यायाधीश कण्डाघाट	0.79
55	8443	106	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन	3.31
56	8443	106	सीविल न्यायाधीश नालागढ़	3.94
57	8443	106	सीविल न्यायाधीश सीनियर डिविजन सोलन	2.00
58	8443	106	सीविल न्यायाधीश अर्की	0.99
59	8443	106	सीविल न्यायाधीश जूनियर डिविजन सोलन	2.99
60	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन	1.07
61	8443	106	सीविल न्यायाधीश जूनियर डिविजन कसौली	0.78
62	8443	106	सीविल न्यायाधीश सीनियर डिविजन कसौली	2.03
63	8443	106	सीनियर सब न्यायाधीश ऊना	7.77
64	8443	106	जूनियर सब न्यायाधीश अम्ब	3.90
65	8448	109	पी.एस. झण्डुता	0.98
66	8448	109	पी.एस. पंचरुखी	0.10
67	8448	109	पी.एस. लम्बागांव	2.59
68	8448	109	पी.एस. कल्पा	5.73
69	8448	109	पी.एस. दरंग	0.00*
70	8448	109	पी.एस. चौतड़ा	3.05
71	8448	109	पी.एस. नारकण्डा	49.13
72	8448	109	पी.एस. रोहडू	0.17
73	8448	109	पी.एस. जुब्ल	1.47
74	8448	109	पी.एस. डोडराक्वार	0.09
75	8448	109	पी.एस. सोलन	0.00*
76	8448	109	पी.एस. धर्मपुर	0.00*
77	8448	109	पी.एस. कण्डाघाट	2.32
78	8448	109	पी.एस. गगरेट	0.00*
79	8448	109	पी.एस. अम्ब	0.00*
80	8448	109	नगर पंचायत मेहतपुर	0.00*
81	8448	109	नगर पंचायत संतोषगढ़	0.05
82	8448	106	आई.सी.ए.आर. की निधियां	9.91
			योग	336.68 या कहे ₹ 3.37 करोड़

* वास्तविक आंकड़े हैं ₹ 0.10, 0.17, 0.32, 0.62, 0.61, 0.65 और 481/- केवल।

परिशिष्ट-2.13 (क)

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.3; पृष्ठ 62)

लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुक राजस्व प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियां	प्रतिशत
0852	4.84	4.84	100.00
0057	0.02	0.02	100.00
0211	0.00	0.00	100.00
0217	11.26	11.26	100.00
0250	0.13	0.13	100.00
0407	0.01	0.01	100.00
0408	38.43	38.43	100.00
0575	0.07	0.07	100.00
0801	687.61	687.61	100.00
1055	0.83	0.83	100.00
1425	0.04	0.04	100.00
1456	0.09	0.09	100.00
4000	34.82	34.82	100.00
1452	3.19	3.27	97.45
1054	33.94	40.64	83.51
0235	5.95	8.01	74.32
0401	8.79	12.28	71.58
0425	3.68	5.26	69.95
0515	1.90	2.76	68.57
0070	27.25	40.45	67.36
0045	222.55	351.61	63.29
0403	0.70	1.16	60.35
0230	3.90	6.84	56.98
0406	26.32	46.87	56.14
0075	2.59	5.46	47.44
0059	20.61	55.86	36.90
0210	3.54	10.27	34.45
0220	0.65	1.96	33.25
0029	5.36	16.96	31.57
1475	1.65	5.48	30.05
0056	0.09	0.31	28.84
0851	0.18	0.63	27.99
0853	37.62	441.46	8.52
0041	30.44	367.16	8.29
0042	8.41	111.69	7.53
0055	3.59	63.33	5.67
0405	0.19	3.38	5.65
0049	18.03	340.54	5.29
0039	58.58	1311.25	4.47
0215	1.35	52.95	2.54
0030	3.89	229.18	1.70
0700	0.00	0.04	0.67
0202	0.98	180.76	0.54
0051	0.04	10.46	0.38
0058	0.02	10.18	0.23
0043	0.36	360.79	0.10
0006	0.17	1833.16	0.01
0216	0.00	3.99	0.00

परिशिष्ट-2.13 (ख)

(संदर्भ: परिच्छेद 2.6.3; पृष्ठ 62)

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक किए गए राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	प्रतिशत
4700	0.56	0.56	100.00
5475	158.33	158.33	100.00
2075	26.25	26.53	98.97
2407	1.28	1.33	96.49
5452	2.50	2.64	94.70
4711	41.99	45.29	92.72
4235	6.77	7.91	85.60
4070	10.53	12.55	83.90
4701	5.23	7.89	66.31
2211	194.52	340.97	57.05
4851	38.48	72.83	52.84
2501	42.40	97.76	43.37
2402	17.05	68.73	24.81
2852	1.04	4.71	22.02
2711	1.14	6.00	18.95
2401	75.87	453.52	16.73
2230	18.47	155.89	11.85
4401	1.19	12.86	9.26
2235	80.79	874.39	9.24
4225	0.47	5.28	8.87
4202	19.80	341.56	5.80
4406	0.41	7.41	5.50
4215	19.99	461.58	4.33
7610	0.11	3.17	3.32
2202	120.28	5604.11	2.15
3054	29.36	1499.36	1.96
2014	3.80	196.98	1.93
5054	29.45	1531.75	1.92
4402	0.48	26.70	1.79
2403	4.95	317.80	1.56
2012	0.10	6.41	1.52
2204	0.20	20.14	0.99
2216	1.14	117.57	0.97
2053	1.62	207.13	0.78
4216	0.39	53.58	0.73
6004	0.44	78.89	0.55
2702	1.22	402.54	0.30
2801	0.93	367.72	0.25
2406	0.96	402.84	0.24
2225	0.10	56.15	0.18
2405	0.02	17.68	0.12
2250	0.00	3.92	0.11
3452	0.05	140.14	0.04
2070	0.00	85.91	0.00
2210	0.01	1402.00	0.00

परिशिष्ट-2.13 (ग)

(संदर्भ: परिच्छेद 2.6.3; पृष्ठ 62)

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक की गई फ्लैगशीप योजनाएं

क्रमांक	स्कीम का नाम	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1.	इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना	09	2211-00-800-01	1.00
2.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	09	2211-00-800-05	9.63
3.	मैत्री सेवा योजना	09	2211-00-800-06	0.01
4.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	09	2211-00-800-09	0.01
5.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	11	2401-00-800-16	10.85
6.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	11	2401-00-800-13	15.80
7.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	11	2402-00-800-04	13.17
8.	उत्तम पशु पुरस्कार योजना	14	2403-00-800-04	0.20
9.	मुख्या मंत्री ग्राम पथ योजना	15	5475-00-800-04	5.50
10.	नई वानिकी योजना (सांझी वन योजना)	16	2406-01-800-06	0.30
11.	मातृ शक्ति बीमा योजना	20	2501-06-800-03	1.00
12.	अुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क मरम्मत योजना	20	2501-06-800-08	20.00
योग				77.47

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: परिच्छेद 2.6.1.4; पृष्ठ 65)

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

(i) योजनागत:		(₹ लाख में)		
लेखा शीर्ष	अंतिम अनुदान	व्यय	अभ्यर्पण	
2059-01-053-72	345.00	45.00 (13)	300.00 (87)	
2202-02-109-01	10.00	4.80 (48)	5.20 (52)	
2202-02-109-06	12,142.00	2,204.36 (18)	9,937.64 (82)	
2202-02-109-06	1,349.00	244.93 (18)	1,104.07 (82)	
2202-02-109-10	6,811.00	1,816.84 (27)	4,994.16 (73)	
2202-02-109-10	757.00	201.87 (27)	555.13 (73)	
2202-02-109-14	104.00	36.84 (35)	67.16 (65)	
2202-02-109-14	12.00	4.10 (34)	7.90 (66)	
2202-02-109-16	1,844.00	635.00 (34)	1,209.00 (66)	
2202-02-109-16	205.00	70.56 (35)	134.44 (66)	
2202-03-103-01	546.00	0.53 (1)	545.47 (99)	
2202-05-103-01	30.00	15.00 (50)	15.00 (50)	
2202-80-004-02	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-80-004-02	0.02	0 (0)	0.02 (100)	
2202-80-107-15	100.00	0 (0)	100.00 (100)	
योग	24255.03 या कहे ₹ 242.55 करोड़	5279.83 या कहे ₹ 52.80 करोड़	18975.20 या कहे ₹ 189.20 करोड़	

(ii) आयोजनेत्तर: (₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	अंतिम अनुदान	व्यय	अभ्यर्पण	
2059-01-053-33	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-02-001-01	0.07	0 (0)	0.07 (100)	
2202-02-001-01	0.51	0 (0)	0.51 (100)	
2202-02-101-01	0.62	0.03 (5)	0.59 (95)	
2202-02-101-01	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-02-109-01	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-02-109-01	1,050.00	372.00 (35)	678.00 (65)	
2202-02-109-21	300.00	50.00 (17)	250.00 (83)	
2202-02-109-22	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-03-103-01	52.17	23.24 (45)	28.93 (55)	
2202-03-103-01	11.99	3.48 (29)	8.51 (71)	
2202-03-103-01	20.00	4.73 (24)	15.27 (76)	
2202-03-103-01	95.00	51.50 (54)	43.50 (46)	
2202-03-103-01	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-03-103-02	369.90	193.91 (52)	175.99 (48)	
2202-03-103-08	5.00	0 (0)	5.00 (100)	
2202-03-103-01	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-80-107-15	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-80-800-01	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-80-800-01	0.02	0 (0)	0.02 (100)	
2202-80-800-02	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-80-800-08	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-80-800-08	63.97	37.27 (58)	26.70 (42)	
2202-80-800-11	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-80-800-17	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-80-800-17	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2205-00-105-01	10.00	3.76 (38)	6.24 (62)	
2205-00-105-01	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2205-00-105-01	0.21	0 (0)	0.21 (100)	
योग	1979.60 या कहे ₹ 19.80 करोड़	739.92 या कहे ₹ 7.40 करोड़	1239.68 या कहे ₹ 12.40 करोड़	

कोष्ठक में आंकड़े सूचीकृत बजट के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

परिशिष्ट-2.15

(संदर्भ: परिच्छेद 2.8.2; पृष्ठ 73)

समूह बीमा योजना के अंतर्गत भुगतान का गलत वर्गीकरण
(2017-18 में जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)

(₹ में)

क्रमांक	जिला कोषागार/उप कोषागार का नाम	परिच्छेद संख्या	बचत निधि के तहत बुक बीमा भुगतान	बीमा निधि के तहत बुक बचत निधि भुगतान	गलत वर्गीकृत कुल राशि
1.	कोषागार, पांगी	05	--	1,186	1,186
2.	जिला कोषागार हमीरपुर	07	--	35,493	35,493
3.	जिला कोषागार कांगड़ा स्थित धर्मशाला	12	75,000	4,55,760	5,30,760
4.	राज्य कोषागार कांगड़ा	08	60,000	1,12,021	1,72,021
5.	राज्य कोषागार इंद्रौरा	04	--	1,46,868	1,46,868
6.	राज्य कोषागार नूरपुर	02	15,000	--	15,000
7.	राज्य कोषागार ज्वाली	03	--	77,094	77,094
8.	राज्य कोषागार कासवा कोटला	04	--	70,597	70,597
9.	जिला कोषागार किन्नौर स्थित रिकांगपिओ	09	15,000	--	15,000
10.	जिला कोषागार कुल्लू	05	--	84,764	84,764
11.	राज्य कोषागार निरमण्ड	04	30,000	8,618	38,618
12.	जिला कोषागार मण्डी	03	--	41,703	41,703
13.	राज्य कोषागार लडभरोल	02	--	15,324	15,324
14.	राजधानी कोषागार, शिमला	08	--	35,493	35,493
15.	राज्य कोषागार सुन्नी	03	--	85,286	85,286
16.	राज्य कोषागार चौपाल	04	--	27,875	27,875
17.	राज्य कोषागार रामपुर	06	--	35,766	35,766
18.	राज्य कोषागार ठियोग	04	15,000	--	15,000
19.	राज्य कोषागार कुमारसेन	05	--	2,913	2,913
20.	राज्य कोषागार ननखड़ी	05	--	6,370	6,370
21.	राज्य कोषागार कुपवी	04	--	12,481	12,481
22.	जिला कोषागार सिरमौर स्थित नाहन	10	1,80,000	1,83,532	3,63,532
23.	राज्य कोषागार राजगढ़	06	--	16,994	16,994
24.	जिला कोषागार सोलन	09	15,000	52,157	67,157
25.	राज्य कोषागार उप कोषागार कण्डाघाट	02	--	28,227	28,227
26.	राज्य कोषागार कसौली	05	--	14,261	14,261
27.	जिला कोषागार ऊना	06	60,000	1,88,045	2,48,045
योग			4,65,000 या कहें ₹ 4.65 लाख	17,38,828 या कहें ₹ 17.39 लाख	22,03,828 या कहें ₹ 22.04 लाख

परिशिष्ट-2.16

(संदर्भ: परिच्छेद 2.8.3 पृष्ठ 74)

पेंशनभोगी शीर्षों के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण

(₹ में)

क्रमांक	जिला कोषागार/उप कोषागार का नाम	परिच्छेद संख्या	व्यय की प्रकृति			जिसके तहत खाते के प्रमुख
			डी.सी.आर.जी.	पेंशन	विनिमय	
1.	राज्य कोषागार झण्डुता	05	10,304	--	--	2071-01-102-02
2.	जिला कोषागार कांगड़ा स्थित धर्मशाला	05	--	13,10,522 16,24,583	--	2071-01-101-02 2071-01-105-01
3.	जिला कोषागार कुल्लू	07	--	1,59,473	--	2071-01-105-01
4.	जिला कोषागार सिरमौर स्थित नाहन	07	--	2,16,490	--	2071-01-105-01
5.	राज्य कोषागार राजगढ़	02	7,03,271	--	--	2071-01-102-02
6.	जिला कोषागार सोलन	05	52,204 1,04,549	--	--	2071-01-101-02 2071-01-105-01
		योग	8,70,328 या कहे ₹ 8.70लाख	33,11,068 या कहे ₹ 33.11लाख		

परिशिष्ट-2.17

(संदर्भ: परिच्छेद 2.8.4; पृष्ठ 74)

बिना बजट बिलों का अनुमोदन

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला कोषागार/उप कोषागार का नाम	परिच्छेद संख्या	डी.डी.ओ0 की संख्या	मामलों की संख्या	बिना बजट प्राधिकृत राशि
1.	जिला कोषागार बिलासपुर	08(क)	06	06	45.38
2.	राज्य कोषागार नैना देवी जी स्थित स्वारघाट	06	01	01	2.89
3.	जिला कोषागार चम्बा	03	05	05	20.11
4.	राज्य कोषागार पांगी	03(ख)	05	05	57.62
5.	राज्य कोषागार चौवाड़ी	03(ख)	01	01	2.68
6.	राज्य कोषागार भरमौर	02(क)	02	02	1.84
7.	राज्य कोषागार हरोली	02(क)	01	01	4.37
8.	जिला कोषागार हमीरपुर	05(क)	04	04	9.75
9.	जिला कोषागार कांगड़ा स्थित धर्मशाला	10	06	06	60.97
10.	राज्य कोषागार देहरा	04	02	02	6.66
11.	जिला कोषागार किन्नौर स्थित रिकांगपिओ	05	04	04	61.40
12.	राज्य कोषागार सांगला	03(ख)	01	01	11.44
13.	राज्य कोषागार मोरंग	03(ख)	03	03	11.35
14.	जिला कोषागार केलांग	03(ख)	02	02	4.15
15.	राज्य कोषागार उदयपुर	04(ख)	03	03	13.42
16.	कोषागार काजा	05(क)	04	05	11.95
17.	जिला कोषागार मण्डी	06(ख)	03	03	31.28
18.	राज्य कोषागार जोगिन्द्र नगर	02	01	01	2.93
19.	राज्य कोषागार करसोग	03	03	03	4.76
20.	राज्य कोषागार औट	02	04	08	689.62
21.	राजधानी शिमला	05	04	04	4.77
22.	जिला कोषागार शिमला	08	02	02	1.72
23.	जिला कोषागार सिरमौर स्थित नाहन	05	01	01	1.11
24.	राज्य कोषागार पछाड़	03	01	01	0.59
25.	राज्य कोषागार राजगढ़	05	02	17	151.67
26.	राज्य कोषागार शिलाई	02	01	01	3.09
27.	राज्य कोषागार संग्रह	03(क)	02	02	7.34
28.	राज्य कोषागार नौहराधार	02	01	01	0.21
29.	जिला कोषागार सोलन	06	01	01	32.41
30.	जिला कोषागार ऊना	05	06	06	32.00
31.	राज्य कोषागार हरोली	02	02	02	7.50
32.	राज्य कोषागार अम्ब	04	01	01	0.60
	योग	132	85	105	1,297.58 या कहें ₹12.98 करोड़

परिशिष्ट-2.18

(संदर्भ: परिच्छेद 2.8.5; पृष्ठ 74)

संस्वीकृत बजट से अधिक राशि का अनुमोदन

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला कोषागार/उप कोषागार का नाम	परिच्छेद संख्या	डी.डी.ओ0 की संख्या	मामलों की संख्या	प्राधिकृत अधिक राशि
1.	जिला कोषागार बिलासपुर	08(ख)	07	07	13.34
2.	राज्य कोषागार धुमारवीं	02	12	12	30.23
3.	राज्य कोषागार नैना देवी जी स्थित स्वारघाट	06	04	04	2.50
4.	राज्य कोषागार झण्डूता	03	05	06	54.44
5.	जिला कोषागार चम्बा	03	05	06	220.07
6.	राज्य कोषागार पांगी	03(क)	06	06	157.06
7.	राज्य कोषागार डल्हौजी	02	02	02	9.80
8.	राज्य कोषागार चुवाड़ी	03(क)	01	02	0.58
9.	राज्य कोषागार भरमौर	02(ख)	07	07	193.96
10.	राज्य कोषागार तीसा	02	02	02	15.06
11.	राज्य कोषागार सलूणी	03	01	04	24.97
12.	राज्य कोषागार होली	02(ख)	08	09	60.23
13.	राज्य कोषागार सिंहूता	03	04	05	58.27
14.	राज्य कोषागार भलाई	02	04	04	20.82
15.	जिला कोषागार हमीरपुर	05(ख)	05	05	81.85
16.	राज्य कोषागार बड़सर	03	06	06	12.17
17.	राज्य कोषागार नादौन	03	06	06	30.68
18.	राज्य कोषागार सुजानपुर टिहरा	02	04	04	1.45
19.	उप कोषागार भौरंज	03	06	06	10.85
20.	जिला कोषागार कांगड़ा स्थित धर्मशाला	10	06	06	110.42
21.	राज्य कोषागार कांगड़ा	06	09	10	1,357.19
22.	राज्य कोषागार देहरा	04	05	05	157.81
23.	राज्य कोषागार इंदौरा	03	03	03	4.07
24.	राज्य कोषागार नूरपुर	03	01	03	16.95
25.	राज्य कोषागार पालमपुर	03	06	07	105.87
26.	राज्य कोषागार जयसिंहपुर	03	05	08	40.51
27.	राज्य कोषागार ज्वाली	04	05	05	31.17
28.	राज्य कोषागार फतेहपुर	02	03	04	11.17
29.	राज्य कोषागार खुंडियां	02	02	04	22.50
30.	राज्य कोषागार बैजनाथ	05	04	05	33.77
31.	राज्य कोषागार कासवा कोटला	03	02	04	51.63
32.	राज्य कोषागार बरोह	04	06	06	25.98
33.	जिला कोषागार किन्नौर स्थित रिकांगपिओ	05	05	06	4.46
34.	राज्य कोषागार पूह	02	04	04	6.41
35.	राज्य कोषागार सांगला	03	05	05	11.28
36.	राज्य कोषागार मोरंग	03	03	03	2.52
37.	राज्य कोषागार निचर	02	04	04	11.64
38.	जिला कोषागार कुल्लू	06	07	07	31.86
39.	राज्य कोषागार आनी	03	05	06	39.11
40.	राज्य कोषागार बंजार	02	04	05	78.52
41.	राज्य कोषागार निरमण्ड	03	03	03	53.16
42.	राज्य कोषागार मनाली	03	03	03	59.72
43.	जिला कोषागार केलांग	03(क)	07	07	34.58
44.	राज्य कोषागार उदयपुर	04(क)	03	03	7.36
45.	कोषागार काजा	05(ख)	04	07	67.70
46.	जिला कोषागार मण्डी	06	08	08	303.46

47.	राज्य कोषागार सुन्दर नगर	03	04	04	36.07
48.	राज्य कोषागार जोगिन्द्र नगर	02	06	07	15.53
49.	राज्य कोषागार सरकाघाट	03	02	04	24.55
50.	राज्य कोषागार च्वयोट	01	06	06	9.81
51.	राज्य कोषागार थुनग	01	02	02	1.77
52.	राज्य कोषागार लडभरोल	03	02	03	15.54
53.	राज्य कोषागार संधोल	03	01	02	91.97
54.	राज्य कोषागार बालीचौकी	03	01	01	41.95
55.	राज्य कोषागार कोटली	01	03	05	60.35
56.	राज्य कोषागार पधर	03	01	03	153.34
57.	राज्य कोषागार बलद्धाडा	03	02	02	19.40
58.	राजधानी शिमाल	05	06	07	14.82
59.	जिला कोषागार शिमला	08	07	08	196.72
60.	राज्य कोषागार सुन्नी	02	06	06	37.60
61.	राज्य कोषागार चौपाल	01	04	04	7.66
62.	राज्य कोषागार रामपुर	05	06	06	57.48
63.	राज्य कोषागार कुमारसैन	04	03	03	7.35
64.	राज्य कोषागार ननखड़ी	04	06	06	13.32
65.	राज्य कोषागार कुपवी	03	03	03	9.21
66.	राज्य कोषागार नेरवा	01	05	06	27.89
67.	जिला कोषागार सिरमौर स्थित नाहन	05	07	08	165.63
68.	राज्य कोषागार पछाड़	03	01	05	103.76
69.	राज्य कोषागार पांवटा साहिब	04	05	05	30.66
70.	राज्य कोषागार शिलाई	02	04	04	9.38
71.	राज्य कोषागार संग्रह	03	04	04	10.77
72.	राज्य कोषागार कामरू	02	03	03	35.75
73.	राज्य कोषागार ददाहू	04	01	01	53.33
74.	राज्य कोषागार नौहराधार	02	02	03	20.59
75.	जिला कोषागार सोलन	06	06	07	89.54
76.	राज्य कोषागार अर्की	06	06	07	47.28
77.	राज्य कोषागार कसौली	03	02	02	8.40
78.	राज्य कोषागार नालागढ़	07	06	06	248.48
79.	राज्य कोषागार रामशहर	01	05	05	12.14
80.	राज्य कोषागार किशनगढ़	02	02	03	16.16
81.	जिला कोषागार ऊना	05	05	05	59.85
82.	राज्य कोषागार हरोली	02	05	05	157.73
83.	राज्य कोषागार बंगाणा	04	06	06	31.88
84.	राज्य कोषागार अम्ब	04	07	08	99.63
योग		84	370	419	5,722.44 या कहेँ ₹57.22 करोड़

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ 77)

31 मार्च 2018 तक बकाया प्रयुक्ति प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाण पत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाण पत्र	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
1	2	3.	4.	5.	6	7
1.	राज्य के अंग					
	2011-संसद/राज्य/संघ शासित विधायिका	2016-17	1	8.23	-	-
			1	8.23	-	-
2.	प्रशासनिक सेवाएं					
	सचिवालय सामान्य सेवाएं	2015-16	1	0.89	-	-
		2016-17	1	125.00	-	-
			2	125.89	-	-
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2015-16	20	846.37	-	-
		2016-17	17	500.00	-	-
			37	1,346.37	-	-
3.	ग्रामीण विकास					
	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	2011-12	156	15142.01	156	4882.35
		2012-13	292	15,257.85	150	4925.90
		2013-14	290	21364.51	156	10371.62
		2014-15	345	31,111.12	195	23316.95
		2015-16	282	31,437.60	150	29117.58
		2016-17	375	47480.89	375	47480.89
	कुल (ग्रामीण विकास)		1740	161793.98	1182	120095.30
4.	ग्रामीण रोजगार					
	ग्रामीण रोजगार	2011-12	9	2113.15	1	8.08
		2012-13	17	3,911.91	-	-
		2013-14	14	5008.72	-	-
		2014-15	19	39,245.37	-	-
		2015-16	31	45,559.04	15	6790.88
		2016-17	34	34,301.61	34	34301.61
				124	130139.80	50
	विशेष कार्यक्रम	2014-15	20	932.91	15	851.27
		2015-16	22	3,277.39	22	3277.39
		2016-17	46	11,804.63	36	11471.76
			88	16014.93	73	15600.42
	कुल (ग्रामीण रोजगार)		212	146154.73	123	56700.99
5.	शिक्षा					
	सामान्य शिक्षा	2015-16	4	152.00	1	100.00
		2016-17	58	26395.48	6	442.00
			62	26547.48	7	542.00
	खेल एवं युवा सेवाएं	2014-15	1	2.71	-	-
		2016-17	21	512.98	1	300.00
			22	515.69	1	300.00
	तकनीकी शिक्षा	2016-17	4	9.29	-	-
	कुल (शिक्षा)		88	27072.46	8	842.00

6.	कला एवं संस्कृति					
	कला एवं संस्कृति	2016-17	146	685.54	132	525.24
	कुल (कला एवं संस्कृति)		146	685.54	132	525.24
7.	शहरी विकास					
	शहरी विकास	2010-11	5	1919.83	-	-
		2011-12	4	728.63	-	-
		2014-15	29	11973.51	5	212.58
		2015-16	60	21250.05	17	7,016.94
		2016-17	111	53,447.25	104	38,296.73
	कुल (शहरी विकास)		209	89319.27	126	45,526.25
8.	पशु पालन					
	फसल पालन	2014-15	11	400.00	-	-
		2016-17	12	9,535.20	12	8635.00
			23	9,935.20	12	8635.00
	पशु पालन	2014-15	11	344.36	11	344.36
		2015-16	29	2808.05	28	2805.30
		2016-17	46	2426.50	-	-
			86	5578.91	39	3149.66
	कुल (पशु पालन)		109	15514.11	51	11784.66
9.	सहकारिता					
	सहकारिता	2014-15	4	3.95	2	2.15
		2015-16	34	53.86	3	4.30
		2016-17	38	108.15	18	15.87
	कुल (सहकारिता)		76	165.96	23	22.32
10.	पर्यटन					
	पर्यटन	2014-15	2	3.30	2	3.30
		2015-16	2	4.15	2	4.15
		2016-17	3	2655.00	3	2655.00
	कुल (पर्यटन)		7	2662.45	7	2662.45
11.	आवास					
	आवास	2014-15	45	981.73	38	869.58
		2015-16	85	5165.14	50	2,120.23
		2016-17	91	6913.05	65	3,038.20
			221	13059.92	153	6,028.01
	कुल (आवास)		221	13059.92	153	6,028.01
12.	उद्योग					
	ग्राम एवं लघु उद्योग	2012-13	3	49.21	1	7.21
		2013-14	4	147.21	-	-
		2014-15	3	69.09	2	24.09
		2015-16	33	388.53	20	143.60
		2016-17	132	5,923.46	71	3505.66
	कुल (उद्योग)		175	6,577.50	94	3680.56
13.	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं					
	डेयरी (दुग्ध) विकास	2015-16	21	1,666.16	21	1666.16
		2016-17	21	1,661.88	21	1661.89
			42	3,328.05	42	3328.05
	खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागारण	2014-15	2	2.21	-	-
		2015-16	13	21.70	-	-
		2016-17	34	52.09	8	14.81

			49	76.00	8	14.81
	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2016-17	2	9.93	-	-
			2	9.93	-	-
	अन्य कृषि कार्यक्रम	2016-17	2	1,000.00	2	1,000.00
			2	1,000.00	2	1,000.00
	कुल (कृषि एवं संबद्ध सेवाएं)		95	4,413.97	52	4,342.86
14.	वन					
	2406-वन तथा वन्य जीव	2012-13	9	170.64	-	-
		2013-14	11	431.34	-	-
		2014-15	70	442.46	10	51.06
		2015-16	111	500.35	21	160.53
		2016-17	187	812.06	100	458.96
	कुल (वन)		388	2,356.86	131	670.55
15.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य					
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2012-13	1	100.00	-	-
		2013-14	34	1083.60	-	-
		2014-15	40	5584.30	-	-
		2015-16	48	7684.20	-	-
		2016-17	82	9238.57	77	7,012.62
			205	23690.69	77	7,012.62
	पारिवारिक स्वास्थ्य	2013-14	1	533.00	-	-
		2016-17	37	17875.59	36	11591.52
			38	18408.59	36	11591.52
	कुल (चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य)		243	42099.28	113	18604.14
16.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	2012-13	8	301.14	7	254.26
		2013-14	3	8.60	3	8.60
		2014-15	3	219.10	-	-
		2015-16	4	235.00	4	235.00
		2016-17	5	237.00	5	237.00
			23	1000.84	19	734.86
	श्रम एवं रोजगार	2016-17	2	5.00	-	-
			2	5.00	-	-
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2016-17	1	49.00	1	49.00
			1	49.00	1	49.00
	कुल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)		26	1054.84	20	783.86
17.	मत्स्य पालन					
	मत्स्य पालन	2014-15	5	25.00	-	-
		2015-16	15	13.58	-	-
		2016-17	10	16.80	10	16.80
	कुल (मत्स्य पालन)		30	55.38	10	16.80
18.	योजना					
	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2014-15	11	453.22	5	55.54
		2015-16	11	603.06	2	67.01
		2016-17	4	1291.36	2	1091.36
			26	2374.64	9	1213.91
	अन्य ग्रामीण विकास पर पूंजीगत परिव्यय	2016-17	1	149.00	1	149.00

	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	2016-17	3	35.00	3	35.00
			3	35.00	3	35.00
	अन्य सामाजिक समुदाय	2014-15	3	2.12	-	-
		2015-16	5	3.04	-	-
		2016-17	1	0.27	-	-
			9	5.43	-	-
	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2012-13	1	3.00	-	-
		2013-14	2	15.02	-	-
		2014-15	5	417.59	-	-
		2015-16	5	35.69	-	-
		2016-17	4	23.50	4	23.50
			17	494.80	4	23.50
	कुल (योजना)		56	3,058.87	17	1,421.41
19.	आबकारी एवं कराधान विभाग					
	स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं कार्यभार	2015-16	12	543.02	8	306.85
		2016-17	262	1,002.89	250	688.65
	कुल (आबकारी एवं कराधान विभाग)		274	1,545.91	258	995.50
20.	भू-राजस्व					
	भू-राजस्व	2015-16	1	1.00	1	1.00
		2016-17	16	80.00	14	70.00
			17	81.00	15	71.00
	विविध सामान्य सेवाएं	2013-14	1	5.72	-	-
		2014-15	8	141.00	-	-
		2015-16	21	250.92	1	49.74
		2016-17	17	212.17	16	207.93
			47	609.81	17	257.67
	कुल (भू-राजस्व)		64	690.81	32	328.67
21.	लोक निर्माण कार्य					
	सड़क एवं पुल	2014-15	1	330	-	-
		2015-16	1	462	-	-
		2016-17	1	600	1	191.34
			3	1392.00	1	191.34
	सड़क परिवहन	2016-17	2	559.48	2	559.48
			2	559.48	2	559.48
	कुल (लोक निर्माण कार्य)		5	1951.48	3	750.82
22.	पुलिस					
	पुलिस	2016-17	4	1,300.60	4	1,025.51
	कुल (पुलिस)		4	1,300.60	4	1,025.51
23.	जलापूर्ति एवं स्वच्छता					
	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2015-16	2	322.80	-	-
		2016-17	2	399.20	2	399.20
	कुल (जलापूर्ति एवं स्वच्छता)		4	722.00	2	399.20
24.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण					
	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2015-16	158	463.63	26	125.79
		2016-17	574	3870.34	137	2616.55
			732	4333.97	163	2742.34
	कुल (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण)		732	4333.97	163	2742.34
25.	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण					
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2014-15	3	80.20		

		2015-16	16	9.62		
		2016-17	17	100.42	6	28.42
			36	190.24	6	28.42
	पर्यावरण परिस्थितिकी	2016-17	8	21.70	-	-
			8	21.70	-	-
	कुल (विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण)		44	211.94	6	28.42
26.	विद्युत					
	विद्युत	2011-12	2	212.00	-	-
		2013-14	1	1,854.00	-	-
		2014-15	1	1,259.00	-	-
		2016-17	1	90.00	-	-
			5	3,415.00	-	-
	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	2015-16	4	23.00	-	-
		2016-17	7	20.00	-	-
			11	43.00	-	-
	कुल (विद्युत)		16	3,458.00	-	-
	सकल योग		5,004	531740.33	2710	2799,77.86

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 78)

स्वायत्त निकायों का निष्पादन दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब	अवधि जब तक पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने की तिथि	वर्ष जब तक लेखे देय हैं तथा लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब
1	द्वि0प्र0 राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला	2005-06 बाद	2016-17	7 महीने 19 दिन	2016-17 (28.03.2018)	2015-16 (15.03.2017)	--
2	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, शिमला	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	वर्ष 2013-14 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है
3	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
4	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, ऊना	-	2016-17	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
5	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, नाहन	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
6	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, चम्बा	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
7	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
8	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, शिमला	-	2016-17	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
9	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, सोलन	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
10	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, कुल्लू	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
11	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, किन्नौर स्थित रामपुर	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
12	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला स्थित कांगड़ा	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
13	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, मण्डी	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
14	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड, शिमला	--	2014-15	2 वर्ष	2013-14	अभी तक रखे जाने को शेष	प्रक्रियाधीन

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ: 79)

चोरी, दुर्विनियोजन/हानि, आदि के मामलों का विभागबद्ध तथा अवधिबद्ध ब्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्ष से अधिक		मामलों की कुल संख्या	
		सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए
1.	शिक्षा	-	-	02	2.55	01	0.93	-	-	-	-	-	-	03	3.48
2.	ग्रामीण विकास	-	-	02	4.68	-	-	-	-	-	-	-	-	02	4.68
3.	कृषि	-	-	-	-	01	9.20	01	0.26	-	-	-	-	02	9.46
4.	उद्यान	-	-	01	1.54	01	0.06	-	-	01	1.29	-	-	03	2.89
5.	भू-राजस्व	-	-	-	-	-	-	-	-	01	2.57	-	-	01	2.57
6.	पुलिस	-	-	01	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.08
7.	मत्स्यपालन	-	-	01	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	01	1.28
8.	नगर परिषद चम्बा	01	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.42
9.	राजस्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	0.40	02	0.40
10.	गृह रक्षा	-	-	-	-	-	-	03	25.42	-	-	-	-	03	25.42
11.	आयोजना निदेशक	-	-	01	0.90	-	-	-	-	-	-	02	0.21	03	1.11
12.	स्वास्थ्य	-	-	-	-	01	0.95	-	-	-	-	-	-	01	0.95
13.	वन	01	3.99	01	2.38	-	-	01	0.63	-	-	02	0.22	05	7.22
14.	लोक निर्माण	-	-	-	-	-	-	06	7.42	01	1.05	08	2.69	15	11.16
15.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	-	-	-	-	01	0.89	02	7.71	-	-	02	0.31	05	8.91
	योग:	02	4.41	09	13.41	05	12.03	13	41.44	03	4.91	16	3.83	48	80.03

सी: मामलों की संख्या

ए: राशि (₹ लाख में)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ: 79)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागबद्ध/श्रेणीबद्ध ब्यौरा

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
शिक्षा	02	1.60	01	1.88	03	3.48
ग्रामीण विकास	02	4.68	-	-	02	4.68
कृषि	-	-	02	9.46	02	9.46
भू-राजस्व	-	-	01	2.57	01	2.57
उद्यान	01	0.06	02	2.83	03	2.89
मत्स्यपालन	01	1.28	-	-	01	1.28
पुलिस	-	-	01	0.08	01	0.08
नगर परिषद चम्बा	-	-	01	0.42	01	0.42
राजस्व	-	-	02	0.40	02	0.40
गृह रक्षा	-	-	03	25.42	03	25.42
आयोजना निदेशक	-	-	03	1.11	03	1.11
स्वास्थ्य	-	-	01	0.95	01	0.95
वन	-	-	05	7.22	05	7.22
लोक निर्माण	01	0.21	14	10.95	15	11.16
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	01	0.25	04	8.66	05	8.91
योग:	08	8.08	40	71.95	48	80.03

परिशिष्ट-4

शब्दावली

क्रम संख्या	शब्द	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन संस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके तथा अन्य चालू कीमतों पर अन्य सभी कारकों से उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता की मूल्य-सापेक्षता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभिमुख होगी।
4.	विकास व्यय	व्यय के आंकड़ों को विकास एवं गैर-विकास व्यय में विश्लेषित किया गया है। राजस्व लेखों, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बद्ध समस्त व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय का निर्माण करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर-विकास व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है।
5.	ऋण धारणीयता	ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।
6.	गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
7.	शुद्ध ऋण की उपलब्धता	राज्य को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना, लोक ऋण प्राप्तियों में से लोक ऋण तथा उस पर ब्याज की अदायगी को घटाकर की जाती है।
8.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता है यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
9.	गारंटियां	कर्जदार, जिसकी गारंटी दी गई है, द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghp.cag.gov.in